स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मार्च, 2019
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Cover ii

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

---

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

पी एल डी (पी. डी)-3-2019 आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

मार्च, 2019 अंक - 3

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2019) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website → https://bharatkosh.gov.in/product/product

---

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

देश की जनसंख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जो कि इस देश के विकास के लिए एक चिंता का विषय है । तत्कालीन जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली प्रसाद ने 2011 में की गई 15वीं राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट राष्ट्र को 31 मार्च, 2011 को समर्पित की जिसे 1 मई, 2010 को आरंभ किया गया था । भारत में जनगणना वर्ष 1872 से की जा रही है और पहली बार वर्ष 2010-2011 में जनगणना बायोमैट्रिक विधि से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई थी । अंतिम जारी प्रतिवेदन के अनुसार, भारत की जनसंख्या वर्ष 2001-2011 के दशक के दौरान 1,21,08,54,977 पाई गई थी । स्वाभाविकत:, इतनी जनसंख्या वाली देश में जनता के बीच वाद-विवाद की संख्या भी अधिक होगी । इनसे निपटने के लिए सरकार ने, यद्‌यपि, लोक अदालतों की व्यवस्था की हुई है, फिर भी यह न्यायालयों का कर्तव्य है कि मुकदमों का निपटारा यथासंभव शीघ्र करें, विशेषकर ऐसी स्थिति में जहां शीघ्र निपटान के लिए स्वयं कानूनी उपबंध उपलब्ध हों । विवाह-विवाद संबंधी मामलों में भी पक्षकारों को कई वर्षों तक न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं । यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि पति-पत्नी के बीच अब वैवाहिक संबंध बनाए रखना असंभव है और वे कई वर्षों से एक-दूसरे के साथ भी नहीं रह रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में, न्यायालयों को विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए । इससे दोनों पक्षकारों का समय बचेगा और वे शीघ्र ही वे अपने-अपने नए जीवन का आरंभ कर सकेंगे । **धले राम** बनाम **पुष्पा देवी** (2019) 1 दा. नि. प. 391 वाला मामला इसका एक अच्छा उदाहरण है ।

यदि नैतिकता, संबंध और मर्यादा की चर्चा की जाए तो कहा जाता है कि भारत एक महान देश है । यहां की भूमि सूफी-संतों और महापुरुषों की जननी है । करोड़ों परिवार इस देश में ऐसे हैं जहां औसतन एक सदस्य कमाता है और चार उस पर आश्रित रहते हैं । यद्‌यपि, अब इस स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है किन्तु वृद्धों की देख-रेख ठीक प्रकार से न होना एक घोर चिंता का विषय है । इसके लिए हमारे यहां अन्य

विधि के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन सुरक्षा प्रदान की गई है कि वृद्ध अपनी संतान से भरणपोषण पाने का दावा कर सकते हैं । इस संबंध में, **अखिलेश कुमार जगतरामका** बनाम **गणेश कुमार जगतरामका** (2019) 1 दा. नि. प. 374 वाला मामला इस स्थिति को बखूबी स्पष्ट करता है जिसमें पिता ने अपने तीन पुत्रों में से एक पुत्र से भरणपोषण पाने का दावा किया है और न्यायालय ने पुत्र के अभिवाक् को रद्द कर दिया कि उसके पिता को रख-रखाव के लिए उसकी जिम्मेदारी का कुछ अंश उसके शेष दो भाइयों पर भी अधिरोपित किया जाए ।

इस अंक में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इसमें सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

इस अंक में अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

मार्च, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अखिलेश कुमार जगतरामका **बनाम** गणेश कुमार जगतरामका	374
अताउल्लाह पुत्र अब्दुल गफूर **बनाम** कर्नाटक राज्य	298
जितेन चत्तार **बनाम** असम राज्य	332
धले राम **बनाम** पुष्पा देवी	391
नरेन्द्र सिंह **बनाम** उत्तराखंड राज्य और एक अन्य	285
मधुसूदन तेली **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	318
मोहम्मद मुकुट अली **बनाम** असम राज्य और एक अन्य	343
मोहम्मद सरीफुल इस्लाम **बनाम** असम राज्य	357
सामरथ कन्हैयालाल मीना **बनाम** राजस्थान राज्य	385
सुरेश कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	401

संसद् के अधिनियम

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 13

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 12 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(इक) और 13ख] – विवाह-विच्छेद याचिका – पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री – यदि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय से नहीं रह रहे हैं और उनके बीच सुलह की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है तथा पति और पत्नी के बीच संबंध बुरी तरह टूट जाते हैं और उनके बीच पुनः मेल की संभावना नहीं रह जाती है तब पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित होने से पूर्व छह मास की अवधि पूरी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, अतः छह मास की कानूनी अवधि पूरी किए बिना धारा 13ख के अधीन याचिका का त्वरित रूप से विनिश्चय किया जाना न्यायसंगत है ।

धले राम बनाम **पुष्पा देवी** 391

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 125(1)(घ) – माता-पिता का भरणपोषण – माता-पिता द्वारा अपने तीन पुत्रों में से केवल एक पुत्र से भरणपोषण का दावा किया जाना – याची अपने माता-पिता का भरणपोषण करने का दायित्व अपने अन्य दो भ्राता पर नहीं डाल सकता क्योंकि भरणपोषण करने का दायित्व न केवल पुत्र का कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है, इसलिए अन्य पुत्रों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है ।

अखिलेश कुमार जगतरामका बनाम **गणेश कुमार जगतरामका** 374

पृष्ठ संख्या

– धारा 228 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 306] – आरोप विरचित किया जाना – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – इत्तिलाकर्ता के भाई का अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी के कारण आत्महत्या करना – पीड़ित द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मोटरसाइकिल का क्रय किया जाना – अभियुक्त द्वारा पीड़ित को कूटरचित दस्तावेजों के मामले में फंसाने की धमकी दिया जाना – अभियुक्त द्वारा पीड़ित को उसके कपटपूर्वक किए गए कार्य की बार-बार याद दिलाना – अभियुक्त का आशय आत्महत्या करने के लिए विवश करना नहीं पाया जाना – किसी व्यक्ति के अवैध कार्य को केवल इंगित करना, उस पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, पीड़ित की दोषी मन:स्थिति संभवतया उसकी आत्महत्या करने का कारण है, इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप उचित नहीं हैं और उन्हें अपास्त किया जाना न्यायोचित है ।

नरेन्द्र सिंह बनाम **उत्तराखंड राज्य और एक अन्य** 285

– धारा 389 [सपठित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37] – दंड का निलंबन – लंबित अपील – तलाशी और अभिग्रहण में अनियमितता – निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के संबंध में सटीक टिप्पण न किया जाना – अभियुक्तों का 5 वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में रहना – विचारण न्यायालय द्वारा सटीक टिप्पण किए बिना अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है और वह 5 वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में रहा है, अत: उक्त अधिनियम की धारा 37 का अवलंब कठोरतापूर्वक लेना अनुचित है और अभियुक्त का दंड अपील

पृष्ठ संख्या

के निपटारे तक निलंबित किया जाना न्यायोचित है ।

सामरथ कन्हैयालाल मीना बनाम **राजस्थान राज्य** 385

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 279 और 304क – उपेक्षा से मृत्यु – मिनीबस का उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाए जाने का अभिकथन – अभियुक्त द्वारा टायर फटने से दुर्घटना होने का अभिवाक् किया जाना – अभिलेख पर मिनीबस का उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाए जाने का कोई साक्ष्य न होना – बस के यात्रियों ने यह साक्ष्य दिया है कि बस धीमी रफ्तार में चल रही थी और दुर्घटना से ठीक पूर्व टायर फटने की आवाज भी आई थी, अत: यह साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्त द्वारा उपेक्षापूर्वक यान चलाने से मृतक की मृत्यु हुई है – इसलिए वह दोषमुक्त होने का हकदार है ।

अताउल्लाह पुत्र अब्दुल गफूर बनाम **कर्नाटक राज्य** 298

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24] – हत्या – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी और दो पुत्रियों की अभिकथित हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का अभाव – न्यायेतर संस्वीकृति कथन ग्रामवासियों के समक्ष दिया जाना – संस्वीकृति कथन की पुष्टि मृत्युसमीक्षा के साक्षियों से न होना – किसी भी अभियोजन-साक्षी ने पत्नी और पुत्रियों की हत्या की घटना नहीं देखी है और न्यायेतर संस्वीकृति कथन ग्रामवासियों के समक्ष दिया गया है जिसकी पुष्टि मृत्युसमीक्षा के साक्षियों द्वारा नहीं की गई है, ऐसी स्थिति

पृष्ठ संख्या

में अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

मधुसूदन तेली बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 318

– धारा 302 [भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 24] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – न्यायेतर संस्वीकृति – बांस के डंडे से मृतक पर हमला करके हत्या किए जाने का अभिकथन – मृतक की माता के परिसाक्ष्य में घटना के स्थान के बारे में विभेद प्रकट होना – मृतक की माता और भाई के कथनों में इस बारे में विभेद है कि अभियुक्त दाउ लेकर उनके घर में घुसा और उसने मृतक से झगड़ा किया तथा साक्षी के अभिसाक्ष्य में यह भी विरोधाभास है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष अपराध करने की संस्वीकृति दी, इन परिस्थितियों में अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हुआ है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

जितेन चत्तार बनाम **असम राज्य** 332

– धारा 323 – उपहति – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा इत्तिलाकर्ता, उसकी पत्नी और माता-पिता पर हमला किए जाने का अभिकथन – क्षति रिपोर्ट का अभाव – स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य की एक दूसरे से संपुष्टि न होना – अपराध में प्रयुक्त आयुध का न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाना – क्षति कारित होने से संबंधित अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी रिपोर्ट या चिकित्सा-पर्ची प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी भी चिकित्सक की परीक्षा कराई गई है, साथ ही क्षतियों की संपुष्टि किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य या स्वतंत्र साक्षी

पृष्ठ संख्या

के साक्ष्य से नहीं की गई है और न ही कोई आयुध बरामद करके न्यायालय में पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आदेश उचित नहीं है ।

मधुसूदन तेली बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 318

– धारा 366, 340 और 376 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438] – शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री का जमानत याची के साथ बिना आपत्ति वास करना – अभियुक्त द्वारा, उसे निरुद्ध किए जाने की शिकायत न किया जाना – अभियोक्त्री का याची के साथ सार्वजनिक रूप से घूमना-फिरना – दो मास पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का दर्ज कराना – स्पष्टीकरण का अभाव – अभियोक्त्री जमानत-याची के साथ अपनी सहमति से कई सार्वजनिक स्थानों पर गई है और उसने कभी भी कोई शिकायत अपने निरुद्ध किए जाने के संबंध में नहीं की है और साथ ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी विलंब से दर्ज कराई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अतः इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि सामान्य नियम जमानत पर छोड़ना है न कि कारावास में रखना, जमानत-याची को अग्रिम जमानत पर छोड़ना न्यायोचित है ।

सुरेश कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 401

– धारा 448, 326, 307 और 379 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या का प्रयत्न – सबूत – दाउ से पीड़ित को क्षतियां पहुंचाने का अभिकथन किया जाना – पीड़ित द्वारा घटना के बारे में

पृष्ठ संख्या

विस्तृत अभिसाक्ष्य दिया जाना – पीड़ित के पड़ोसी का पीड़ित के घर से आते हुए और पीड़ित को फर्श पर क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ देखा जाना – चिकित्सीय साक्ष्य से यह इंगित होता है कि कारित क्षतियां घातक हो सकती थीं यदि पीड़ित उनका विरोध न करता और अभियुक्त का निशाना न चूकता, इसलिए अभियुक्त के कृत्य से पीड़ित के जीवन को क्षति पहुंचाने का आशय सिद्ध होता है, अत: अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

मोहम्मद मुकुट अली बनाम **असम राज्य और एक अन्य** 343

– धारा 498क, 304ख, 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – दहेज मृत्यु – उपधारणा – विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृतका की अप्राकृतिक मृत्यु – मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर अभियुक्त (पति) और उसके माता-पिता द्वारा मृतका को कीटनाशक दवा पिलाकर हत्या किए जाने का अभिकथन – क्रूरता या तंग किए जाने की प्रकृति का कोई साक्ष्य विद्यमान न होना – ऐसी कोई सामग्री प्रकट नहीं है कि मृतका के साथ उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व क्रूरता का व्यवहार किया गया था और अभियुक्त के कुटुंब के सदस्यों द्वारा मृतका को बचाने का प्रयास किया गया था तथा मृतका के शरीर पर क्षति का कोई चिह्न नहीं पाया गया था, इसलिए दहेज मृत्यु की उपधारणा नहीं की जा सकती और अभियुक्त की दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

मोहम्मद सरीफुल इस्लाम बनाम **असम राज्य** 357

नरेन्द्र सिंह

बनाम

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य

तारीख 9 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति वी. के. विष्ट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 228 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 306] – आरोप विरचित किया जाना – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – इत्तिलाकर्ता के भाई का अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी के कारण आत्महत्या करना – पीड़ित द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मोटरसाइकिल का क्रय किया जाना – अभियुक्त द्वारा पीड़ित को कूटरचित दस्तावेजों के मामले में फंसाने की धमकी दिया जाना – अभियुक्त द्वारा पीड़ित को उसके कपटपूर्वक किए गए कार्य की बार-बार याद दिलाना – अभियुक्त का आशय आत्महत्या करने के लिए विवश करना नहीं पाया जाना – किसी व्यक्ति के अवैध कार्य को केवल इंगित करना, उस पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, पीड़ित की दोषी मन:स्थिति संभवतया उसकी आत्महत्या करने का कारण है, इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप उचित नहीं हैं और उन्हें अपास्त किया जाना न्यायोचित है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 18 मार्च, 2016 को शिकायतकर्ता मस्तान सिंह ने यह कथन करते हुए पुलिस थाना कीर्ति नगर टेहरी गढ़वाल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की कि उस दिन को उसका भाई धीरेन्द्र अपने मकान में अकेला था । शिकायतकर्ता किसी कार्य से श्रीनगर गया हुआ था । उसकी माता, उसकी पत्नी और धीरेन्द्र

की पत्नी लकड़ी लेने के लिए जंगल पर गई हुई थीं । जब वे लगभग 1.00-2.00 बजे अपराह्न वापस आए तब धीरेन्द्र की पत्नी अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए गई जो अन्दर से बंद था । उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलने के लिए कहा । जब दरवाजा खोला नहीं गया था तब उसने रोशनदान से यह देखा कि उसका पति धीरेन्द्र पंखे पर लटका हुआ था । उसने रोना प्रारंभ कर दिया जिस कारण उसके कुटुम्ब के सदस्य और गांववासी वहां पर इकट्ठा हुए । गांव प्रधान का पति अर्थात् भूपेन्द्र सिंह भी वहां पर था जिन्होंने पुलिस को सूचना दी । पुलिस के पहुंचने के पश्चात् गांववासियों की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया था और मृतक को नीचे उतारा गया था । उसके पायजामा की जेब से दो लिखे हुए कागजात प्राप्त किए गए थे । उन कागजातों पर उसने यह लिखा था कि उसकी आत्महत्या का कारण नरेन्द्र सिंह पुत्र केसर सिंह (पुनरीक्षणवादी) द्वारा परेशान किया जाना है । उसका भाई उसकी पत्नी और उससे कहा करता था कि नरेन्द्र सिंह ने यह कहकर उसे परेशान किया और साथ में धमकी भी दी कि वह सलाखों के पीछे उसके पूरे कुटुम्ब को डाल देगा । मृतक ने उसे यह भी बताया कि पुनरीक्षणवादी यह भी कहा करता है कि कागजात मोटरसाइकिल लेते समय जो मृतक द्वारा दिए गए थे, जाली हैं । इन सभी कारणों से उसके भाई ने विवश होकर आत्महत्या कर ली । आत्महत्या के टिप्पण को फोरेंसिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण करने के पश्चात् पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया था और दंड संहिता की धारा 306 के अधीन पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं और उसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 306 के अधीन पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए । पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मृतक ने मोटरसाइकिल खरीदी थी । पुनरीक्षणवादी का

यह पक्षकथन है कि मोटरसाइकिल जाली दस्तावेजों के आधार पर मृतक के नाम और पते में खरीदी गई थी क्योंकि उसने गलती महसूस की थी इसलिए, उसने आत्महत्या कर ली । परंतु आत्महत्या टिप्पण में उसने यह लिखा है कि उसने पुनरीक्षणवादी द्वारा तंग किए जाने के कारण आत्महत्या की है । पुनरीक्षणवादी मृतक से यह कहा करता था कि कागजात जो उसके द्वारा मोटरसाइकिल लेते वक्त दिए गए थे, जाली हैं और वह मृतक को फंसाएगा । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि पुनरीक्षणवादी मृतक को धमकी देकर परेशान किया करता था और मृतक के पूरे कुटुम्ब को सलाखों के पीछे डाल देगा । इस धमकी के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली । आरोप विरचित करने से यह अभिप्रेत नहीं होता है कि अभिकथन साबित किए गए हैं । जब विचारण प्रारंभ होता है तब अभियोजन पक्ष को तथा अभियुक्त को पूर्ण अवसर दिया जाता है जिससे कि वे न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकथन को रखें, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोपों को सामान्य परिस्थितियों में अपास्त नहीं किया जा सकता । आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर, न्यायालय को मामले के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य पर विचार करना अपेक्षित है और उस आधार पर, क्या आरोप विरचित किए जा सकते हैं । न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है या नहीं । न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से गंभीर संदेह प्रकट होना पर्याप्त होना चाहिए । वर्तमान मामले में, पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध अभिकथन यह है कि वह मोटरसाइकिल को क्रय करने के समय पर उसके द्वारा किए गए कपट को प्रकट करने के लिए मृतक को धमकाया करता था । पुनरीक्षणवादी उस समय मृतक को उसके द्वारा किए गए कपट के बारे में उसे याद दिलाया करता था । इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षणवादी मृतक को उसके अवैध कार्य करने पर फंसाने के लिए उसे धमकी भी देता था । क्या ऐसी धमकी देते समय अभियुक्त/पुनरीक्षणवादी का यह आशय रहा था कि मृतक को आत्महत्या करने के लिए विवश किया जाए ? यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई ऐसी आपराधिक मन:स्थिति वहां पर थी ।

उसके अवैध कार्य को इंगित करने से यह नहीं कहा जा सकता है कि आत्महत्या करने के लिए मृतक का दुष्प्रेरण किया गया था । पुनरीक्षणवादी के आशय के बारे में अधिकांश रूप से मृतक को भयादोहन करना कहा जा सकता है । निस्संदेह मृतक तनावग्रस्त था । चूंकि मृतक द्‌वारा मोटरसाइकिल क्रय करते समय जाली दस्तावेज पेश किए गए थे । उसकी दोषिता की मन:स्थिति उसकी आत्महत्या का भी कारण था । विचारण न्यायालय ने इस रीति में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है जिस रीति में इसने मामले का विनिश्चय किया । परिणामस्वरूप दांडिक पुनरीक्षण को मंजूर किया जाता है । विद्‌वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश टेहरी गढ़वाल द्‌वारा तारीख 9 मई, 2017 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश तथा 2016 के विशेष सेशन विचारण सं. 16 में दंड संहिता की धारा 306 के अधीन तारीख 9 मई, 2017 को विरचित आरोप अपास्त किए जाते हैं । (पैरा 8 और 11)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 11 एस. सी. सी. 476 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 52 : **सरोज सिंह अहलावत और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	10
[2010]	(2010) 8 एस. सी. सी. 628 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5101 : **मदन मोहन सिंह** बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य** ;	9
[2002]	(2002) 5 एस. सी. सी. 371 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1998 : **संजू** उर्फ **संजय सिंह सेनगार** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	5

[1995] (1995) 3 एस. सी. सी. (सप्ली.) 438 : **स्वामी प्रहलाद दास** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य** । 5, 9

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 166.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

पुनरीक्षणवादी की ओर से श्री के. एस. वोरा

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री रमन कुमार शाह उप महाधिवक्ता और वी. एस. पाल सहायक महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति वी. के. विष्ट – पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना ।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन 2016 के सेशन विचारण सं. 16, "राज्य बनाम नरेन्द्र सिंह" वाले मामले में विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश टेहरी गढ़वाल द्वारा तारीख 9 मई, 2017 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश टेहरी गढ़वाल ने यह निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और दंड संहिता की धारा 306 के अधीन पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया ।

3. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना गया और निचले न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

4. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 18 मार्च, 2016 को शिकायतकर्ता मस्तान सिंह ने यह कथन करते हुए पुलिस थाना कीर्ति नगर टेहरी गढ़वाल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की कि उस दिन उसका भाई धीरेन्द्र अपने मकान में अकेला था । शिकायतकर्ता किसी कार्य से श्रीनगर गया हुआ था । उसकी माता, उसकी पत्नी और धीरेन्द्र की पत्नी लकड़ी लेने के लिए जंगल पर गई हुई थीं । जब वे लगभग 1.00-2.00

बजे अपराह्न वापस आए तब धीरेन्द्र की पत्नी अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए गई जो अन्दर से बंद था । उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलने के लिए कहा । जब दरवाजा खोला नहीं गया था तब उसने रोशनदान से यह देखा कि उसका पति धीरेन्द्र पंखे पर लटका हुआ था । उसने रोना प्रारंभ कर दिया जिस कारण उसके कुटुम्ब के सदस्य और गांववासी वहां पर इकट्ठा हुए । गांव प्रधान का पति अर्थात् भूपेन्द्र सिंह भी वहां पर था जिन्होंने पुलिस को सूचना दी । पुलिस के पहुंचने के पश्चात् गांववासियों की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया था और मृतक को नीचे उतारा गया था । उसके पायजामा की जेब से दो लिखे हुए कागजात प्राप्त किए गए थे । उन कागजातों पर उसने यह लिखा था कि उसकी आत्महत्या का कारण नरेन्द्र सिंह पुत्र केसर सिंह (पुनरीक्षणवादी) द्‌वारा परेशान किया जाना है । उसका भाई उसकी पत्नी और उससे कहा करता था कि नरेन्द्र सिंह ने यह कहकर उसे परेशान किया और साथ में धमकी भी दी कि वह सलाखों के पीछे उसके पूरे कुटुम्ब को डाल देगा । मृतक ने उसे यह भी बताया कि पुनरीक्षणवादी यह भी कहा करता है कि कागजात मोटरसाइकिल लेते समय जो मृतक द्‌वारा दिए गए थे, जाली हैं । इन सभी कारणों से उसके भाई ने विवश होकर आत्महत्या कर ली । आत्महत्या के टिप्पण को फोरेंसिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण करने के पश्चात् पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया था और दंड संहिता की धारा 306 के अधीन पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । विद्‌वान् मजिस्ट्रेट ने पक्षकारों के विद्‌वान् काउंसेल को सुना और सम्पूर्ण अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं और उसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 306 के अधीन पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए ।

5. पुनरीक्षण कर्ता के विद्‌वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए, तारीख 9

मई, 2017 का आरोप पत्र विधि की दृष्टि में गलत है । उन्होंने यह दलील दी कि ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता हो कि पुनरीक्षणवादी का मृतक को उत्प्रेरित करने में कोई सक्रिय भूमिका निभाने का आशय रहा । अभियोजन पक्ष का यह भी पक्षकथन नहीं है कि पुनरीक्षणवादी का कोई आपराधिक मन:स्थिति रही थी इसलिए पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 306 के अधीन कोई आरोप विरचित नहीं हो सकता । उन्होंने यह दलील दी कि पुनरीक्षणवादी की पत्नी ग्राम मेहरा गांव की उप प्रधान है और पुनरीक्षणवादी गांव के प्रतिष्ठित कुटुम्ब से संबंध रखता है । पक्षकारों के बीच राजनैतिक और चुनावी प्रतिस्पर्धा रही थी और प्रतिस्पर्धी समूह प्रतिस्पर्धी पक्षकारों से संबंधित है । उसके अतिरिक्त, पुनरीक्षणवादी के कुटुम्ब और प्रतिस्पर्धी पक्षकारों के सदस्यों के बीच पूर्व में मुकदमेबाजी भी थी और कई बार पुनरीक्षणवादी के कुटुम्ब के सदस्य और पिता ने मृतक के पिता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की थी । इस कारण से मिथ्या शिकायत दर्ज की गई थी और उन्होंने यह दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षी वे व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध या उनके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध पुनरीक्षणवादी या उसके पिता द्वारा शिकायतें की गई थीं । वे लोग पुनरीक्षणवादी या उसके अन्य कुटुम्ब के साथ विवाद में अन्तर्वलित थे । उन्होंने मिथ्या रूप से पुनरीक्षणवादी को फंसाया था । पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध उन साक्षियों के अत्यधिक हितबद्ध परिसाक्ष्य के आधार पर मिथ्या रूप से आरोप विरचित किए गए । उन्होंने यह दलील दी कि वही व्यक्ति आरोप पत्र के साक्षी हैं जिन्होंने पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के विरुद्ध कथन किए थे । उन्होंने यह भी दलील दी कि वर्ष 2013 में चुनाव के समय पक्षकारों के बीच विवाद हुआ था जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अधीन कार्यवाहियां प्रारंभ की गई थीं । पुनरीक्षणवादी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि मृतक ने जाली कागजातों के आधार पर मोटरसाइकिल क्रय करने के पश्चात् 22 मास के बाद तारीख 18 मार्च, 2016 को आत्महत्या की । उसके अवैध कार्यों में दो व्यक्ति अर्थात् नरेन्द्र सिंह बिष्ट सुपाना और राम प्रकाश

टमटा जो मोटरसाइकिल गुरू कृपा एजेंसी के अभिकर्ता थे, ने उसकी मदद की थी । पुनरीक्षणवादी कहीं भी घटना में नहीं था । केवल यह बात प्रकट हुई थी कि केवल पुनरीक्षणवादी और मृतक के कुटुम्ब के बीच लंबे समय से पूर्व में शत्रुता थी । उन्होंने यह दलील दी कि मृतक दोषी था, इसलिए, उसने आत्महत्या की । मृतक के उस कार्य के लिए पुनरीक्षणवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । उन्होंने यह भी दलील दी कि मृतक ने स्वयं जालसाजी की थी और भय के कारण उसने आत्महत्या कर ली । उन्होंने यह भी दलील दी कि यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि पुनरीक्षणवादी ने मृतक को जालसाजी करने या आत्महत्या करने के लिए उकसाया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण की अनिवार्यता से यह अभिप्रेत है कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए आपराधिक मन:स्थिति को प्रकट होना चाहिए तथा अभियुक्त की ओर से सक्रिय कार्य का किया जाना प्रकट होना चाहिए । उन्होंने यह दलील दी कि वर्तमान मामले में पुनरीक्षणवादी के आचरण से यह दर्शित नहीं होता है कि कोई आपराधिक मन:स्थिति रही थी । उन्होंने यह निवेदन किया कि आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की अध्यपेक्षा में आशय प्रकट होना चाहिए परंतु वर्तमान मामले में इसका अभाव है, इसलिए, अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा विरचित किया गया आरोप सही नहीं है । अपनी दलीलों को सहारा देने के लिए उन्होंने **संजू** उर्फ **संजय सिंह सेनगार** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] ; **स्वामी प्रहलाद दास** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया ।

6. दूसरी ओर श्री रमन कुमार शाह उप महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पर्याप्त सामग्री थी जिससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और आरोप सही तरीके से विरचित किया गया । उन्होंने यह दलील दी कि आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं

---

[1] (2002) 5 एस. सी. सी. 371 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1998.

[2] (1995) 3 एस. सी. सी. (सप्ली.) 438.

है और इसलिए पुनरीक्षणवादी द्वारा फाइल किया गया पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है ।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का भी परिशीलन किया ।

8. मृतक ने मोटरसाइकिल खरीदी थी । पुनरीक्षणवादी का यह पक्षकथन है कि मोटरसाइकिल जाली दस्तावेजों के आधार पर मृतक के नाम और पते में खरीदी गई थी क्योंकि उसने गलती महसूस की थी इसलिए, उसने आत्महत्या कर ली । परंतु आत्महत्या टिप्पण में उसने यह लिखा है कि उसने पुनरीक्षणवादी द्वारा तंग किए जाने के कारण आत्महत्या की है । पुनरीक्षणवादी मृतक से यह कहा करता था कि कागजात जो उसके द्वारा मोटरसाइकिल लेते वक्त दिए गए थे, जाली हैं और वह मृतक को फंसाएगा । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि पुनरीक्षणवादी मृतक को धमकी देकर परेशान किया करता था और मृतक के पूरे कुटुम्ब को सलाखों के पीछे डाल देगा । इस धमकी के कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली ।

9. **स्वामी प्रहलाद दास** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में झगड़े के दौरान अपीलार्थी ने मृतक से जाओ और मरो कहा था । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह कार्य इस उपधारणा पर अध्यपेक्षित आपराधिक मन:स्थिति को परिलक्षित नहीं करता है कि ये शब्द सभी घटनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मृतक द्वारा आत्महत्या किया जाना अपीलार्थी द्वारा बोले गए शब्दों के प्रत्यक्ष परिणाम थी । **मदन मोहन सिंह** बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अभियुक्त को फंसाने के लिए मृतक का आत्महत्या टिप्पण विभागीय शिकायत की प्रकृति में अधिक था जिसमें मृतक के बारे में किसी मानसिक असंतुलन को इंगित किया गया

---

[1] (2010) 8 एस. सी. सी. 628 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5101.

था जो उसने स्वयं तनाव के रूप में वर्णित किया है ।

10. **सरोज सिंह अहलावत और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरोप विरचित करने के मुद्दे पर विचार किया है । कुछ पैराओं का नीचे उल्लेख किया गया है :-

"15. इस न्यायालय ने पति की हैसियत को खारिज करते हुए विधि के मूल कारण के रूप में अपील भागत: मंजूर की । इस न्यायालय ने विधि की स्थिति का स्पष्टीकरण दिया है और न्यायालय द्वारा आरोपों को विरचित करने के प्रक्रम पर या निम्नलिखित शब्दों को उन्मोचित करने के निर्देश पर ग्रहण किए गए दृष्टिकोण पर भी स्पष्टीकरण दिया है ।

11. यह बात घिसी-पिटी है कि आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालने के विचार से अभिलेख पर प्रकट सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना अपेक्षित है यदि उनसे प्रकट तथ्य का मूल्यांकन करने पर अभिकथित अपराध को गठित करने वाले सभी संघटकों की विद्यमानता को प्रकट करने वाली बातों को भी मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है । इस प्रक्रम पर, न्यायालय से यह आशा नहीं की जाती है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का प्रमाणक मूल्य में गहराई से विचार करें । विचार किए जाने के लिए क्या जरूरी है यह है कि उपधारणा किए जाने का यह आधार कि अपराध किया गया है और अभियुक्त को सिद्धदोष करने का कोई आधार नहीं बनता । इस प्रक्रम पर, सामग्री पर आधारित प्रबल संदेह जो न्यायालय को उपधारणात्मक राय बनाने के लिए प्रेरित करता है जो कि अभिकथित अपराध गठित करने वाले तथ्यात्मक संगठनों की विद्यमानता के बारे में है जिनसे उक्त अपराध को किए जाने के बारे में अभियुक्त के बारे में आरोप विरचित करना न्यायोचित होगा ।"

---

[1] (2013) 11 एस. सी. सी. 476 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 52.

20. भारत संघ **बनाम** प्रफुल कुमार शामल और एक अन्य (1979) 3 एस. सी. सी. 4 = ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 366 वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का भी वही प्रभाव है जहां इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के संदर्भ में वैसे ही प्रश्न की परीक्षा की थी । विधि की स्थिति को संक्षेप में दिया गया है जो इस प्रकार है –

"10. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित नजीरों पर विचार करके निम्नलिखित सिद्धांत प्रकट होते हैं –

(1) कि न्यायाधीश संहिता की धारा 227 के अधीन आरोपों को विरचित करने के प्रश्न पर विचार करते हुए उसके पास निस्संदेह इस तरह की शक्ति है कि वह निष्कर्ष निकालने के सीमित प्रयोजन के लिए साक्ष्य को महत्व दें कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है या नहीं ;

(2) जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह प्रकट होता है जिसमें उचित रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तब न्यायालय आरोपों को विरचित करने के लिए पूर्ण रूप से न्यायसंगत कार्य करेगा और विचारण की कार्यवाही की ओर अग्रसर होगा ।

(3) प्रथमदृष्ट्या मामले को निर्धारित करने की कसौटी प्रत्येक मामले के तथ्यों पर स्वाभाविक रूप से निर्भर होगी और सार्वभौमिक अभिकथित नियम को लागू करने में कठिनाई होगी । तथापि, यदि दो मत समानत: संभव हैं और न्यायाधीश का इस बात से समाधान है कि उसके समक्ष पेश किया गया साक्ष्य में कुछ संदेह उत्पन्न होता है परंतु अभियुक्त के विरुद्ध कोई गंभीर संदेह नहीं है तब वह अपने अधिकार के अन्तर्गत पूर्ण रूप से अभियुक्त को उन्मोचित करेगा ।

(4) कि संहिता की धारा 227 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश वर्तमान संहिता के अधीन ज्येष्ठ और अनुभवी न्यायाधीश है । उसे केवल डाकघर या अभियोजन पक्ष की ओर से बोलने वाला नहीं कहा जा सकता परन्तु उसे मामले के व्यापक अधिसंभाव्यताओं, साक्ष्य के सम्पूर्ण प्रभाव तथा न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए, मामले में प्रकट होने वाले कोई आधारित कमियों आदि पर विचार करना चाहिए । तथापि, इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष-विपक्ष के हर पहलू की जांच गुरुतापूर्वक करनी चाहिए और साक्ष्य के महत्व पर भी ध्यान देना चाहिए जब वह विचारण पर कार्यवाही करता हो ।"

11. आरोप विरचित करने से यह अभिप्रेत नहीं होता है कि अभिकथन साबित किए गए हैं । जब विचारण प्रारंभ होता है तब अभियोजन पक्ष को तथा अभियुक्त को पूर्ण अवसर दिया जाता है जिससे कि वे न्यायालय के समक्ष अपने पक्षकथन को रखें, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोपों को सामान्य परिस्थितियों में अपास्त नहीं किया जा सकता । आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर, न्यायालय को मामले के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य पर विचार करना अपेक्षित है और उस आधार पर, क्या आरोप विरचित किए जा सकते हैं । न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है या नहीं । न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से गंभीर संदेह प्रकट होना पर्याप्त होना चाहिए । वर्तमान मामले में, पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध अभिकथन यह है कि वह मोटरसाइकिल को क्रय करने के समय पर उसके द्वारा किए गए कपट को प्रकट करने के लिए मृतक को धमकाया करता था । पुनरीक्षणवादी उस समय मृतक को उसके द्वारा किए गए कपट के बारे में उसे याद दिलाया करता था । इसके अतिरिक्त, पुनरीक्षणवादी मृतक को उसके अवैध कार्य करने पर फंसाने के लिए उसे धमकी भी देता था ।

क्या ऐसी धमकी देते समय अभियुक्त/पुनरीक्षणवादी का यह आशय रहा था कि मृतक को आत्महत्या करने के लिए विवश किया जाए ? यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई ऐसी आपराधिक मन:स्थिति वहां पर थी । उसके अवैध कार्य को इंगित करने से यह नहीं कहा जा सकता है कि आत्महत्या करने के लिए मृतक का दुष्प्रेरण किया गया था । पुनरीक्षणवादी के आशय के बारे में अधिकांश रूप से मृतक को भयादोहन करना कहा जा सकता है । निस्संदेह मृतक तनावग्रस्त था । चूंकि मृतक द्वारा मोटरसाइकिल क्रय करते समय जाली दस्तावेज पेश किए गए थे । उसकी दोषिता की मन:स्थिति उसकी आत्महत्या का भी कारण था । विचारण न्यायालय ने इस रीति में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है जिस रीति में इसने मामले का विनिश्चय किया । परिणामस्वरूप दांडिक पुनरीक्षण याचिका को मंजूर किया जाता है । विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश टेहरी गढ़वाल द्वारा तारीख 9 मई, 2017 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश तथा 2016 के विशेष सेशन विचारण सं. 16 में दंड संहिता की धारा 306 के अधीन तारीख 9 मई, 2017 को विरचित आरोप अपास्त किए जाते हैं ।

(बल देने के लिए रेखांकित किया गया ।)

पुनरीक्षण याचिका मंजूर की गई ।

आर्य

अताउल्लाह पुत्र अब्दुल गफूर

बनाम

कर्नाटक राज्य

तारीख 9 नवंबर, 2018

न्यायमूर्ति के. सोमाशेखर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 और 304क – उपेक्षा से मृत्यु – मिनीबस का उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाए जाने का अभिकथन – अभियुक्त द्वारा टायर फटने से दुर्घटना होने का अभिवाक् किया जाना – अभिलेख पर मिनीबस का उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाए जाने का कोई साक्ष्य न होना – बस के यात्रियों ने यह साक्ष्य दिया है कि बस धीमी रफ्तार में चल रही थी और दुर्घटना से ठीक पूर्व टायर फटने की आवाज भी आई थी, अतः यह साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्त द्वारा उपेक्षापूर्वक यान चलाने से मृतक की मृत्यु हुई है – इसलिए वह दोषमुक्त होने का हकदार है ।

याची-अभियुक्त द्वारा अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका फाइल की गई । पुनरीक्षण याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 12 फरवरी, 2006 को लगभग 1.45 बजे अपराह्न एक मिनी बस, रजिस्ट्रेशन सं. के ए 40-5949 जिसे याची-अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक रीति में गाड़ी चलाने के कारण गुडिबन्दे बागेपाल्ली सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुई जो नरशिवप्पानावर ग्रांडनट आयल मिल, अपराहल्ली ग्राम के नजदीक बागेपल्ली की ओर जा रही थी जिसके कारण उस स्थान का निवासी अश्वथामा की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और सक्षम साक्षी 1, 4 से 15 को साधारण क्षतियां पहुंची थीं और सक्षम साक्षी 2 और सक्षम साक्षी 3 को गंभीर और साधारण क्षतियां पहुंचीं थीं । शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत फाइल करने पर आपराधिक मामला सं. 18/2006 दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304क

और मोटर यान अधिनियम की धारा 156 के साथ पठित धारा 196 तथा धारा 3 के साथ पठित धारा 181 के अधीन दंडनीय अपराध रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अन्वेषक अधिकारी जिन्होंने मामले का अन्वेषण किया, उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष सी. सी. सं. 16/2007 में पूर्वोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से 22 सभी की परीक्षा की और प्रदर्श पी-1 से पी-26 चिन्हित किए । इसके पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अपराध में फंसाने वाले कथन अभिलिखित किए जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अनुध्यात किया गया है । तत्पश्चात्, विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के काउंसेल द्वारा की गई दलीलों को सुनने के पश्चात् अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304क के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषसिद्ध किया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अभियुक्त द्वारा दांडिक अपील सं. 39/2009 में प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । प्रथम अपील न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुन:मूल्यांकन करने के पश्चात् तारीख 31 अगस्त, 2009 के सी. सी. सं. 16/2007 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध मामले को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है । जबकि अभियोजन पक्ष के लिए दंड संहिता की धारा 279 के संघटकों के संबंध में अभियुक्त को दोषी सिद्ध करना अपेक्षित है । यद्यपि, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को दोषी साबित करने के लिए कई साक्षियों की परीक्षा की है और कई दस्तावेजों को चिन्हित किया है, परंतु अभियोजन पक्ष इस बारे में अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है कि दुर्घटना के समय पर आघाती मिनीबस को कौन चला रहा था । दंड संहिता की धारा 279 के संबंध में संघटकों को अभियोजन पक्ष द्वारा अकाट्य और संपुष्ट साक्ष्य देकर सिद्ध नहीं किया गया है । इस बारे में गंभीर विवाद है कि नाजिर नामक व्यक्ति के बारे में ड्राइवर होना कहा गया था और उक्त ड्राइवर ने

आघाती यान को चलाने के लिए क्लीनर मंजू को दिया था और उक्त मंजू उस सुसंगत समय पर यान का ड्राइवर था । उक्त नाजिर फरार हो गया था और याची-अभियुक्त को वर्तमान मामले में प्रेरित किया गया । राथनाम्मा ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि सड़क पर गड्ढा था और उस गड्ढे के कारण मिनीबस तेज गति से नहीं चलाई जा सकी । गड्ढे के कारण मिनीबस सड़क के बाईं ओर उलट गई जिसके परिणामस्वरूप एक यात्री की मृत्यु हो गई और अन्य यात्रियों को क्षति पहुंची । तथापि, महाजर के आधार को अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि अश्वथामा को क्षतियां पहुंचने के कारण घटनास्थल पर यात्री होने पर मृत्यु होना कहा गया है । इस तरह भी अन्य साक्षियों को पहुंची क्षतियों के बारे में कोई विवाद नहीं किया गया है जिन्हें अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए परीक्षित किया गया था । निचले न्यायालयों ने याची-अभियुक्त द्वारा अपनी शनाख्त और अपराध में शामिल होने के बारे में दी गई प्रतिरक्षा पर ध्यान नहीं दिया है जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि नाजिर नामक व्यक्ति दुर्घटना के अभिकथित घंटों में यान का ड्राइवर था और दुर्घटना घटने के तत्काल पश्चात् वह फरार हो गया था और वर्तमान याची को ड्राइवर के रूप में वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है जो अभिकथित अपराध में निर्दोष है । यद्यपि, अभि. सा. 12, 15 और 16 ने याची की इस रूप में शनाख्त नहीं की है कि वह घटना की तारीख को मिनीबस का ड्राइवर था । निचले न्यायालय इस बात की ओर ध्यान देने में विफल हुए हैं कि अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षा में कि दुर्घटना से पूर्व जोर की आवाज सुनाई दी जब मिनीबस खाई की ओर गई और इसके पश्चात्, सड़क के बाईं ओर यान का बायां अगला पहिया फट गया जिस बात पर सभी साक्षियों द्वारा इनकार किया गया है । साक्ष्य के इस भाग पर दोनों निचले न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है । जब अभियुक्त की प्रतिरक्षा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से प्रकट स्वीकृति के फलस्वरूप साबित की गई है तब अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में उल्लेख करने की

जरूरत नहीं है । निचले न्यायालयों ने विधि के उपबंध का गलत अर्थ निकाल कर अवैधता बरती है और गलत निष्कर्ष निकाल कर स्वयं चूक की है । गलत निर्देश दिया है । निचले न्यायालयों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में यह प्रतिरक्षा ली गई कि जिससे संगत रूप से यह सुझाव मिलता है कि घटनास्थल पर सड़क में निरंतर एक बड़ी खाई बनी हुई थी । सड़क मिनीबस को तेज गति से चलाने की स्थिति में नहीं थी और मिनीबस तेज गति से नहीं चल रही थी बल्कि हल्के गति से चल रही थी, इसलिए, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं थी । कई अभियोजन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त यान का ड्राइवर नहीं था । इसके अतिरिक्त यह भी साबित किया गया है कि नियमित ड्राइवर ने कुछ दूरी के पश्चात् एक दूसरे व्यक्ति को यान चलाने के लिए दिया था । इसलिए, दुर्घटना याची-अभियुक्त द्वारा यान को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण घटित नहीं हुई । निचले न्यायालय ने अभिलेख पर इस साक्ष्य का मूल्यांकन उचित परिप्रेक्ष्य में करने में विफल हुए हैं और तदुपरि, गलत निष्कर्ष निकाला । अत:, इस याचिका में संपूर्ण साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में पुन:मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है जिसमें अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है । पूर्वोक्त साक्षियों के साक्ष्य पर दृष्टिगत करते हुए और अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्रियों पर भी यह कहा गया है कि मिनीबस/मैक्सीकैब जिसे घटना की तारीख को अभियुक्त द्वारा चलाया गया था, वहां पर सड़क में कई गड्ढे पाए गए थे और उक्त यान का अग्र पहिया सामने से फटा हुआ था और यान सड़क के बाएं ओर चला गया और उलट गया जिसके परिणामस्वरूप अश्वथामा की गंभीर क्षतियां पहुंचने के कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और अन्य यात्रियों को क्षतियां पहुंचीं । इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि मैक्सीकैब उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाई गई थी और जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना घटित हुई । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि मिनीबस पेड़ से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई

या सामने के यानों के सिरे पर टकराई थी या सड़क के दूसरी ओर किसी अन्य वस्तु से भी टकराई । दोनों निचले न्यायालयों द्वारा परिप्रेक्ष्य में मामले के इस पहलू का मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, अभियोजन के साक्ष्य को सरसरी तौर पर दृष्टि डालने के बजाय अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का पुन:मूल्यांकन करना अपेक्षित है । विचारण न्यायालय ने सी. सी. सं. 16/2007 में और क्रिमिनल अपील सं. 39/2009 में प्रथम अपील न्यायालय ने परिवाद में किए गए अभिकथनों के संबंध में अभियोजन के संपूर्ण साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला है तथा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध करके गलत निपटान भी किया है । तथापि, इस पुनरीक्षण याचिका में अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का पुन:मूल्यांकन करके हस्तक्षेप करना अपेक्षित है और निचले न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों पर पुनरीक्षित करें । याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यान की गति का इस तथ्य की वजह से हमेशा अवधारणा नहीं की जाती है कि क्या यान उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक रीति में चलाया गया था । जहां सड़क खुली हुई थी और सड़क की दशा ठीक थी, ड्राइवर ने सामान्य गति में अपने यान को चलाने में न्यायसंगत कार्य किया था । वर्तमान मामले में यह तथ्य कि मिनीबस/मैक्सीकैब रजिस्ट्रेशन सं. के ए 40-5949 कई गड्ढे होने की वजह से उलट गई जो सड़क पर पाए गए थे और यह सड़क के बाईं ओर चली गई और उलट गई जिसके परिणामस्वरूप, अश्वथामा की उक्त दुर्घटना के कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और अन्य यात्रियों को क्षतियां कारित हुईं । अभियुक्त को उक्त मिनीबस तेज गति से चलाने के लिए आरोपित किया गया था किंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि यान/मिनीबस को उसके द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाया गया था । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त की दोषिता को साबित करने पर अपराध नहीं बना था । (पैरा 23, 24, 26, 27, 31 और 28)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 117.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण याचिका ।

याची की ओर से श्री हशमत पाशा

प्रत्यर्थी की ओर से राज्य लोक अभियोजक, के. पी. योगान्ना, एच. सी. जी. पी.

न्यायमूर्ति के. सोमाशेखर – याची-अभियुक्त ने 2009 की दांडिक अपील सं. 39 में प्रथम अपील न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की है जिसमें 2007 के सी. सी. सं. 16 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश की पुष्टि की गई है ।

2. याची-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था तथा दंड संहिता की धारा 279 के अधीन अपराध के लिए 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, दंड संहिता की धारा 337 के अधीन अपराध के लिए 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का भी निदेश दिया गया तथा इसके अतिरिक्त 500 रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर दंड संहिता की धारा 338 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक मास का कारावास का दंडादेश दिया गया । इसके अतिरिक्त, उसे दंड संहिता की धारा 304क के अपराध के अधीन 1000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने और 1½ वर्ष का साधारण कारावास भोगने का निदेश दिया गया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर याची-अभियुक्त ने 2009 के दांडिक अपील सं. 39, अपील फाइल की जिसमें प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश की पुष्टि की । याची-अभियुक्त द्वारा उक्त निर्णय और आदेश को विभिन्न आधारों पर अनुरोध करते हुए चुनौती दी थी ।

3. पुनरीक्षण याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 12 फरवरी, 2006 को लगभग 1.45 बजे अपराह्न एक मिनी बस, रजिस्ट्रेशन सं. के ए 40-5949 जिसे याची-अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक रीति में गाड़ी चलाने के कारण गुडिबन्दे बागेपाल्ली सड़क पर

दुर्घटनाग्रस्त हुई जो नरशिवप्पानावर ग्रांडनट आयल मिल, अपराहल्ली ग्राम के नजदीक बागेपल्ली की ओर जा रही थी जिसके कारण उस स्थान का निवासी अश्वथामा की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और सक्षम साक्षी 1, 4 से 15 को साधारण क्षतियां पहुंचीं थीं और सक्षम साक्षी 2 और सक्षम साक्षी 3 को गंभीर और साधारण क्षतियां पहुंचीं थीं । शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत फाइल करने पर आपराधिक मामला सं. 18/2006 दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304क और मोटर यान अधिनियम की धारा 156 के साथ पठित धारा 196 तथा धारा 3 के साथ पठित धारा 181 के अधीन दंडनीय अपराध रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

4. अन्वेषक अधिकारी जिन्होंने मामले का अन्वेषण किया, उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष सी. सी. सं. 16/2007 में पूर्वोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से 22 सभी की परीक्षा की और प्रदर्श पी-1 से पी-26 चिन्हित किए । इसके पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अपराध में फंसाने वाले कथन अभिलिखित किए जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अनुध्यात किया गया है । तत्पश्चात्, विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के काउंसेल द्वारा की गई दलीलों को सुनने के पश्चात् अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304क के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषसिद्ध किया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अभियुक्त द्वारा दांडिक अपील 39/2009 में प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । प्रथम अपील न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुन:मूल्यांकन करने के पश्चात् तारीख 31 अगस्त, 2009 के सी. सी. सं. 16/2007 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी ।

5. याची-अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री हशमत पाशा और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से श्री के. पी. योगान्ना विद्वान् एच. सी. जी. पी. को सुना ।

6. याची की ओर से विद्वान् काउंसेल ने अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की ओर मेरा ध्यान दिलाया । उन्होंने यह दलील दी कि दोनों निचले न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विफल हुए हैं कि आघाती मैक्सीकैब अभियुक्त के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण नहीं गिरी किंतु ऐसा सड़क के गड्ढे पर गिरने की वजह से हुआ और जब गाड़ी उक्त गड्ढे के ऊपर से गुजर रही थी, पहिए के अग्र बाईं ओर फटाव हुआ परिणामस्वररूप मैक्सीकैब बाईं ओर उलट गई जो ड्राइवर के नियंत्रण में नहीं थी । घटनास्थल पर सड़क के गड्ढे की मौजूदगी को अभि. सा. 14, अभि. सा. 17, अभि. सा. 18 और अभि. सा. 22 के साक्ष्य में साबित किया गया है, अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 18 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मैक्सीकैब का टायर उक्त गड्ढे की वजह से फट गया । निचले न्यायालयों द्वारा इस साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है जिससे न्याय की अपहानि हुई है ।

7. उन्होंने यह भी दलील दी है कि निचले न्यायालयों ने विधि के उपबंध का गलत रूप से निर्वचन करके गंभीर अवैधानिकता बरती है और गलत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें गलत निर्देश दिया/विवश किया । दोषिता के सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है । अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि मैक्सीकैब उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना गाड़ियों की टक्कर की वजह से नहीं हुई बल्कि केवल सड़क पर गड्ढे की मौजूदगी की वजह से हुई और उक्त गड्ढे की वजह से मैक्सीकैब के पहिए के अग्र बायां भाग फट गया था जिसके परिणामस्वरूप गाड़ी पलट गई थी ।

8. उन्होंने यह भी दलील दी है कि अभियुक्त दुर्घटना के समय पर मैक्सीकैब, रजिस्ट्रेशन सं. के ए 40-5949 का ड्राइवर नहीं था परंतु नाजिर के बारे में ड्राइवर होना कहा गया था और उक्त ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए दी गई थी जिसे मंजू नामक क्लीनर द्वारा दी गई थी और उक्त मंजू दुर्घटना के समय पर गाड़ी का ड्राइवर था । इस तथ्य को अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य द्वारा साबित किया गया

है । निचले न्यायालय इस साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में विफल हुए हैं ।

9. यह भी दलील दी गई कि अभिकथित घटनास्थल महाजर प्रदर्श पी-4 और घटनास्थल का कच्चा नक्शा प्रदर्श पी-26 का अभिकथित घटना से मिलान नहीं किया गया था और सड़क पर टायर चिन्हों की शनाख्त नहीं हुई है और महाजर साक्षी अभि. सा. 17, अभि. सा. 18 और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अभि. सा. 16 के अभियोजन मामले से त्याग (gobye) दिया गया और अभि. सा. 15 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि दुर्घटना के समय पर, एक क्लीनर गाड़ी को चला रहा था और न कि याची/इन सभी आधारों पर, निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों को अपास्त करके इस पुनरीक्षण याचिका को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

10. याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर प्रतिवाद किया गया जैसाकि ऊपर कथित है, विद्वान् एच. सी. जी. पी. ने निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णयों का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए संपूर्ण साक्ष्य का ठीक ही मूल्यांकन किया है और अभियुक्त को पूर्वोक्त अपराधों के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । उन्होंने यह दलील दी है कि याची-अभियुक्त की ओर से उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना घटित हुई है और अश्वथामा की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई जो गंभीर क्षतियों के कारण हुई । अन्य यात्रियों को भी गंभीर और साधारण क्षतियां पहुंचीं थीं । उन्होंने यह दलील दी है कि 2009 की दांडिक अपील सं. 39 में प्रथम अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करके याची द्वारा फाइल की गई अपील को ठीक ही खारिज किया है । उन्होंने यह दलील दी है कि निचले न्यायालयों ने निष्कर्ष को अभिलिखित करने में कोई गलती नहीं की है जिससे कि आघाती मैक्सीकैब के ड्राइवर के रूप में अभियुक्त के अंतर्वलन की शनाख्त की गई । उन्होंने यह भी दलील दी है कि निचले न्यायालयों द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश विधि के अधीन

पूर्ण रूप से न्यायसंगत हैं और कोई ऐसे अच्छे आधार नहीं हैं । अभियुक्त द्वारा ऐसे कोई आधार प्रकट नहीं किए हैं जिस पर इस न्यायालय का कोई हस्तक्षेप करना हो । अतः, उन्होंने यह दलील दी है कि इस न्यायालय के लिए कोई जरूरी नहीं है, निचले न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों में हस्तक्षेप करें और पुनरीक्षण याचिका को खारिज करवाने की ईप्सा करें ।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याची के विद्वान् काउंसेल तथा विद्वान् एच. सी. जी. पी. ने कठोर दलीलें दीं । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि रामलिंगप्पा (अभि. सा. 1) जिन्होंने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि नाराशीवाप्पा, मिल, अपराहल्ली ग्राम के नजदीक पिछले लगभग एक साल 3 मास को मैक्सीकैब जिसमें वह यात्रा कर रहा था, उलट गई जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना घटी, पूर्वोक्त मैक्सीकैब में अश्वथामा नाम का व्यक्ति यात्री था जिसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । उसे अन्य 15 यात्रियों सहित क्षतियां भी पहुंचीं थीं । उसके शरीर पर कई भागों में क्षतियां पहुंचीं । उसे प्रारंभ में सरकारी अस्पताल, गुडिबन्दे पर उपचार दिलाया गया और इसके पश्चात्, उसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल बेंगलूरू पर भर्ती किया गया था । पूर्वोक्त मैक्सीकैब के ड्राइवर द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक उसे चलाया गया था जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह मैक्सीकैब के ड्राइवर के नाम को नहीं जानता है और उसे उक्त यान की संख्या का भी पता नहीं है । उसने प्रतिपरीक्षा में घटना के स्थान के बारे में कथन किया है और कई व्यक्ति यात्रा कर रहे थे और वहां पर गड्ढे भी थे । दुर्घटना के स्थान से 50 मीटर के नजदीक ठोस स्थान था और इसके पश्चात्, मैक्सीकैब सड़क के बाईं ओर उलट गई थी जिसके परिणामस्वरूप, मैक्सीकैब का सामने का पहिया फट गया था । उसने यह कथन किया है कि वह पूर्वोक्त मैक्सीकैब के ड्राइवर का नाम नहीं जानता है ।

12. अनजिनाम्मा (अभि. सा. 2) जिसके बारे में क्षतिग्रस्त व्यक्ति होना कहा गया है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे उसके बाएं पैर पर क्षतियां पहुंचीं और दाहिने पैर में अस्थिभंग भी हुआ था ।

उसका प्रारंभ में सरकारी अस्पताल गुडिबन्दे पर उपचार चला और इसके पश्चात्, उसे संजय गांधी अस्पताल पर स्थानांतरित किया गया । वह मैक्सीकैब के ड्राइवर के नाम को नहीं जानता है । उससे प्रतिपरीक्षा भी की गई थी जहां उसने यह कथन किया है कि पुलिस ने उस घटना के बारे में कोई पूछताछ नहीं की और उसे अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित अन्तर्वस्तु के बारे में पता नहीं है । वह मैक्सीकैब के नम्बर के बारे में पुलिस के समक्ष कोई कथन नहीं कर सकी ।

13. अनजिनप्पा जिसके बारे में क्षतिग्रस्त व्यक्ति होना कहा गया है, ने यह कथन किया है कि उसके चेहरे के बाईं ओर तथा बाएं हाथ पर भी क्षतियां पहुंचीं तथा कुल मिलाकर 15 व्यक्तियों को क्षतियां पहुंचीं । दुर्घटना के कारण अश्वथामा नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल, गुडिबन्दे पर ले जाया गया था और इसके पश्चात्, अस्पताल चिकबालापुर ले जाया गया था । उसे मैक्सीकैब का नम्बर का पता नहीं है और उसे मैक्सीकैब के ड्राइवर का नाम मालूम नहीं है । यदि उसने ड्राइवर को देखा होता तो वह मैक्सीकैब के ड्राइवर की शनाख्त करने में समर्थ होता । दुर्घटना के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा था और इसके पश्चात्, क्या घटित हुआ उसे पता नहीं है ।

14. डोडानारायणनप्पा (अभि. सा. 4) के बारे में क्षतिग्रस्त व्यक्ति होना कहा गया है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मैक्सीकैब के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसे सिर और कमर के भागों पर भी क्षतियां पहुंचीं । दुर्घटना के कारण अश्वथामा नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । उसे सरकारी अस्पताल, गुडिबन्दे पर उपचार के लिए ले जाया गया था और इसके पश्चात्, उसे चिकबालापुर, अस्पताल को स्थानांतरित किया गया था । उसे मैक्सीकैब का नम्बर याद नहीं है और यदि ड्राइवर उसे दिखाई देता तो वह उसकी शनाख्त करने में समर्थ होता । उसे मैक्सीकैब के ड्राइवर के नाम का पता नहीं है परंतु उसने मामले के बारे में पुलिस के समक्ष कथन किया है । उसने प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से इस सुझाव से इनकार किया है कि आघाती मैक्सीकैब का ड्राइवर इस वाहन को उतावलेपन से और

उपेक्षापूर्वक रीति में चला रहा था ।

15. जी. वी. रवीचन्द्र (अभि. सा. 5) के बारे में क्षतिग्रस्त होना कहा गया है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे दुर्घटना के कारण कमर के बाईं ओर और गालों तथा बाएं पैर पर भी क्षतियां पहुंचीं । उसने प्रदर्श पी-1 पर अपने हस्ताक्षर किए हैं । इस साक्षी से स्पष्ट और प्रभावशील प्रतिपरीक्षा की गई । अपराध के स्थान पर गड्ढा था और मैक्सीकैब उलट गई थी और पहियों के आगे भाग में छिद्र हो गया था । उसे इस बारे में पता नहीं है कि क्या मैक्सीकैब नाले में गिर गई थी ।

16. सालेम्मा (अभि. सा. 6) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अश्वथामा जो मैक्सीकैब में यात्री था, उसे गंभीर क्षतियां पहुंचने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । अन्य यात्रियों को भी ड्राइवर द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक मिनीबस चलाने की वजह से भी क्षतियां पहुंचीं । उसने ड्राइवर को देखकर उसकी शनाख्त की होगी । उसने प्रति-परीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसे यह जानकारी नहीं है कि उसने पुलिस के समक्ष क्या कथन किया था । उसने मैक्सीकैब की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा । मृतक अश्वथामा को पहुंची क्षतियों के बारे में उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया था जिसकी घटनास्थल पर मृत्यु हुई ।

17. आदिलक्षम्मा जिसके बारे में क्षतिग्रस्त व्यक्ति होना कहा गया है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अश्वथामा जो मिनीबस में यात्री था यदि उसकी क्षतियां पहुंचने के कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । यदि ड्राइवर को उसने देखा होता तो वह उसकी शनाख्त करने में समर्थ होती क्योंकि वह ड्राइवर के पीछे खड़ी थी । उसे बस की संख्या के बारे में पता नहीं है । मिनीबस के ड्राइवर द्वारा अत्यधिक तेज गति से मिनीबस चला रहा था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसे यह पता नहीं है कि मिनीबस को पहियों की फटने की वजह से दुर्घटना घटित हुई थी ।

18. राथनम्मा, अदीरेड्डी (अभि. सा. 10), ओबालाम्मा (अभि. सा.

11) जिनके बारे में क्षतिग्रस्त होना कहा गया है, मिनीबस में यात्री थे । इन साक्षियों से स्पष्ट और प्रभावशील प्रतिपरीक्षा की गई । नारायण स्वामी (अभि. सा. 12) अभियोजन पक्षकथन पर पक्षद्रोही हो गया था । उसने यह कथन किया था कि तारीख 22 मार्च, 2006 को उसने घटना के बारे में कोई कथन नहीं किया था कि 12 फरवरी, 2006 को घटना घटित हुई । उसने मिनीबस की संख्या नहीं देखी। उसने इस बात से इनकार किया है कि यान के ड्राइवर की ड्राइविंग के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक दुर्घटना घटित हुई थी । उसने यह कथन किया है कि उसे दुर्घटना के स्थान पर गड्ढे के बारे में पता नहीं था और उसने मिनीबस के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी । उसे यह स्मरण नहीं है कि यान का बायां पहिया फट गया और उसमें छेद हो गया था ।

19. अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 22) है जिन्होंने आरोप पत्र प्रस्तुत किया है । उन्होंने साक्षियों की उपस्थिति में प्रदर्श पी-4 के अनुसार घटनास्थल महाजर बताया । उसने यह कथन किया है कि महाजर पंच साक्षियों की मौजूदगी में तैयार किया गया था और साक्षियों का कथन अभिलिखित किया । उसने मृतक अश्वथामा की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 के अनुसार प्राप्त की । उसने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गुडीबान्दे-बागेपाल्ली सड़क पर गड्ढा था और उसकी मरम्मत नहीं की गई थी । दुर्घटना के स्थान पर नाला है । मिनीबस सड़क के बाएं ओर उलट गई । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि गड्ढे के कारण मिनीबस सड़क के बाईं ओर उलट गई थी । उसने यह कथन किया है कि उसे इस बारे में पता नहीं है कि क्या क्लीनर मिनीबस चला रहा था ।

20. यहां पर यह उल्लेख करना सुसंगत है कि अभि. सा. 22 अन्वेषक अधिकारी रहा है जिन्होंने अन्य साक्षियों सहित अभि. सा. 7 से अभि. सा. 12 क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध किए, मनोज जिसके बारे में मिनीबस का क्लीनर होना कहा गया है, का कथन लेखबद्ध नहीं किया जो घटना का निर्णायक साक्षी था । उक्त मनोज ने अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी के समक्ष कोई कथन नहीं दिया

था और यद्‌यपि अन्वेषक अधिकारी ने उक्त मंजू के कथन को लेखबद्ध करने का कोई साहस नहीं जुटाया । इस महत्वपूर्ण पहलू पर 2007 के सी. सी. सं. 16 में विचारण न्यायालय द्‌वारा विचार नहीं किया गया है । यद्‌यपि, प्रथम अपील न्यायालय अभियोजन पक्ष द्‌वारा पेश किए गए साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में पुन:मूल्यांकन करने में विफल हुआ है जिस वजह से याची के मामले में न्याय की अपहानि हुई है । दंड संहिता की धारा 279 के संघटक अर्थात् सार्वजनिक रास्ते पर उतावलेपन से गाड़ी चलाना, को अभियोजन पक्ष द्‌वारा अभियुक्त की दोषिता को साबित नहीं किया गया है । अत:, इस याचिका में अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य का पुन:मूल्यांकन करना अपेक्षित है ।

21. यह कथन सुसंगत है कि प्रदर्श पी-4 घटनास्थल का महाजर है, जिसे अन्वेषक अधिकारी होते हुए अभि. सा. 22 द्‌वारा तैयार किया जाना कहा गया है । उसने कच्चा नक्शा, प्रदर्श पी-26 तैयार किया है । सड़क पर टायर के चिह्नों की पहचान नहीं हुई है । अभि. सा. 15 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभिकथित घटना के समय पर एक क्लीनर अभिकथित मिनीबस को चला रहा था । परंतु उसने अन्वेषक अधिकारी के समक्ष कोई कथन नहीं किया है और अन्वेषक अधिकारी ने उसके कथन को लेखबद्ध करने के लिए साहसिक कार्य नहीं किया है जो अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए निर्णायक साक्षी था । विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे मामले को साबित किया है । यद्‌यपि, प्रथम अपील न्यायालय अभियुक्त द्‌वारा फाइल की गई अपील को खारिज करते हुए मामले के इस पहलू का पुन:मूल्यांकन करने में विफल हुआ है ।

22. निचले न्यायालय इस बात की ओर ध्यान देने में विफल हुए हैं कि डाक्टर जिन्होंने अश्वथामा के शव की शव परीक्षा की और प्रदर्श पी-6 के अनुसार रिपोर्ट दी और उनके द्‌वारा प्रदर्श पी-7 से पी-21 घाव प्रमाणपत्र जारी किया गया और अभि. सा. 22 द्‌वारा पेश आरोप पत्र में उन्हें सम्मिलित किया गया था, उसकी अभियोजन पक्ष द्‌वारा परीक्षा

नहीं की गई थी । इससे याची के मामले में न्याय की अपहानि हुई है । इस पुनरीक्षण याचिका में अपराध को गठित करने के बारे में संघटकों के प्रयोजन के लिए दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304क का सार सुसंगत है ।

"279. **लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना** – जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

337. **ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए** – जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

338. **ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए** – जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

304क. **उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना** – जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की

मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

23. अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध मामले को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है । जबकि अभियोजन पक्ष के लिए दंड संहिता की धारा 279 के संघटकों के संबंध में अभियुक्त को दोषी सिद्ध करना अपेक्षित है । यद्यपि, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को दोषी साबित करने के लिए कई साक्षियों की परीक्षा की है और कई दस्तावेजों को चिन्हित किया है, परंतु अभियोजन पक्ष इस बारे में अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हुआ है कि दुर्घटना के समय पर आघाती मिनीबस को कौन चला रहा था । दंड संहिता की धारा 279 के संबंध में संघटकों को अभियोजन पक्ष द्वारा अकाट्य और संपुष्ट साक्ष्य देकर सिद्ध नहीं किया गया है । इस बारे में गंभीर विवाद है कि नाजिर नामक व्यक्ति के बारे में ड्राइवर होना कहा गया था और उक्त ड्राइवर ने आघाती यान को चलाने के लिए क्लीनर मंजू को दिया था और उक्त मंजू उस सुसंगत समय पर यान का ड्राइवर था । उक्त नाजिर फरार हो गया था और याची-अभियुक्त को वर्तमान मामले में प्रेरित किया गया ।

24. राथनाम्मा (अभि. सा. 9) ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि सड़क पर गड्ढा था और उस गड्ढे के कारण मिनीबस तेज गति से नहीं चलाई जा सकी । गड्ढे के कारण मिनीबस सड़क के बाईं ओर उलट गई जिसके परिणामस्वरूप एक यात्री की मृत्यु हो गई और अन्य यात्रियों को क्षति पहुंची । तथापि, महाजर के आधार को अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि क्षतियां पहुंचने के कारण घटनास्थल पर यात्री के रूप में अश्वथामा की मृत्यु हुई है । इस तरह भी अन्य साक्षियों को पहुंची क्षतियों के बारे में कोई विवाद नहीं किया गया है जिन्हें अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए परीक्षित किया गया था । निचले न्यायालयों ने याची-अभियुक्त द्वारा अपनी शनाख्त और अपराध में शामिल होने के बारे में दी गई प्रतिरक्षा

पर ध्यान नहीं दिया है जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि नाजिर नामक व्यक्ति दुर्घटना के अभिकथित घंटों में यान का ड्राइवर था और दुर्घटना घटने के तत्काल पश्चात् वह फरार हो गया था और वर्तमान याची को ड्राइवर के रूप में वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है जो अभिकथित अपराध में निर्दोष है । यद्यपि, अभि. सा. 12, 15 और 16 ने याची की इस रूप में शनाख्त नहीं की है कि वह घटना की तारीख को मिनीबस का ड्राइवर था ।

25. निचले न्यायालयों ने केवल इस कारण यान के स्वामी अभि. सा. 21 के साक्ष्य को अस्वीकार करके गलती की है कि वह अभियुक्त का पिता है, जबकि अभि. सा. 21 ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त उसका पुत्र नहीं है । अभि. सा. 21 का नाम अब्दुल गफ्फार है न कि अब्दुल गफूर । विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण अपनाकर याची के मामले में न्याय की अपहानि की है ।

26. निचले न्यायालय इस बात की ओर ध्यान देने में विफल हुए हैं कि अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षा में कि दुर्घटना से पूर्व जोर की आवाज सुनाई दी जब मिनीबस खाई की ओर गई और इसके पश्चात्, सड़क के बाईं ओर यान का बायां अगला पहिया फट गया जिस बात पर सभी साक्षियों द्वारा इनकार किया गया है । साक्ष्य के इस भाग पर दोनों निचले न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है । जब अभियुक्त की प्रतिरक्षा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से प्रकट स्वीकृति के फलस्वरूप साबित की गई है तब अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में उल्लेख करने की जरूरत नहीं है । निचले न्यायालयों ने विधि के उपबंध का गलत अर्थ निकाल कर अवैधता बरती है और गलत निष्कर्ष निकाल कर स्वयं चूक की है । गलत निर्देश दिया है ।

27. निचले न्यायालयों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में यह प्रतिरक्षा ली गई कि जिससे संगत रूप से यह सुझाव मिलता है कि घटनास्थल पर सड़क में निरंतर एक बड़ी खाई बनी हुई थी । सड़क मिनीबस को तेज गति से चलाने की स्थिति में नहीं थी और मिनीबस तेज गति से नहीं चल रही थी बल्कि

धीमी गति से चल रही थी, इसलिए, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं थी । कई अभियोजन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त यान का ड्राइवर नहीं था । इसके अतिरिक्त यह भी साबित किया गया है कि नियमित ड्राइवर ने कुछ दूरी के पश्चात् एक दूसरे व्यक्ति को यान चलाने के लिए दिया था । इसलिए, दुर्घटना याची-अभियुक्त द्वारा यान को उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण घटित नहीं हुई । निचले न्यायालय ने अभिलेख पर इस साक्ष्य का मूल्यांकन उचित परिप्रेक्ष्य में करने में विफल हुए हैं और तदुपरि, गलत निष्कर्ष निकाला । अतः, इस याचिका में संपूर्ण साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में पुनःमूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है जिसमें अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है ।

28. याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यान की गति का इस तथ्य की वजह से हमेशा अवधारणा नहीं की जाती है कि क्या यान उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक रीति में चलाया गया था । जहां सड़क खुली हुई थी और सड़क की दशा ठीक थी, ड्राइवर ने सामान्य गति में अपने यान को चलाने में न्यायसंगत कार्य किया था । वर्तमान मामले में यह तथ्य कि मिनीबस/मैक्सीकैब रजिस्ट्रेशन सं. के ए 40-5949 कई गड्ढे होने की वजह से उलट गई जो सड़क पर पाए गए थे और यह सड़क के बाईं और चली गई और उलट गई जिसके परिणामस्वरूप, अश्वथामा की उक्त दुर्घटना के कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और अन्य यात्रियों को क्षतियां कारित हुई । अभियुक्त को उक्त मिनीबस तेज गति से चलाने के लिए आरोपित किया गया था किंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि यान/मिनीबस को उसके द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाया गया था । यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त की दोषिता को साबित करने पर अपराध नहीं बना था ।

29. जहां तक दंड संहिता की धारा 304क के अधीन अपराध का संबंध है, इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों पर लागू होते हैं जहां मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सभी संभाव्यताओं पर कार्य किया गया जिससे मृत्यु कारित हुई । धारा 304क में किसी व्यक्ति की मृत्यु उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में

घटित हुई, उसका आधार तत्व है । 'उपेक्षा' शब्द को निर्दिष्ट करता है और उसका केवल निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसी निन्दनीय असावधानी और व्यक्ति जिसने अपनी उपेक्षा के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाई हो, यह विधिक बाध्यता के अधीन है जो क्षति के पीड़ित को क्षतिपूर्ति करें जिसने नुकसानी के लिए भी अपकृत्य न्यायालयों के लिए वाद कर सकेगा । इस प्रकार, असावधानी से कारित की गई नुकसानी के लिए कोई आपराधिक दायित्व नहीं है ।

30. जबकि इस मामले में, अभियुक्त उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में यान चलाने के लिए दोषी पाया गया था जिससे अश्वथामा नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई और अन्य यात्रियों को क्षतियां पहुंची थीं और उसे विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304क के अधीन सिद्धदोष किया गया था । जहां तक दंड संहिता की धारा 279 के अधीन अपराध के संघटकों का संबंध है, अभियोजन पक्ष पर यह भार है कि अभियुक्त की दोषिता को साबित करें । उसमें कोई संदेह नहीं है कि कहानी में जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया कि अश्वथामा नामक व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई थी और पूर्वोक्त मिनीबस/मैक्सीकैब में यात्रियों के रूप में अन्य व्यक्तियों को भी क्षतियां पहुंची थीं । मंजू नामक व्यक्ति उक्त मिनीबस का क्लीनर रहा है, उसकी परीक्षा नहीं की गई और यद्यपि अन्वेषक अधिकारी ने पूर्वोक्त अपराधों के लिए अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उसने कथन को लेखबद्ध करने का प्रयास नहीं किया । अत: अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई, उस कहानी से अभियुक्त की दोषिता साबित नहीं होती है कि अभियुक्त ने अश्वथामा की मृत्यु कारित की है और उसने उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में आघाती यान को चलाया था ।

31. पूर्वोक्त साक्षियों के साक्ष्य पर दृष्टिगत करते हुए और अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई सामग्रियों पर भी यह कहा गया है कि मिनीबस/मैक्सीकैब जिसे घटना की तारीख को अभियुक्त द्वारा चलाया गया था, वहां पर सड़क में कई गड्ढे पाए गए थे और उक्त यान का अग्र पहिया सामने से फटा हुआ था और यान सड़क के बाएं ओर चला गया और उलट गया जिसके परिणामस्वरूप अश्वथामा की गंभीर क्षतियां पहुंचने के

कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और अन्य यात्रियों को क्षतियां पहुंचीं । इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि मैक्सीकैब उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक रीति में चलाई गई थी और जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना घटित हुई । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि मिनीबस पेड़ से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई या सामने के यानों के सिरे पर टकराई थी या सड़क के दूसरी ओर किसी अन्य वस्तु से भी टकराई । दोनों निचले न्यायालयों द्वारा परिप्रेक्ष्य में मामले के इस पहलू का मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, अभियोजन के साक्ष्य को सरसरी तौर पर दृष्टि डालने के बजाय अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का पुन:मूल्यांकन करना अपेक्षित है । विचारण न्यायालय ने सी. सी. सं. 16/2007 में और क्रिमिनल अपील सं. 39/2009 में प्रथम अपील न्यायालय ने परिवाद में किए गए अभिकथनों के संबंध में अभियोजन के संपूर्ण साक्ष्य का गलत अर्थ निकाला है तथा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध करके गलत निपटान भी किया है । तथापि, इस पुनरीक्षण याचिका में अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का पुन:मूल्यांकन करके हस्तक्षेप करना अपेक्षित है और निचले न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों पर पुनरीक्षित करें ।

पूर्वोक्त कारणों से याची-अभियुक्त द्वारा फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका को एतद्द्वारा मंजूर किया जाता है । परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय द्वारा सी. सी. सं. 16/2007 में तारीख 31 अगस्त, 2009 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश जिसकी पुष्टि प्रथम अपील न्यायालय द्वारा आपराधिक/दांडिक अपील सं. 39/2009 में तारीख 6 जनवरी, 2001 के अनुसार की गई थी, एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं । याची-अभियुक्त को उस पर लगाए गए आरोपों से एतद्द्वारा दोषमुक्त किया जाता है ।

याचिका मंजूर की गई ।

आर्य

मधुसूदन तेली

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

तारीख 19 सितंबर, 2018

न्यायमूर्ति मोहम्मद मुमताज खान और न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24] – हत्या – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अपनी पत्नी और दो पुत्रियों की अभिकथित हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का अभाव – न्यायेतर संस्वीकृति कथन ग्रामवासियों के समक्ष दिया जाना – संस्वीकृति कथन की पुष्टि मृत्युसमीक्षा के साक्षियों से न होना – किसी भी अभियोजन-साक्षी ने पत्नी और पुत्रियों की हत्या की घटना नहीं देखी है और न्यायेतर संस्वीकृति कथन ग्रामवासियों के समक्ष दिया गया है जिसकी पुष्टि मृत्युसमीक्षा के साक्षियों द्वारा नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 323 – उपहति – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा इत्तिलाकर्ता, उसकी पत्नी और माता-पिता पर हमला किए जाने का अभिकथन – क्षति रिपोर्ट का अभाव – स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य की एक दूसरे से संपुष्टि न होना – अपराध में प्रयुक्त आयुध का न्यायालय में प्रस्तुत न किया जाना – क्षति कारित होने से संबंधित अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी रिपोर्ट या चिकित्सा-पर्ची प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी भी चिकित्सक की परीक्षा कराई गई है, साथ ही क्षतियों की संपुष्टि किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य या स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से नहीं की गई है और न ही कोई आयुध बरामद करके न्यायालय में पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आदेश उचित नहीं है ।

तारीख 20 सितंबर, 2000 को लगभग 4.10 बजे पूर्वाह्न में अपने माता-पिता की चीख-पुकार सुनकर अभि. सा. 1 कमरे से बाहर आया

और उसने देखा कि उसका पिता मोनसा मुरमू उनके अहाते में पड़ा हुआ है और उसके सिर और बाएं हाथ से रक्त बह रहा है । पूछताछ किए जाने पर उन्होंने उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसे "सावल" से क्षतियां पहुंचाई हैं । उस समय अभि. सा. 1 ने अपनी पत्नी के चीखने की आवाज सुनी जो उसे यह बताने के लिए आ रही थी कि अपीलार्थी ने उसके सिर में "सावल" से वार किया है । इसके पश्चात् वह शीघ्र ही वहां पहुंचा और अपीलार्थी ने उसके सिर पर वार किया जिससे रक्त बहने लगा । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने अपीलार्थी से "सावल" छीन ली और उसने उसके हाथों और टांगों पर वार किए जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी नीचे गिर गया । इसके पश्चात् उसने अपीलार्थी को रस्सी से बांध दिया । इन लोगों के चीखने की आवाज सुनकर स्थानीय पुलिस दौड़कर वहां पहुंची और परिप्रश्न किए जाने पर अपीलार्थी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी और पुत्रियों की हत्या करके आया है । यह सुनकर अभि. सा. 1 और स्थानीय पुलिस के अन्य कर्मचारी अपीलार्थी के घर गए और उन्होंने उसकी पत्नी पाती तेली और पुत्री लक्ष्मी तेली (आयु लगभग 12 वर्ष) और दूसरी पुत्री मंजू तेली (आयु लगभग 6-7 वर्ष) को देखा जो बिस्तर पर मृत पड़ी हुई थी और उनके सिर क्षतिग्रस्त थे । इसके पश्चात् उन्होंने अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया और शिकायत दर्ज की जिसे अभि. सा. 2 द्वारा लिखा गया था । अभि. सा. 1 की उपरोक्त शिकायत के आधार पर अभि. सा. 8 ने अपीलार्थी के विरुद्ध तारीख 21 सितंबर, 2000 को मामला सं. 176/2000 दर्ज किया । अभि. सा. 10 ने इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार संभाला । उसी दिन अभि. सा. 10 ने पाती तेली, लक्ष्मी तेली और मंजू तेली के शव की मृत्युसमीक्षा उन्हीं के घर पर की और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 4/2, प्रदर्श 5/2 और प्रदर्श 6/2 तैयार की और इसके पश्चात् शवों को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया । अभि. सा. 10 ने अपराध में प्रयोग किए गए हथियार अर्थात् "सावल" को अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2/2) द्वारा अभिगृहीत किया । अन्वेषण अधिकारी ने एक अन्य अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 3/2) द्वारा रक्त-रंजित मिट्टी, सादा मिट्टी और रक्त-रंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए । अभि. सा. 7 ने मृतका पाती तेली, मंजू तेली और

लक्ष्मी तेली के शवों का शवपरीक्षण तारीख 21 सितंबर, 2000 को मामला सं. 61/2000 के अधीन किया और शवपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने यह पाया कि मृतकों को जो क्षतियां कारित हुई थीं वे मृत्यु-पूर्व की थीं और इस साक्षी ने यह राय व्यक्त की कि मृतकाओं की मृत्यु हृदय-गति रुक जाने से हुई है । शवपरीक्षण के पश्चात् इस साक्षी ने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 7, प्रदर्श 8 और प्रदर्श 9 तैयार कीं । अभि. सा. 11 ने, अभि. सा. 10 का स्थानांतरण होने के कारण, इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार संभाला और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/326 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । तारीख 21 फरवरी, 2002 को अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/326 के अधीन आरोप विरचित किए गए और अपीलार्थी ने इस बात से इनकार किया कि अपराध से उसका कोई संबंध है, इसलिए विचारण किया गया । अपीलार्थी को आक्षेपित निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/323 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया था और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास से तथा 2,000/- रुपए के जुर्माने के संदाय से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था और दंड संहिता की धारा 323 के अधीन के अधीन एक वर्ष के कारावास तथा 500/- रुपए जुर्माने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास के अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया था, साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 428 के अधीन पारंपरिक रूप से दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश भी दिया गया । विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्वीकृततः, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने पाती तेली, लक्ष्मी तेली और मंजू तेली की मृत्यु कारित किए जाने वाली प्रथम घटना घटित होते हुए नहीं देखी है और उनकी मृत्यु से संबंधित सम्पूर्ण मामला न्यायेतर संस्वीकृति पर

आधारित है । अभि. सा. 4 के अनुसार भी सुसंगत रात्रि में अपीलार्थी ने उस पर, उसके श्वसुर और उसकी सास अर्थात् तीनों के सिर पर सावल से हमला किया था । इसके पश्चात् अपीलार्थी को उसके पति द्वारा दबोच लिया गया और उसे उसके पति ने रस्सी से बांध लिया और इसके पश्चात् अपीलार्थी ने उन सब की मौजूदगी में यह संस्वीकृत किया कि उसने अपनी पत्नी और दो पुत्रियों की हत्या की है । महत्वपूर्ण बात यह है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने जो ऊपर दावा किया है उसका समर्थन वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से नहीं होता है जिसने अपीलार्थी को पकड़ा था और इस दावे का समर्थन उस मोहल्ले के ऐसे किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य से नहीं होता है जिसके समक्ष अपीलार्थी ने अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन दिया था, यहां तक कि अन्वेषण अधिकारी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है । इन साक्षियों ने यह भी नहीं बताया है कि अपीलार्थी के अपने शब्द क्या थे । अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अन्य साक्षियों की मौजूदगी में अभि. सा. 10 द्वारा शवों की मृत्युसमीक्षा की गई । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में न्यायेतर संस्वीकृति कथन का उल्लेख किया गया है । किन्तु न्यायालय के समक्ष परीक्षा के दौरान किसी भी साक्षी ने इसका समर्थन नहीं किया है । यहां तक कि उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही भी घोषित नहीं किया गया है बल्कि अभियोजन पक्ष ने उनके साक्ष्य का अवलंब लिया है । निःसंदेह, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 हितबद्ध साक्षी हैं । इन परिस्थितियों में अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 का साक्ष्य न्यायेतर संस्वीकृति कथन के संबंध में विश्वसनीय और विश्वासप्रद प्रतीत नहीं होता है और इस प्रकार न्यायेतर संस्वीकृति कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता । (पैरा 17, 21 और 22)

वास्तविक शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और माता-पिता पर अपीलार्थी द्वारा किए गए हमले और उसे पहुंची क्षतियों की घटना के संबंध में अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि क्षति कारित होने से संबंधित अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी रिपोर्ट या चिकित्सा-पर्ची प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी भी चिकित्सक की परीक्षा कराई गई है यद्यपि यह बताया गया है कि इन सभी

साक्षियों के सिर में ऐसी क्षति कारित की गई थी जिससे रक्त बह रहा था और यह भी अभिकथन किया गया है कि इन साक्षियों का उपचार अस्पताल में किया गया था । वास्तविक शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और उसके माता-पिता पर हमला किए जाने और उन्हें रक्तमय क्षति कारित किए जाने की कहानी की संपुष्टि किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है और न ही ग्राम के किसी भी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से होती है । अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 ने भी वास्तविक शिकायतकर्ता के उपरोक्त दावे का समर्थन नहीं किया है । अपराध कारित किए जाने में प्रयोग किए गए प्रश्नगत सावल को भी शनाख्त के लिए विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वह सावल अन्वेषण के दौरान अभिगृहीत किया गया था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के कब्जे से सावल अभिगृहीत किए जाने के तथ्य की संपुष्टि अभिग्रहण साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6, के साक्ष्य से नहीं होती है । अभि. सा. 10 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपीलार्थी के हाथ में से सावल अभिगृहीत की थी किन्तु अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2/2) से यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 1 के कब्जे से सावल अभिगृहीत की गई थी । इस प्रकार, न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभि. सा. 1, उसकी पत्नी और उसके माता-पिता के सिर पर किए गए हमले और कारित की गई रक्तमय क्षतियों से संबंधित घटना की संपुष्टि किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य और मोहल्ले के किसी भी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से नहीं होती है । स्वीकृततः, सुसंगत समय पर अंधेरी रात थी और कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी । अपीलार्थी के कब्जे से प्रश्नगत हथियार बरामद किए जाने के तथ्य की संपुष्टि अभिग्रहण साक्षियों के साक्ष्य से नहीं होती है और यहां तक कि अभिग्रहण सूची से यह दर्शित होता है कि सावल अभि. सा. 1 से बरामद की गई थी । इस प्रकार अभिगृहीत की गई वस्तुएं विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई और न ही उन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस के निर्देशानुसार पुलिस थाने में लिखी गई थी । अपराध का हेतु भी साबित नहीं किया गया है । (पैरा 23 और 25)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 458.

2001 के सेशन मामला सं. 40 से उदभूत सेशन विचारण मामला सं. 18 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2004 को पारित दोषसिद्धि के आदेश तथा तारीख 22 जनवरी, 2004 को पारित दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री तृणा मित्रा

प्रत्यर्थी की ओर से सुजाता दास

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मोहम्मद मुमताज खान ने दिया ।

न्या. खान – यह अपील 2001 के सेशन मामला सं. 40 से उदभूत सेशन विचारण मामला सं. 18 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2004 को पारित दोषसिद्धि के आदेश तथा तारीख 22 जनवरी, 2004 को पारित दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. अपीलार्थी को आक्षेपित निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/323 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया गया था और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास से तथा 2,000/- रुपए के जुर्माने के संदाय से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था और दंड संहिता की धारा 323 के अधीन एक वर्ष के कारावास तथा 500/- रुपए जुर्माने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास के अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया था, साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 428 के अधीन पारंपरिक रूप से दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश भी दिया गया ।

3. तारीख 20 सितंबर, 2000 को लगभग 4.10 बजे पूर्वाह्न में अपने माता-पिता की चीख-पुकार सुनकर अभि. सा. 1 कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि उसका पिता मोनसा मुरमू उनके अहाते में पड़ा हुआ है और उसके सिर और बाएं हाथ से रक्त बह रहा है । पूछताछ किए जाने पर उन्होंने उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसे "सावल" से क्षतियां पहुंचाई हैं । उस समय अभि. सा. 1 ने अपनी पत्नी के चीखने

की आवाज सुनी जो उसे यह बताने के लिए आ रही थी कि अपीलार्थी ने उसके सिर में "सावल" से वार किया है । इसके पश्चात् वह शीघ्र ही वहां पहुंचा और अपीलार्थी ने उसके सिर पर वार किया जिससे रक्त बहने लगा । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने अपीलार्थी से "सावल" छीन ली और उसने उसके हाथों और टांगों पर वार किए जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी नीचे गिर गया । इसके पश्चात् उसने अपीलार्थी को रस्सी से बांध दिया ।

4. इन लोगों के चीखने की आवाज सुनकर स्थानीय पुलिस दौड़कर वहां पहुंची और परिप्रश्न किए जाने पर अपीलार्थी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी और पुत्रियों की हत्या करके आया है । यह सुनकर अभि. सा. 1 और स्थानीय पुलिस के अन्य कर्मचारी अपीलार्थी के घर गए और उन्होंने उसकी पत्नी पाती तेली और पुत्री लक्ष्मी तेली (आयु लगभग 12 वर्ष) और दूसरी पुत्री मंजू तेली (आयु लगभग 6-7 वर्ष) को देखा जो बिस्तर पर मृत पड़ी हुई थी और उनके सिर क्षतिग्रस्त थे । इसके पश्चात् उन्होंने अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया और शिकायत दर्ज की जिसे अभि. सा. 2 द्वारा लिखा गया था ।

5. अभि. सा. 1 की उपरोक्त शिकायत के आधार पर अभि. सा. 8 ने अपीलार्थी के विरुद्ध तारीख 21 सितंबर, 2000 को मामला सं. 176/2000 दर्ज किया ।

6. अभि. सा. 10 ने इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार संभाला । उसी दिन अभि. सा. 10 ने पाती तेली, लक्ष्मी तेली और मंजू तेली के शव की मृत्युसमीक्षा उन्हीं के घर पर की और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 4/2, प्रदर्श 5/2 और प्रदर्श 6/2 तैयार की और इसके पश्चात् शवों को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया । अभि. सा. 10 ने अपराध में प्रयोग किए गए हथियार अर्थात् "सावल" को अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2/2) द्वारा अभिगृहीत किया । अन्वेषण अधिकारी ने एक अन्य अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 3/2) द्वारा रक्त-रंजित मिट्टी, सादा मिट्टी और रक्त-रंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए ।

7. अभि. सा. 7 ने मृतका पाती तेली, मंजू तेली और लक्ष्मी तेली

के शवों का शवपरीक्षण तारीख 21 सितंबर, 2000 को मामला सं. 61/2000 के अधीन किया और शवपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने यह पाया कि मृतकों को जो क्षतियां कारित हुई थीं वे मृत्यु-पूर्व की थीं और इस साक्षी ने यह राय व्यक्त की कि मृतकाओं की मृत्यु हृदय-गति रुक जाने से हुई है । शवपरीक्षण के पश्चात् इस साक्षी ने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 7, प्रदर्श 8 और प्रदर्श 9 तैयार कीं ।

8. अभि. सा. 11 ने, अभि. सा. 10 का स्थानांतरण होने के कारण, इस मामले के अन्वेषण का कार्यभार संभाला और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/326 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

9. तारीख 21 फरवरी, 2002 को अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/326 के अधीन आरोप विरचित किए गए और अपीलार्थी ने इस बात से इनकार किया कि अपराध से उसका कोई संबंध है, इसलिए विचारण किया गया ।

10. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए 11 साक्षियों की परीक्षा कराई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, अभिग्रहण सूची, घटनास्थल का कच्चा नक्शा, मृत्युसमीक्षा रिपोर्टें, शवपरीक्षण रिपोर्टें आदि प्रस्तुत करते हुए साबित की और इसके पश्चात् विचारण पूरा होने पर संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा कराई और तत्पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय पारित किया ।

11. न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान् न्यायमित्र सुश्री तृणा मित्रा ने अपीलार्थी की ओर से दलील देते हुए यह कहा है कि आक्षेपित निर्णय, दोषसिद्धि का आदेश और दंडादेश विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं किया गया है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस के निर्देशानुसार लिखी गई है, अभिगृहीत की गईं क्षति रिपोर्टें विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं न ही अभिगृहीत किया गया आयुध न्यायालय में पेश किया गया है, अपीलार्थी द्वारा दिया गया न्यायेतर संस्वीकृति कथन भी साबित नहीं किया गया है अतः

अभियोजन पक्ष अपराध का हेतु साबित करने में असफल रहा है ।

12. विद्वान् न्यायमित्र के अनुसार अभियोजन पक्ष संदेह के परे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित करने में असफल रहा है ।

13. राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री सुजाता दास ने यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी की पत्नी और बच्चों की मृत्यु से संबंधित मामला अपीलार्थी के न्यायेतर संस्वीकृति कथन पर आधारित है जिसे अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा साबित किया गया है और उनके साक्ष्य से ऐसी कोई बात प्रकट नहीं होती है जिस पर संदेह किया जा सके । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अपीलार्थी को अभि. सा. 1 के माता-पिता और पत्नी पर हमला करने के पश्चात् अभि. सा. 1 द्वारा पकड़ लिया गया था और तद्नुसार अपीलार्थी को रस्सी से बांध दिया गया था । सुश्री दास के अनुसार अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित कर दिए हैं ।

14. हमने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ताकि विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के औचित्य पर विचार किया जा सके ।

15. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने चिकित्सक और अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के अतिरिक्त अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के संस्वीकृति कथन को साबित कर दिया है और परिस्थितियों तथा न्यायेतर संस्वीकृति कथन से यह स्पष्ट हो गया है कि अपीलार्थी ने ही अपनी पत्नी और अप्राप्तवय पुत्रियों की हत्या की है और उसने शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और माता-पिता को भी क्षतियां पहुंचायी हैं और अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/323 के अधीन आरोप साबित कर दिए हैं और तद्नुसार आक्षेपित निर्णय पारित किया है ।

16. पाती तेली, लक्ष्मी तेली और मंजू तेली की मृत्यु हृदय-गति

रुकने से हुई है जो सिर में क्षति कारित होने का परिणाम है और इस पर कोई विवाद नहीं है । चिकित्सक (अभि. सा. 7) ने तारीख 21 सितंबर, 2000 को पाती तेली के शव का शवपरीक्षण करते समय उसके सिर में अनेक क्षतियां पाईं जो मृत्यु पूर्व की थीं और यह राय व्यक्त की है कि हृदय गति रुक जाने से मृत्यु कारित हुई है और यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी क्षतियां "सावल" जैसे धारदार आयुध से कारित की जा सकती हैं । उसी दिन इस साक्षी ने लक्ष्मी देवी और मंजू देवी का भी शवपरीक्षण किया और यह पाया कि उनके सिर पर क्षतियां आई हुई हैं जो मृत्यु-पूर्व की हैं और यह राय दी है कि मृत्यु हृदय-गति रुक जाने से कारित हुई हैं ।

17. स्वीकृततः, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराए गए साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने पाती तेली, लक्ष्मी तेली और मंजू तेली की मृत्यु कारित किए जाने वाली प्रथम घटना घटित होते हुए नहीं देखी है और उनकी मृत्यु से संबंधित सम्पूर्ण मामला न्यायेतर संस्वीकृति पर आधारित है ।

18. न्यायेतर संस्वीकृति कथन स्वीकार किए जाने के मामले में यह सुस्थापित है कि यदि ऐसा न्यायेतर संस्वीकृति कथन स्वेच्छा से और मानसिक रूप से ठीक अवस्था में दिया जाता है और न्यायेतर संस्वीकृति कथन विश्वसनीय, विश्वासप्रद और संदेह के परे पाया जाता है और वह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है, तब इसे स्वीकार किया जा सकता है और ऐसे कथन के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।

19. इस बात को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता की माता (अभि. सा. 3) और पत्नी (अभि. सा. 4) के साक्ष्य का अवलंब लिया है ।

20. अभि. सा. 3 के अनुसार उस दिन प्रातःकाल 4 बजे अपीलार्थी शिकायतकर्ता की माता के घर पर आया, उसे बुलाया और जब वह बाहर आई अपीलार्थी ने उसके सिर पर सावल से वार किया । उसकी चीख-पुकार की आवाज सुनकर जब उसका पति वहां आया तब अपीलार्थी ने

उसके सिर पर भी सावल से वार किया और वह नीचे गिर गया । उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब अभि. सा. 3 का पुत्र और उसकी बहू मालती मुरुमू वहां पहुंची, तब अपीलार्थी ने उसके सिर पर सावल से वार किया और जब उसका पुत्र वहां पहुंचा तब अपीलार्थी ने उसके सिर पर भी सावल से वार किया किन्तु उसने किसी प्रकार अपीलार्थी को पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध लिया । बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए और इसके पश्चात् अपीलार्थी ने लोगों के समक्ष यह संस्वीकृत किया कि उसने अपनी पत्नी और दो पुत्रियों की हत्या की है ।

21. अभि. सा. 4 के अनुसार भी सुसंगत रात्रि में अपीलार्थी ने उस पर, उसके श्वसुर और उसकी सास अर्थात् तीनों के सिर पर सावल से हमला किया था । इसके पश्चात् अपीलार्थी को उसके पति द्वारा दबोच लिया गया और उसे उसके पति ने रस्सी से बांध लिया और इसके पश्चात् अपीलार्थी ने उन सब की मौजूदगी में यह संस्वीकृत किया कि उसने अपनी पत्नी और दो पुत्रियों की हत्या की है ।

22. महत्वपूर्ण बात यह है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने जो ऊपर दावा किया है उसका समर्थन वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के साक्ष्य से नहीं होता है जिसने अपीलार्थी को पकड़ा था और इस दावे का समर्थन उस मोहल्ले के ऐसे किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य से नहीं होता है जिसके समक्ष अपीलार्थी ने अभिकथित न्यायेतर संस्वीकृति कथन दिया था, यहां तक कि अन्वेषण अधिकारी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है । इन साक्षियों ने यह भी नहीं बताया है कि अपीलार्थी के अपने शब्द क्या थे । अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अन्य साक्षियों की मौजूदगी में अभि. सा. 10 द्वारा शवों की मृत्युसमीक्षा की गई । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में न्यायेतर संस्वीकृति कथन का उल्लेख किया गया है । किन्तु न्यायालय के समक्ष परीक्षा के दौरान किसी भी साक्षी ने इसका समर्थन नहीं किया है । यहां तक कि उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही भी घोषित नहीं किया गया है बल्कि अभियोजन पक्ष ने उनके साक्ष्य का अवलंब लिया है । निःसंदेह, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 हितबद्ध साक्षी हैं । इन परिस्थितियों में अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4

का साक्ष्य न्यायेतर संस्वीकृति कथन के संबंध में विश्वसनीय और विश्वासप्रद प्रतीत नहीं होता है और इस प्रकार न्यायेतर संस्वीकृति कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

23. वास्तविक शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और माता-पिता पर अपीलार्थी द्वारा किए गए हमले और उसे पहुंची क्षतियों की घटना के संबंध में अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् हमारा यह निष्कर्ष है कि क्षति कारित होने से संबंधित अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी रिपोर्ट या चिकित्सा-पर्ची प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी भी चिकित्सक की परीक्षा कराई गई है यद्यपि यह बताया गया है कि इन सभी साक्षियों के सिर में ऐसी क्षति कारित की गई थी जिससे रक्त बह रहा था और यह भी अभिकथन किया गया है कि इन साक्षियों का उपचार अस्पताल में किया गया था । वास्तविक शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और उसके माता-पिता पर हमला किए जाने और उन्हें रक्तमय क्षति कारित किए जाने की कहानी की संपुष्टि किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है और न ही ग्राम के किसी भी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से होती है । अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 ने भी वास्तविक शिकायतकर्ता के उपरोक्त दावे का समर्थन नहीं किया है । अपराध कारित किए जाने में प्रयोग किए गए प्रश्नगत सावल को भी शनाख्त के लिए विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वह सावल अन्वेषण के दौरान अभिगृहीत किया गया था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के कब्जे से सावल अभिगृहीत किए जाने के तथ्य की संपुष्टि अभिग्रहण साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6, के साक्ष्य से नहीं होती है । अभि. सा. 10 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपीलार्थी के हाथ में से सावल अभिगृहीत की थी किन्तु अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2/2) से यह दर्शित होता है कि अभि. सा. 1 के कब्जे से सावल अभिगृहीत की गई थी ।

24. स्वीकृततः, अभि. सा. 1 ने अपने माता-पिता पर हमला होते हुए नहीं देखा था और अभि. सा. 4 ने भी यह हमला नहीं देखा । अभि. सा. 1, उसकी माता (अभि. सा. 3) और उसकी पत्नी (अभि. सा. 4) ने

अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि सुसंगत समय पर रात्रि का घोर अंधेरा था और वहां पर कोई भी बल्ब नहीं जल रहा था । घटनास्थल पर रोशनी के स्रोत को लेकर अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें साक्षी हमलावर को देख पाते । अभि. सा. 3 के अनुसार अपीलार्थी के उनके साथ अच्छे संबंध थे । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे इस हमले के हेतु का पता चल सके । अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके मामा ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी थी जब शाम में वह वहां आया था । अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस थाने में पुलिस के निर्देशानुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी थी और उसे यह मालूम नहीं था कि अभिकथित घटना में किसने किस पर हमला किया है । अन्वेषण अधिकारी के अपने साक्ष्य के अनुसार उसने पड़ोसियों से पूछताछ नहीं की थी ।

25. इस प्रकार, हमारा यह निष्कर्ष है कि अभि. सा. 1, उसकी पत्नी और उसके माता-पिता के सिर पर किए गए हमले और कारित की गई रक्तमय क्षतियों से संबंधित घटना की संपुष्टि किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य और मोहल्ले के किसी भी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से नहीं होती है । स्वीकृततः, सुसंगत समय पर अंधेरी रात थी और कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी । अपीलार्थी के कब्जे से प्रश्नगत हथियार बरामद किए जाने के तथ्य की संपुष्टि अभिग्रहण साक्षियों के साक्ष्य से नहीं होती है और यहां तक कि अभिग्रहण सूची से यह दर्शित होता है कि सावल अभि. सा. 1 से बरामद की गई थी । इस प्रकार अभिगृहीत की गई वस्तुएं विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई और न ही उन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस के निर्देशानुसार पुलिस थाने में लिखी गई थी । अपराध का हेतु भी साबित नहीं किया गया है ।

26. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है ।

27. हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने

के पश्चात् इन तीनों साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य की विश्वसनीयता को लेकर हमारा समाधान नहीं होता है और हमें उनके साक्ष्य पर संदेह है ।

28. अतः, सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा चर्चा और मताभिव्यक्तियों के साथ अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने पर, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपीलार्थी द्वारा कारित किए गए अपराध को साबित करने में असफल रहा है और इस प्रकार अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती ।

29. तद्नुसार, हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त करते हैं और उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हैं । यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है, तब उसे अभिरक्षा से तत्काल छोड़ा जाए ।

तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है ।

30. निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को समीचीन रूप से भेजी जाए ।

31. इस निर्णय की अभिप्रमाणित फोटोकापी, यदि आवेदन किया गया है, पक्षकारों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात्, समीचीन रूप से तत्काल उपलब्ध कराई जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

जितेन चत्तार

बनाम

असम राज्य

तारीख 25 जून, 2018

न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति अचिन्तय मल्ला बुजोर बरुआ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 24] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – न्यायेतर संस्वीकृति – बांस के डंडे से मृतक पर हमला करके हत्या किए जाने का अभिकथन – मृतक की माता के परिसाक्ष्य में घटना के स्थान के बारे में विभेद प्रकट होना – मृतक की माता और भाई के कथनों में इस बारे में विभेद है कि अभियुक्त दाउ लेकर उनके घर में घुसा और उसने मृतक से झगड़ा किया तथा साक्षी के अभिसाक्ष्य में यह भी विरोधाभास है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष अपराध करने की संस्वीकृति दी, इन परिस्थितियों में अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हुआ है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है ।

तारीख 20 मई, 2013 को दुर्गा पुरुथी द्वारा यह अभिकथन करते हुए एक इजहार दर्ज की गई थी । तारीख 19 मई, 2013 की रात्रि को लगभग 12/1 बजे अभियुक्त जितेन चत्तार ने सह-गांववासी निग्रो लोगरी पर बांस के डंडे से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी । इजहार में यह कथन किया गया था कि अभियुक्त ने नसीमो बस्ती पर मृतक की माता से विरोध प्रकट किया था और खुखरी से उस पर भी हमला किया था और जिस कारण उसे भी गंभीर क्षति पहुंची । इत्तिलाकर्ता जिसकी अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई थी, ने यह कथन किया था कि वह गांव का मुखिया है और मृतक की माता उसके घर पर पहुंची और उसे यह बताया कि अभियुक्त जितेन चत्तार को ताकुला के रूप में

भी जाना जाता है और उसने मृतक निग्रो लोगरी के साथ लड़ाई की तथा उसने गांव के मुखिया से उन दोनों के बीच झगड़े को निपटाने के लिए अनुरोध किया था । यह भी कथन किया गया था कि माता पुलेश्वरी लोगरी पुनः उसके मकान पर गई और उसे यह सूचना दी कि ताकुला ने निग्रो की हत्या कर दी है । अभि. सा. 1 मृतक के चबूतरे पर पड़े हुए बांस के डंडे को अभिगृहीत करने का साक्षी भी था । पुलेश्वरी लोगरी (अभि. सा. 2) जो मृतक की माता है, ने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया था कि अभियुक्त अपने हाथ में दाउ को लेकर उसके घर में घुसा और उसके पुत्र के साथ झगड़ा किया । दोनों को अलग-अलग करने के पश्चात् वह गांव के मुखिया के घर पर गई और उससे दोनों के बीच झगड़े को सुलझाने के लिए अनुरोध किया । इसके पश्चात् वह घर वापस लौटी और उसने अपने पुत्र के शव को देखा । साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त ने लोगों के समक्ष यह संस्वीकृति दी है कि उसने उसके पुत्र की हत्या की थी । अनिल लोगरी (अभि. सा. 4) जो अभि. सा. 2 का पुत्र है, उसकी आयु 13 वर्ष है और वह मृतक का भाई है । उक्त साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तारीख को अभियुक्त ने विद्यालय के नजदीक मृतक से लड़ाई की थी और उस समय वह और उसकी माता दुकान पर जा रहे थे । यह कथन किया गया है कि अभियुक्त और मृतक के बीच झगड़ा दुकान के नजदीक हुआ और मृतक अपनी साइकिल से वहां गया था । यह भी कथन किया गया है कि साइकिल के कारण उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने और उसकी माता ने अभियुक्त और मृतक को अलग-अलग किया और मृतक को अपने घर पर ले गई । इसके पश्चात् यह साक्षी अपनी माता के साथ गांव के प्रधान के घर पर गया और उसे मामले के बारे में बताया । वापस लौटने पर उन्होंने मृतक की आंख के नजदीक कटी हुई क्षति देखी थी । उक्त सूचना को प्रतिपरीक्षा में भी दोहराया गया था कि अभियुक्त और मृतक के बीच वाक्-कलह हुई थी और उनको अलग-अलग करने के पश्चात् दोनों साक्षी और माता गांव के मुखिया के घर पर गए थे । रमेश पुरुथि (अभि. सा. 5)

ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के दिन वह रात्रि में अपने घर पर सोया था, अभियुक्त उसके घर पर पहुंचा और उसने उसको जगाया और यह बताया कि उसने मृतक निग्रो लोगरी की हत्या कर दी है । अभि. सा. 2 के साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट है कि उसने अभियुक्त व्यक्ति को हाथ में दाउ लेकर उनके घर में घुसते देखा था और इसके अतिरिक्त अभि. सा. 5 का साक्ष्य यह है कि अभियुक्त ने मध्य रात्रि में उसे जगाया था और उसके समक्ष यह संस्वीकृति की है कि उसने मृतक की हत्या कर दी है, अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध किया है कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या किए जाने का अपराध किया था । अभि. सा. 2, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 4 के इस साक्ष्य के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और आजीवन कठोर कारावास भोगने हेतु उसे दंडादिष्ट किया तथा 1,000/- रुपए का जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया । अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के अभिसाक्ष्य का तुलनात्मक परिशीलन करने से यह बात प्रकट हुई है कि इस बारे में विभेद प्रकट हुआ है कि किस स्थान में पहली बार झगड़ा हुआ था । अभि. सा. 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य के बारे में भी कि अभियुक्त और मृतक के बीच प्रथम बार झगड़ा तब हुआ था, जब अभियुक्त अपने हाथ में दाउ को लेकर मृतक के घर में घुसा था । अभि. सा. 2 के कथन की सत्यता को दंड संहिता की धारा 161 के अधीन उसके द्वारा किए गए कथन से सत्यापित किया गया है जिसमें उसने यह कथन किया है कि उस वर्णित दिन को लगभग 4 बजे अपराह्न जब वह केहर बस्ती पर दुकान पर गई थी उसने देखा कि अभियुक्त और मृतक विद्यालय के खेत के नजदीक सड़क पर आपस में लड़ रहे हैं और अभियुक्त जितेन चत्तार ने मृतक पर हमला किया था जहां पर उक्त साक्षी ने दोनों को

अलग-अलग किया । इसके पश्चात् अभियुक्त अपने घर पर चला गया और दाउ को उठाकर लाया और इस साक्षी को धमकाया परन्तु जब उसने उसे फटकार लगाई तो अभियुक्त उस स्थान से चला गया और तदुपरि वह गांव के मुखिया के घर पर गई और जब घर को वापस लौट रही थी तो अभियुक्त ने उससे कहा कि उसने मृतक को चोट पहुंचाई है । जब वह वापस घर पर लौटी तो उसने अपने घर में मृतक के शव को देखा । अभि. सा. 2 के अपने अभिसाक्ष्य में दिए गए कथन में विभेद प्रकट हुआ है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष उसके कथन के बारे में कथन किया है कि अभियुक्त दाउ लेकर उसके मकान पर घुसा था और मृतक के साथ उसका झगड़ा हुआ था । (पैरा 12 और 13)

इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि दो अलग-अलग घटनाएं हुई थीं, एक सड़क पर दोपहर के समय और दूसरी मृतक के घर में रात्रि के समय । अभि. सा. 5 के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन में कहा गया है और यह बात केवल प्रथम घटना से संबंधित हो सकती है जो दोपहर में घटित हुई थी । अभि. सा. 5 ने अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य के बारे में भी बताया है कि अभियुक्त मध्य रात्रि के दौरान उसके साथ घूम रहा था और उसके समक्ष उसने यह संस्वीकृति दी कि उसने मृतक की हत्या कर दी है और यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथित बातों पर सुधार किया गया प्रतीत होता है । ऐसी विभेदकारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभि. सा. 5 का अभिसाक्ष्य कि अभियुक्त ने उसके समक्ष यह संस्वीकृति दी है कि उसने मृतक की हत्या कर दी है, अविश्वसनीय है और निष्कर्ष निकालने के लिए उस बात का अवलंब असुरक्षित है कि वहां पर केवल अभियुक्त था जिसने अपराध कारित किया था । पूर्वोक्त विभेदों, अभि. सा. 2 के साक्ष्य और अभि. सा. 4 के साक्ष्य तथा इस बारे में अभि. सा. 5 के साक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति दी गई थी, घटनाओं की श्रृंखला जो पारिस्थितिक साक्ष्य से प्रकट होती हैं सभी युक्तियुक्त

संदेह के परे पूर्णरूप से सिद्ध नहीं हैं कि वह केवल अभियुक्त ही था जिसने मृतक की हत्या करने का अपराध किया है । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए और इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए कि सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि, अभि. सा. 2, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 के साक्ष्य पर आधारित है । इस पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह बात सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित हुई है कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या करने के अपराध को कारित किया था । तद्नुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि तथा उसे दिए गए दंडादेश जो आजीवन कठोर कारावास भोगने का है तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और तद्नुसार इसे अपास्त किया जाता है । इस पहलू पर विचार करते हुए कि अभियुक्त पहले ही 1862 दिन अभिरक्षा में रहा है, इसलिए, उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाता है । (पैरा 16, 17 और 18)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील (जे.) सं. 113.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी ओर से श्री आर. देव, विद्वान् न्यायमित्र

असम राज्य की ओर से सुश्री बी. भुयान, विद्वान् अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अचिन्तय मल्ला बुजोर बरुआ ने दिया ।

न्या. बरुआ – अपीलार्थी की ओर श्री आर. देव विद्वान् न्यायमित्र तथा विद्वान् लोक अभियोजक, असम सुश्री बी. भुयान को सुना ।

2. तारीख 20 मई, 2013 को दुर्गा पुरुथी द्वारा यह अभिकथन करते हुए एक इजहार दर्ज की गई थी । तारीख 19 मई, 2013 की रात्रि को लगभग 12/1 बजे अभियुक्त जितेन चत्तार ने सह-गांववासी निग्रो

लोगरी पर बांस के डंडे से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी । इजहार में यह कथन किया गया था कि अभियुक्त ने नसीमो बस्ती पर मृतक की माता से विरोध प्रकट किया था और खुखरी से उस पर भी हमला किया था और जिस कारण उसे भी गंभीर क्षति पहुंची ।

3. इत्तिलाकर्ता जिसकी अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई थी, ने यह कथन किया था कि वह गांव का मुखिया है और मृतक की माता उसके घर पर पहुंची और उसे यह बताया कि अभियुक्त जितेन चत्तार को ताकुला के रूप में भी जाना जाता है और उसने मृतक निग्रो लोगरी के साथ लड़ाई की तथा उसने गांव के मुखिया से उन दोनों के बीच झगड़े को निपटाने के लिए अनुरोध किया था । यह भी कथन किया गया था कि माता पुलेश्वरी लोगरी पुनः उसके मकान पर गई और उसे यह सूचना दी कि ताकुला ने निग्रो की हत्या कर दी है । अभि. सा. 1 मृतक के चबूतरे पर पड़े हुए बांस के डंडे को अभिगृहीत करने का साक्षी भी था ।

4. पुलेश्वरी लोगरी (अभि. सा. 2) जो मृतक की माता है, ने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया था कि अभियुक्त अपने हाथ में दाउ को लेकर उसके घर में घुसा और उसके पुत्र के साथ झगड़ा किया । दोनों को अलग-अलग करने के पश्चात् वह गांव के मुखिया के घर पर गई और उससे दोनों के बीच झगड़े को सुलझाने के लिए अनुरोध किया । इसके पश्चात् वह घर वापस लौटी और उसने अपने पुत्र के शव को देखा । साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त ने लोगों के समक्ष यह संस्वीकृति दी है कि उसने उसके पुत्र की हत्या की थी ।

5. अनिल लोगरी (अभि. सा. 4) जो अभि. सा. 2 का पुत्र है, उसकी आयु 13 वर्ष है और वह मृतक का भाई है । उक्त साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तारीख को अभियुक्त ने विद्यालय के नजदीक मृतक से लड़ाई की थी और उस समय वह और उसकी माता दुकान पर जा रहे थे । यह कथन किया गया है कि अभियुक्त और मृतक के बीच झगड़ा दुकान के नजदीक हुआ और मृतक अपनी

साइकिल से वहां गया था । यह भी कथन किया गया है कि साइकिल के कारण उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने और उसकी माता ने अभियुक्त और मृतक को अलग-अलग किया और मृतक को अपने घर पर ले गई । इसके पश्चात् यह साक्षी अपनी माता के साथ गांव के प्रधान के घर पर गया और उसे मामले के बारे में बताया । वापस लौटने पर उन्होंने मृतक की आंख के नजदीक कटी हुई क्षति देखी थी । उक्त सूचना को प्रतिपरीक्षा में भी दोहराया गया था कि अभियुक्त और मृतक के बीच वाक्-कलह हुई थी और उनको अलग-अलग करने के पश्चात् दोनों साक्षी और माता गांव के मुखिया के घर पर गए थे ।

6. रमेश पुरुथि (अभि. सा. 5) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के दिन वह रात्रि में अपने घर पर सोया था, अभियुक्त उसके घर पर पहुंचा और उसने उसको जगाया और यह बताया कि उसने मृतक निग्रो लोगरी की हत्या कर दी है ।

7. अभि. सा. 2 के साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट है कि उसने अभियुक्त व्यक्ति को हाथ में दाउ लेकर उनके घर में घुसते देखा था और इसके अतिरिक्त अभि. सा. 5 का साक्ष्य यह है कि अभियुक्त ने मध्य रात्रि में उसे जगाया था और उसके समक्ष यह संस्वीकृति की है कि उसने मृतक की हत्या कर दी है, अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध किया है कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या किए जाने का अपराध किया था । अभि. सा. 2, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 4 के इस साक्ष्य के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और आजीवन कठोर कारावास भोगने हेतु उसे दंडादिष्ट किया तथा 1,000/- रुपए का जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया ।

8. क्योंकि अभियोजन पक्षकथन जिस पर अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषिता को सिद्ध किया गया है, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य पर और अभि. सा. 5 के समक्ष की गई मौखिक संस्वीकृति पर आधारित

है । पूर्वोक्त तीनों साक्षियों द्‌वारा दिए गए साक्ष्य की परीक्षा की गई ।

9. फुलेश्वरी लागोरी (अभि. सा. 2) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना की तारीख को अभियुक्त अपने हाथ में दाउ लेकर उनके घर पर गया और उसके पुत्र से झगड़ा किया और उसके द्‌वारा मोइना के साथ अभियुक्त और मृतक को अलग-अलग किया गया था, वह गांव के मुखिया के घर पर गई थी और दोनों के बीच समझौता कराने के लिए उससे अनुरोध किया । गांव के मुखिया के मकान से वापस लौटने पर उसने कमरे के अन्दर चारपाई पर अपने पुत्र के शव को देखा ।

10. दूसरी ओर, अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि घटना के दिन अभियुक्त और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था और उस समय यह साक्षी और उसकी माता दुकान की ओर जा रहे थे । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त और मृतक के बीच दुकान के नजदीक झगड़ा हुआ था । साक्षी और उसकी माता ने अभियुक्त और मृतक को अलग-अलग किया और मृतक को अपने घर पर ले गया । तदुपरि, वे दोनों गांव के मुखिया के घर पर गए । जब वे अपने घर को वापस लौट रहे थे तब उन्होंने मृतक की आंख में कटी हुई क्षति देखी थी ।

11. अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य की परीक्षा करने पर यह बात ध्यान में आई कि प्रारंभ में मृतक के घर में जब अभियुक्त अपने हाथ में दाउ को लेकर पहुंचा तो झगड़ा हुआ था परन्तु दूसरी ओर अभि. सा. 4 के अनुसार प्रारंभ में झगड़ा दुकान के नजदीक हुआ था और इस साक्षी और उसकी माता द्‌वारा उन्हें अलग-अलग किया गया था और अभियुक्त को उसके मकान पर वापस लाया गया था ।

12. अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 के अभिसाक्ष्य का तुलनात्मक परिशीलन करने से यह बात प्रकट हुई है कि इस बारे में विभेद प्रकट हुआ है कि किस स्थान में पहली बार झगड़ा हुआ था । अभि. सा. 2 द्‌वारा दिए गए साक्ष्य के बारे में भी कि अभियुक्त और मृतक के बीच प्रथम बार झगड़ा तब हुआ था, जब अभियुक्त अपने हाथ में दाउ को लेकर मृतक के घर में घुसा था । अभि. सा. 2 के कथन की सत्यता को दंड संहिता की धारा 161 के अधीन उसके द्‌वारा किए गए कथन से

सत्यापित किया गया है जिसमें उसने यह कथन किया है कि उस वर्णित दिन को लगभग 4 बजे अपराह्न जब वह केहर बस्ती पर दुकान पर गई थी उसने देखा कि अभियुक्त और मृतक विद्यालय के खेत के नजदीक सड़क पर आपस में लड़ रहे हैं और अभियुक्त जितेन चत्तार ने मृतक पर हमला किया था जहां पर उक्त साक्षी ने दोनों को अलग-अलग किया । इसके पश्चात् अभियुक्त अपने घर पर चला गया और दाउ को उठाकर लाया और इस साक्षी को धमकाया परन्तु जब उसने उसे फटकार लगाई तो अभियुक्त उस स्थान से चला गया और तदुपरि वह गांव के मुखिया के घर पर गई और जब घर को वापस लौट रही थी तो अभियुक्त ने उससे कहा कि उसने मृतक को चोट पहुंचाई है । जब वह वापस घर पर लौटी तो उसने अपने घर में मृतक के शव को देखा ।

13. अभि. सा. 2 के अपने अभिसाक्ष्य में दिए गए कथन में विभेद प्रकट हुआ है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस के समक्ष उसके कथन के बारे में कथन किया है कि अभियुक्त दाउ लेकर उसके मकान पर घुसा था और मृतक के साथ उसका झगड़ा हुआ था ।

14. अभि. सा. 4 के अभिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर जो अभि. सा. 2 के साथ था तथा दंड प्रक्रिया संहिता 161 के अधीन अभि. सा. 2 के कथन का परिशीलन करने पर और उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य का यह प्रभाव है कि अभियुक्त अपने हाथ में दाउ को लेकर उसके घर में घुसा था और मृतक के साथ उसका झगड़ा हुआ, यह बात विश्वासयोग्य नहीं है ।

15. अभि. सा. 5 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में दिए गए साक्ष्य से यह बात प्रकट होती है कि अभियुक्त मध्य रात्रि में उसके साथ घूम रहा था और उसने यह संस्वीकृति दी कि उसने मृतक की हत्या कर दी है । अभि. सा. 5 का उक्त अभिसाक्ष्य का जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन से तुलना करते हैं तो यह बात ध्यान में आती है कि वह अभियुक्त से सड़क पर मिला था जब उसने उसे यह बताया कि उसने मृतक पर हमला किया था और यह भी ध्यान देने

योग्य है कि घटना के दिन दो अलग-अलग घटनाएं घटित हुई थीं जहां पहली घटना बाजार में दुकान के नजदीक दोपहर में घटी थी और दूसरी घटना रात्रि में अभियुक्त के मकान में घटी थी । अभि. सा. 4 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन यह कथन किया है कि अभियुक्त ने सड़क पर मृतक के शरीर पर हमला करने के बारे में उसे बताया था जबकि अपने अभिसाक्ष्य में उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त मध्य रात्रि में उसके साथ घूम रहा था और उसने उसे बताया कि उसने मृतक की हत्या कर दी है ।

16. इस तथ्य पर भी विचार किया गया कि दो अलग-अलग घटनाएं हुई थीं, एक सड़क पर दोपहर के समय और दूसरी मृतक के घर में रात्रि के समय । अभि. सा. 5 के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन में कहा गया है और यह बात केवल प्रथम घटना से संबंधित हो सकती है जो दोपहर में घटित हुई थी । अभि. सा. 5 ने अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य के बारे में भी बताया है कि अभियुक्त मध्य रात्रि के दौरान उसके साथ घूम रहा था और उसके समक्ष उसने यह संस्वीकृति दी कि उसने मृतक की हत्या कर दी है और यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथित बातों पर सुधार किया गया प्रतीत होता है ।

17. ऐसी विभेदकारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभि. सा. 5 का अभिसाक्ष्य कि अभियुक्त ने उसके समक्ष यह संस्वीकृति दी है कि उसने मृतक की हत्या कर दी है, अविश्वसनीय है और निष्कर्ष निकालने के लिए उस बात का अवलंब असुरक्षित है कि वहां पर केवल अभियुक्त था जिसने अपराध कारित किया था । पूर्वोक्त विभेदों, अभि. सा. 2 के साक्ष्य और अभि. सा. 4 के साक्ष्य तथा इस बारे में अभि. सा. 5 के साक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति दी गई थी, घटनाओं की श्रृंखला जो पारिस्थितिक साक्ष्य से प्रकट होती हैं सभी युक्तियुक्त संदेह के परे पूर्णरूप से सिद्ध नहीं हैं कि वह केवल अभियुक्त ही था जिसने मृतक की हत्या करने का अपराध किया है ।

18. मामले को इस दृष्टि से देखते हुए और इस पहलू को भी

ध्यान में रखते हुए कि सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि, अभि. सा. 2, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 के साक्ष्य पर आधारित है । इस पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह बात सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित हुई है कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या करने के अपराध को कारित किया था । तद्नुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि तथा उसे दिए गए दंडादेश जो आजीवन कठोर कारावास भोगने का है तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया और तद्नुसार इसे अपास्त किया जाता है । इस पहलू पर विचार करते हुए कि अभियुक्त पहले ही 1862 दिन अभिरक्षा में रहा है, इसलिए, उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाता है ।

उपरोक्त निबंधनों के अधार पर यह दांडिक अपील मंजूर की जाती है ।

अभिलेख को निपटाने से पूर्व हम विद्वान् न्यायमित्र श्री आर. देव द्वारा दी गई मूल्यवान सेवा का मूल्यांकन करते हैं । तद्नुसार, हम असम स्टेट लेवल सर्विस अथारिटी को यह निदेश देते हैं कि श्री आर. देव, न्यायमित्र द्वारा इस निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति को पेश करने पर उन्हें उचित फीस का संदाय करें ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

मोहम्मद मुकुट अली

बनाम

असम राज्य और एक अन्य

तारीख 29 नवंबर, 2018

न्यायमूर्ति (श्रीमती) रूमी कुमारी फुकान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 448, 326, 307 और 379 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या का प्रयत्न – सबूत – दाउ से पीड़ित को क्षतियां पहुंचाने का अभिकथन किया जाना – पीड़ित द्वारा घटना के बारे में विस्तृत अभिसाक्ष्य दिया जाना – पीड़ित के पड़ोसी का पीड़ित के घर से आते हुए और पीड़ित को फर्श पर क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ देखा जाना – चिकित्सीय साक्ष्य से यह इंगित होता है कि कारित क्षतियां घातक हो सकती थीं यदि पीड़ित उनका विरोध न करता और अभियुक्त का निशाना न चूकता, इसलिए अभियुक्त के कृत्य से पीड़ित के जीवन को क्षति पहुंचाने का आशय सिद्ध होता है, अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित है ।

अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 6 मार्च, 2012 को लगभग 5.45 बजे अपराह्न मुकुट अली, दाउ से लैस होकर अमीर हुसैन **उर्फ** लोरा के मकान पर घुसा और उसे कई कटी हुई क्षतियां पहुंचाई । परिणामस्वरूप उसके शरीर में कई क्षतियां हुईं । उसके चीख-पुकार को सुनने पर पड़ोस के लोग वहां पर पहुंचे और उसे तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पर ले जाया गया था जो गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय पर स्थित है । क्षतिग्रस्त व्यक्ति की बहन श्रीमती अकलीमा बेगम ने मामले की सूचना प्राप्त करने पर नागांव पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी और यह भी कथन किया कि अभियुक्त घटना के पश्चात् क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मकान से दो लाख रुपए ले गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर नागांव पुलिस थाना मामला सं. 321/2012 में दंड

संहिता की धारा 448, 326, 307, 379 के अधीन मामला दर्ज किया गया था और बाद में अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष अभ्यर्पण भी किया था तब उसे गिरफ्तार किया गया था । अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी घटना के स्थान पर गया और उन्होंने अभियुक्त के कब्जे से दाउ को अभिगृहीत किया और क्षति रिपोर्ट भी एकत्रित की तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 448, 326, 307 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । यह अपराध विद्‌वान् सेशन न्यायाधीश द्‌वारा विचारणीय होने के कारण उसे यह मामला सुपुर्द किया गया था । विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 448, 326, 307, 387 के अधीन आरोप विरचित किए और अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया तथा अभियोजन पक्ष ने आरोप के समर्थन में 13 साक्षियों की परीक्षा की तथा प्रतिरक्षा पक्ष ने भी तीन साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी और विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने विचारण पर निष्कर्ष निकालते हुए अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 448, 326, 307 के अधीन दोषी ठहराया और उसे संदेह का फायदा देते हुए दंड संहिता की धारा 387 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया और उसे संहिता की धारा 448 के अधीन एक वर्ष का दंडादेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 326 के अधीन 5,000/- रुपए के जुर्माने सहित 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 307 के अधीन 5,000/- रुपए जुर्माने के साथ 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का कारावास का भी दंडादेश दिया गया कि यदि जुर्माने की रकम का संदाय किया जाता है तो क्षतिग्रस्त व्यक्ति अमीर हुसैन को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा । दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को आक्षेपित करते हुए अभियुक्त ने यह अपील फाइल की है । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर साक्ष्य का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तीन साक्षी अर्थात् अभि. सा. 2,

अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के साक्ष्य से और अभि. सा. 6 का साक्ष्य भी आरोपित अपराधों से अभियुक्त को फंसाने के लिए पर्याप्त है क्योंकि अभियुक्त अपने हाथ में रक्त-रंजीत दाउ को लेकर क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मकान से वापस लौटते हुए देखा गया था और क्षतिग्रस्त व्यक्ति गंभीर क्षतियों के कारण जमीन पर गिरा हुआ पाया गया था । अन्य साक्षी जो घटना के तत्काल पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्हें क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा उस बारे में बताया गया था कि वह अभियुक्त था जिसने उस पर क्षतियां कारित कीं । यह तथ्य कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उसके शरीर के भिन्न-भिन्न भागों पर गंभीर क्षतियां पहुंची थी, जिस बात की अन्वेषक अधिकारी द्वारा भी संपुष्टि की गई है और बाकी सभी अन्य साक्षी ने मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों का भी समर्थन किया है जिससे क्षतिग्रस्त व्यक्ति के परिसाक्ष्य को झुठलाने की कोई गुंजाइश नहीं है । यह अभिनिर्धारित करने में कुछ भी नहीं है कि साक्षियों द्वारा अभियुक्त को शत्रुतावश मिथ्या रूप से फंसाए जाने की कोई बात प्रकट नहीं हुई है उनका साक्ष्य स्पष्ट है और विश्वास को प्रकट करता है तथा अभियोजन पक्षकथन को नुकसान नहीं पहुंचाता । वे घटना के कुछ मिनटों के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए थे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट बिना किसी अतिरिक्त विलंब के फाइल की गई थी । जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील का संबंध है कि दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध साबित नहीं किया गया है, यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने दाउ की भांति अत्यधिक भारी तेजधार आयुध से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की गर्दन पर प्रहार करके कटी हुई क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जिसका उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप लक्षित भाग क्षति पर नहीं पहुंची थी । क्या क्षतिग्रस्त व्यक्ति दाउ के प्रहार को रोकने में सफल नहीं हुआ जिससे उसकी हत्या की जा सके । हत्या करने के प्रयत्न करने में वह कार्य जिसे करने का प्रयास किया गया अगर यदि उसे रोका नहीं जाता या उस पर मध्यक्षेप नहीं किया जाता तो तब पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होती । अभियुक्त व्यक्ति को यह जानकारी थी कि शरीर के अर्थात् गर्दन के महत्वपूर्ण भाग पर ऐसा कटा हुआ

प्रहार से पीड़ित की हत्या को कारित किया जाना पर्याप्त होगा । दंड संहिता की धारा 307 के अधीन स्पष्ट रूप से ऐसे कार्य को अनुध्यात किया गया है जो मृत्यु कारित करने के लिए आशय और जानकारी के साथ किया जाता है और जो प्रतिरोध या मध्यक्षेप के कारण ऐसी परिस्थितियों को साशय लाने में असफल हो जाता है । इस पृष्ठभूमि में दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध बनता है । क्षतिग्रस्त व्यक्ति को पहुंची गंभीर क्षतियों के बारे में चिकित्सा रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपराध सुस्थापित है । अभियुक्त का क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मकान में प्रवेश करते वक्त सआशय उस पर हमला करने का अपराध था जो दंड संहिता की धारा 448 के अधीन अपराध के लिए दायी है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का उचित रूप से मूल्यांकन किया है और मैं विद्वान् विचारण के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं पाता हूं और तद्नुसार, इस बात को यहां पर कायम रखा जाता है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के लंबे समय से निरोध को रहने में ध्यान को रखते हुए जो तारीख 30 सितंबर, 2016 के निर्णय की तारीख से निरुद्ध है, पर विचार करने और अन्वेषण के दौरान से 3 मास तक पूर्ववर्ती निरोध पर भी विचार करने का अनुरोध किया गया । (पैरा 20 और 21)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 7.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री खालेक्यू

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री पी. एस. लाहकार

न्यायमूर्ति (श्रीमती) रूमी कुमारी फुकान – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री ए. खालेक्यू और विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री पी. एस. लाहकार को सुना तथा प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ ।

2. अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 6 मार्च,

2012 को लगभग 5.45 बजे अपराह्न मुकुट अली, दाउ से लैस होकर अमीर हुसैन उर्फ लोरा के मकान पर घुसा और उसे कई कटी हुई क्षतियां पहुंचाई । परिणामस्वरूप उसके शरीर में कई क्षतियां हुईं । उसकी चीख-पुकार को सुनने पर पड़ोस के लोग वहां पर पहुंचे और उसे तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पर ले जाया गया था जो गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय पर स्थित है । क्षतिग्रस्त व्यक्ति की बहन श्रीमती अकलीमा बेगम ने मामले की सूचना प्राप्त करने पर नागांव पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी और यह भी कथन किया कि अभियुक्त घटना के पश्चात् क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मकान से दो लाख रुपए ले गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर नागांव पुलिस थाना मामला सं. 321/2012 में दंड संहिता की धारा 448, 326, 307, 379 के अधीन मामला दर्ज किया गया था और बाद में अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष अभ्यर्पण भी किया था तब उसे गिरफ्तार किया गया था ।

3. अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी घटना के स्थान पर गया और उन्होंने अभियुक्त के कब्जे से दाउ को अभिगृहीत किया और क्षति रिपोर्ट भी एकत्रित की तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 448, 326, 307 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । यह अपराध विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होने के कारण उसे यह मामला सुपुर्द किया गया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 448, 326, 307, 387 के अधीन आरोप विरचित किए और अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया तथा अभियोजन पक्ष ने आरोप के समर्थन में 13 साक्षियों की परीक्षा की तथा प्रतिरक्षा पक्ष ने भी तीन साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी और विद्वान् विचारण न्यायालय ने विचारण पर निष्कर्ष निकालते हुए अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 448, 326, 307 के अधीन दोषी ठहराया और उसे संदेह का फायदा देते हुए दंड संहिता की धारा 387 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया और उसे

संहिता की धारा 448 के अधीन एक वर्ष का दंडादेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 326 के अधीन 5,000/- रुपए के जुर्माने सहित 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 307 के अधीन 5,000/- रुपए जुर्माने के साथ 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का कारावास का भी दंडादेश दिया गया कि यदि जुर्माने की रकम का संदाय किया जाता है तो क्षतिग्रस्त व्यक्ति अमीर हुसैन को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा ।

4. दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को आक्षेपित करते हुए अभियुक्त ने यह अपील फाइल की है ।

5. दोनों पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों को सुना गया और एल. सी. आर. का परिशीलन किया गया ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अन्वेषक अधिकारी द्वारा किसी निकटस्थ पड़ोसी की परीक्षा नहीं की गई, साक्षियों की मौजूदगी जिनकी इस मामले में परीक्षा की गई थी, अत्यधिक संदेहपूर्ण हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह कहते हुए न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश की कि साक्षियों द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य समय के बारे में विभेदकारी हैं क्योंकि जब वे घटनास्थल पर हाजिर हुए थे जो बात क्षतिग्रस्त व्यक्ति के परिसाक्ष्य से भी विभेदकारी है । इसके अतिरिक्त यह भी दलील दी गई कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध करने में विधि की गलती की है क्योंकि साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि अभियुक्त घटनास्थल से स्वयं वापस लौटा था जिससे यह उपदर्शित होता है कि उसका क्षतिग्रस्त व्यक्ति की हत्या करने का कोई आशय नहीं था । यह भी प्रकट है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति घटना के समय पर अकेला था और अभियुक्त ऐसी स्थिति में था कि वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति की हत्या कर देता यदि उसका ऐसा आशय होता ।

7. विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री पी. एस. लाहकार ने अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की उक्त दलील का पुरजोर रूप से विरोध किया है कि साक्षियों और क्षतिग्रस्त व्यक्ति के बीच समय और घटना के बारे में कोई विभेद नहीं है । घटनास्थल पर साक्षियों की मौजूदगी जो वहां के नजदीक के लोग हैं, वे तनिक भी संदेहपूर्ण नहीं हैं क्योंकि जैसाकि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई है । जहां तक क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मृत्यु कारित करने के बारे में आशय का प्रश्न है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति का साक्ष्य इस बारे में सुसंगत है क्योंकि उसने यह कहा था कि अभियुक्त ने भारी नुकीले आयुध (दाउ) से उसके शरीर पर कई क्षतियां पहुंचाई थी और उसने उसकी गर्दन पर प्रहार करके कटा हुआ घाव पहुंचाने की कोशिश की जिसके लिए वह किसी प्रकार बच निकला । तद्नुसार, यह दलील दी गई कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किया है और आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है ।

8. मैंने परस्पर दलीलों पर विचार किया और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया ।

9. क्षतिग्रस्त व्यक्ति का साक्ष्य जो प्रारंभिक साक्ष्य है, उस पर भी हमने चर्चा की है ।

10. क्षतिग्रस्त व्यक्ति मोहम्मद अमीर हुसैन/पी. डब्ल्यू.-6 के अनुसार तारीख 6 मार्च, 2012 को शाम के वक्त लगभग 5-6.00 बजे अपराह्न जब वह बाजार से वापस घर लौट रहा था तब उसने यह देखा कि अभियुक्त उसके फाटक के सामने खड़ा था । अभियुक्त से इस बारे में पूछताछ करने के पश्चात् कि वह कहां जा रहा है । अभि. सा. 6 अपने कमरे में चला गया और अभियुक्त उसके पीछे चलते हुए उसके कमरे में घुस गया और उसके सिर पर दाउ से प्रहार किया और वह फर्श पर नीचे गिर गया । उसके पश्चात् अभियुक्त ने उसकी गर्दन पर दाउ से प्रहार किया और तब अभि. सा. 6 ने दाउ से बचने के लिए अपना हाथ उठाया परन्तु दाउ से प्रहार उसके हाथ पर हुआ, परिणामस्वरूप, उसके सिर पर गंभीर क्षति पहुंची और इसी प्रकार उसने चीख-पुकार की

और वह फर्श पर रक्त के तालाब पर गिर गया जो रक्त उसके हाथ और पैरों आदि में क्षतियों के कारण निकला था तथा पड़ोसी भी वहां पर पहुंच गए थे और अभियुक्त दाउ के साथ उस जगह से चला गया था । स्थानीय लोग उसे डिस्को अस्पताल ले गए जहां वह कई दिनों तक आई. सी. यू. में भर्ती रहा था । घटना के एक माह पश्चात् उसके दाहिने हाथ पर पहुंची क्षतियों का आपरेशन हुआ था । उसने यह भी कथन किया है कि वह सामान्य रूप से भ्रमण नहीं कर सकता है और वह दाहिने हाथ की कलाई को घुमाने में असमर्थ था ।

11. अभि. सा. 6, अभि. सा. 2 नाजमूल हसन, अभि. सा. 3 असकर अली और अभि. सा. 5 अब्दुल समद इन सभी ने यह कथन किया है कि घटना के दिन को लगभग 5.30 बजे अपराह्न वे लोग बाजार से लौट रहे थे तब उन्होंने अभि. सा. 6 के मकान से चीख-पुकार सुनी तब वे वहां गए और उन्होंने देखा कि अभियुक्त मुकुट अली अपने हाथ में रक्त-रंजीत दाउ को लेकर बाहर आ रहा था और समीपस्थ स्थान में अपने मकान के अंदर घुस गया । वे लोग तत्काल अभि. सा. 6 के मकान पर गए और उन्होंने देखा कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति अपने हाथ और पैर आदि कटी हुई क्षतियों के साथ फर्श पर रक्त के तालाब में पड़ा हुआ था । क्षतिग्रस्त व्यक्ति चीख-पुकार कर रहा था और उसने यह बताया कि अभियुक्त ने उसे कटी हुई क्षतियां कारित की । यद्यपि अभि. सा. 2 क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नातेदार साक्षी है, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 स्वतंत्र साक्षी हैं, वे सभी उपचार के लिए क्षतिग्रस्त व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले गए । कोई विभेद लोप आदि को किसी भी साक्षी द्वारा साबित नहीं किया गया है जिससे कि उनका साक्ष्य मिथ्या प्रकट हो, सिवाय प्रतिरक्षा पक्ष को कुछ सुझाव भी दिए गए थे जिस पर उनका साक्ष्य इधर-उधर नहीं हो सका ।

12. यद्यपि, अभि. सा. 4 बुलुमोनी हुसैन, अभि. सा. 7 नजरूल इस्लाम, अभि. सा. 9 आसिफ अली, अभि. सा. 10 मोहम्मद कमाल हसन और अभि. सा. 12 विफुल हुसैन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है परन्तु वे शोरगुल सुनने पर यह तत्काल घटनास्थल पर गए कि अभियुक्त मुकुट

अली ने अभि. सा. 6 को धारदार आयुध से क्षतियां कारित की हैं और वे लोग क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मकान पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि अभि. सा. 6 फर्श पर रक्त के तालाब में पड़ा हुआ है और उसे उसके सिर के पीछे की ओर, पैर और हाथों में कटी हुई क्षतियां पहुंची थी । क्षतिग्रस्त व्यक्ति ने उन्हें यह बताया कि अभियुक्त ने धारदार आयुध से क्षतियां कारित की । उन्होंने क्षतिग्रस्त व्यक्ति के उपचार की व्यवस्था की । प्रारंभ में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को नागांव पर बीपी अस्पताल पर ले गए और तब उसे त्वरित उपचार के लिए जी. एम. सी. एच. उपचार के लिए भेजा गया था । कई साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन के इस तथ्य को समर्थन मिला है जिस पर कि वे घटनास्थल पर मौजूद रहे थे उस पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है । वे सभी क्षतिग्रस्त व्यक्ति के पड़ोसी हैं, उन्होंने घटना के बारे में सकारात्मक साक्ष्य दिया है और सभी साक्षियों द्वारा सही समय का उल्लेख भी किया है । जिस बात की आशा नहीं की जा सकती परन्तु ये बातें भी रह जाती हैं कि उस समय घटना के समय शाम का समय था जब घटना घटी थी और तीन साक्षी ने स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को अभियुक्त के मकान से आते देखा और अभियुक्त के हाथ में रक्त-रंजीत दाउ भी था । यह भी ध्यान देने योग्य है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और उस आधार-वाक्य पर पड़ोसियों साक्षियों की परीक्षा न करने के बारे में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के निवेदनों पर कोई बल नहीं दिया गया है ।

13. अभियुक्त की पत्नी सुश्री पविना बेगम की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई थी जिन्होंने यह कथन किया कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति का मकान उनके मकान के नजदीक था और क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मकान से चीख-पुकार सुनने पर उसे यह पता चला कि उसके पति ने अभि. सा. 6 को क्षति कारित की थी । उसने प्रतिपरीक्षा में भिन्न उत्तर दिया है कि घटना की तारीख को क्षतिग्रस्त व्यक्ति उनके मकान पर पहुंचा था और उसने उसके शील को भंग करने की कोशिश की तथा उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को इस बारे में बताया था ।

14. इत्तिलाकर्ता अकीमा बेगम ने अभि. सा. 1 के रूप में उपस्थित होकर इस तथ्य के बारे में यह कथन किया कि जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित है कि उसे इस घटना के बारे में दूरभाष से सूचित किया गया था कि अभियुक्त ने उसके भाई/अभि. सा. 6 पर अपने स्वयं के मकान में हमला किया था और उसे उचित उपचार के लिए गुवाहाटी अस्पताल पर ले जाया गया था । वह अपने भाई से मिलने के लिए दिसपुर नर्सिंग होम गुवाहाटी पर मिलने के लिए चली गई थी और क्षतिग्रस्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने यह बताया कि अभियुक्त मुकुट अली ने दाउ से उसे कटी हुई क्षति पहुंचाई और दो लाख रुपए की राशि उठा ले गया । तद्नुसार, उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल की । निस्संदेह, वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

15. जहां तक डाक्टर कृष्ण बोरा/अभि. सा. 11 का संबंध है जिन्होंने बी. पी. अस्पताल नागांव में क्षतिग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया था । क्षतिग्रस्त व्यक्ति की जब परीक्षा की गई तब उन्होंने क्षतिग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :-

"(1) दाहिने घुटने की संधि पर गहरी कटी हुई क्षति देखी गई जो 8×4×4 से. मी. आकार की है ।

(2) बाएं पैर पर गहरी कटी हुई क्षति जो 6×3×3 से. मी. आकार की है ।

(3) बाएं प्रबाहु पर गहरी कटी हुई क्षति जो गहरे आकार में 5×4×4 से. मी. आकार की है ।

(4) कोहनी के नजदीक दाहिने प्रबाहु पर गहरी कटी हुई क्षति जो 5×3×2 से. मी. आकार की है ।

(5) कोहनी के नजदीक दाहिने प्रबाहु पर गहरी कटी हुई क्षति जो 5×3×2 से. मी. आकार की है ।

(6) खोपड़ी में कटी हुई क्षति जो 4×3×2 से. मी. आकार की है ।

यह भी अभिसाक्ष्य दिया गया है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उसके शरीर के भिन्न-भिन्न भागों पर अर्थात् दाहिने घुटने की संधि, बाया पैर, बाएं प्रबाहु, दाहिना प्रबाहु और खोपड़ी पर क्षतियां पहुंची थी । क्षतियां गंभीर प्रकृति की थीं और जो नुकीले आयुध से कारित की गई थी । यह भी राय दी गई है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को आघात के कारण रक्तस्राव हुआ था और उसे तुरन्त उपचार के लिए जी. एम. सी. एच. भेजा गया था । उनके द्वारा प्रदर्श-2 चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट दी गई थी और प्रदर्श-2 (i) में उनके हस्ताक्षर है ।

16. यह सुस्पष्ट है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को पहुंची हुई क्षतियों के बारे में अभियोजन पक्षकथन को चिकित्सा रिपोर्ट से भी समर्थन मिलता है ।

17. इससे आगे, अन्वेषक अधिकारी महेश्वर बासुमातारि/अभि. सा. 13 का साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है जिन्होंने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त करने के बारे में कथन किया है और अन्वेषण के समय पर कच्चा नक्शा तैयार करने के बारे में तथा साक्षी आदि की परीक्षा करने के बारे में कथन किया है । यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने ननाई/ओ./सी. के समक्ष दाउ के साथ अभ्यर्पण किया था और तद्नुसार, अन्वेषक अधिकारी द्वारा साक्षियों की परीक्षा करने पर उनके द्वारा प्रकट की गई सामग्री में कोई विभेद साबित नहीं किए गए हैं ।

18. यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने साक्षी के रूप में स्वयं परीक्षा कराई और उसने अपनी प्रतिरक्षा में दो अन्य साक्षियों को पेश किया और जिसमें उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से इनकार किया है । प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में अभियुक्त ने यह कथन किया है कि उसने अन्वेषक अधिकारी के समक्ष कभी भी अभ्यर्पण नहीं किया और न क्षतिग्रस्त व्यक्ति पर हमला किया और न उसने अभिकथित धनराशि को लिया था । यह भी कथन किया गया है कि उसने क्षतिग्रस्त व्यक्ति अमीर हुसैन को अपनी पत्नी के साथ समझौते की स्थिति में देखा था । उसकी पत्नी क्योंकि जब चीखी चिल्लाई तब वह शीघ्र जैसे ही पहुंचा अभियुक्त भाग खड़ा हुआ और तब उसने

स्थानीय लोगों को मामले के बारे में बताया । यह भी कथन किया गया है कि जैसे ही उसने क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विरुद्ध लोगों के समक्ष शिकायत की, वर्तमान मामला फाइल किया गया । प्रतिरक्षा साक्षी 2 सुश्री नासीन बेगम और प्रतिरक्षा साक्षी 3 मोहम्मद सदारमेत अली ने यह भी कथन किया है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति/अभि. सा. 6 ने अभियुक्त मुकुट अली की पत्नी का शील भंग करने की कोशिश की और उस बात की स्थानीय लोगों से शिकायत की गई और उसके विरुद्ध मिथ्या मामला फाइल किया गया है और अभियुक्त ने कभी भी पुलिस के समक्ष अभ्यर्पण नहीं किया ।

19. यद्यपि, प्रतिरक्षा पक्ष ने यह कहानी बताई है कि जिस पर कोई बल प्रकट नहीं होता है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ऐसे गंभीर अभिकथनों पर क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विरुद्ध फाइल नहीं की गई थी । कोई भी विवाहित स्त्री विधि का आश्रय लिए बिना नहीं रहेगी यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उससे बलात्संग करने का प्रयत्न किया जाता है । इसी तरह, अभियुक्त द्वारा अपने अभ्यर्पण के बारे में इनकार करना अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसे यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ जिस बात कि अभिलेख पर अन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्टि भी हुई है । अभिकथनों/तथ्यों से इनकार किया जाना तब तक कोई परिणाम नहीं है जब तक कि अध्यपेक्षित साक्ष्य द्वारा सिद्ध न कर दिया गया हो । इस प्रकार, प्रतिरक्षा साक्ष्य त्यक्त किए जाने योग्य है ।

20. अभिलेख पर साक्ष्य का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तीन साक्षी अर्थात् अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के साक्ष्य से और अभि. सा. 6 का साक्ष्य भी आरोपित अपराधों से अभियुक्त को फंसाने के लिए पर्याप्त है क्योंकि अभियुक्त अपने हाथ में रक्त-रंजीत दाउ को लेकर क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मकान से वापस लौटते हुए देखा गया था और क्षतिग्रस्त व्यक्ति गंभीर क्षतियों के कारण जमीन पर गिरा हुआ पाया गया था । अन्य साक्षी जो घटना के तत्काल पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्हें क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा उस बारे में बताया गया था कि वह अभियुक्त था जिसने उस पर क्षतियां कारित कीं । यह तथ्य कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उसके

शरीर के भिन्न-भिन्न भागों पर गंभीर क्षतियां पहुंची थी, जिस बात की अन्वेषक अधिकारी द्वारा भी संपुष्टि की गई है और बाकी सभी अन्य साक्षी ने मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों का भी समर्थन किया है जिससे क्षतिग्रस्त व्यक्ति के परिसाक्ष्य को झुठलाने की कोई गुंजाइश नहीं है । यह अभिनिर्धारित करने में कुछ भी नहीं है कि साक्षियों द्वारा अभियुक्त को शत्रुतावश मिथ्या रूप से फंसाए जाने की कोई बात प्रकट नहीं हुई है उनका साक्ष्य स्पष्ट है और विश्वास को प्रकट करता है तथा अभियोजन पक्षकथन को नुकसान नहीं पहुंचाता । वे घटना के कुछ मिनटों के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए थे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट बिना किसी अतिरिक्त विलंब के फाइल की गई थी ।

21. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की दलील का संबंध है कि दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध साबित नहीं किया गया है, यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने दाउ की भांति अत्यधिक भारी तेजधार आयुध से क्षतिग्रस्त व्यक्ति की गर्दन पर प्रहार करके कटी हुई क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जिसका उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप लक्षित भाग क्षति पर नहीं पहुंची थी । क्या क्षतिग्रस्त व्यक्ति दाउ के प्रहार को रोकने में सफल नहीं हुआ जिससे उसकी हत्या की जा सके । हत्या करने के प्रयत्न करने में वह कार्य जिसे करने का प्रयास किया गया अगर यदि उसे रोका नहीं जाता या उस पर मध्यक्षेप नहीं किया जाता तो तब पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होती । अभियुक्त व्यक्ति को यह जानकारी थी कि शरीर के अर्थात् गर्दन के महत्वपूर्ण भाग पर ऐसा कटा हुआ प्रहार से पीड़ित की हत्या को कारित किया जाना पर्याप्त होगा । दंड संहिता की धारा 307 के अधीन स्पष्ट रूप से ऐसे कार्य को अनुध्यात किया गया है जो मृत्यु कारित करने के लिए आशय और जानकारी के साथ किया जाता है और जो प्रतिरोध या मध्यक्षेप के कारण ऐसी परिस्थितियों को साशय लाने में असफल हो जाता है । इस पृष्ठभूमि में दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध बनता है । क्षतिग्रस्त व्यक्ति को पहुंची गंभीर क्षतियों के बारे में चिकित्सा रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपराध सुस्थापित है ।

अभियुक्त का क्षतिग्रस्त व्यक्ति के मकान में प्रवेश करते वक्त सआशय उस पर हमला करने का अपराध था जो दंड संहिता की धारा 448 के अधीन अपराध के लिए दायी है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का उचित रूप से मूल्यांकन किया है और मैं विद्वान् विचारण के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं पाता हूं और तद्नुसार, इस बात को यहां पर कायम रखा जाता है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के लंबे समय से निरोध को रहने में ध्यान को रखते हुए जो तारीख 30 सितंबर, 2016 के निर्णय की तारीख से निरुद्ध है, पर विचार करने और अन्वेषण के दौरान से 3 मास तक पूर्ववर्ती निरोध पर भी विचार करने का अनुरोध किया गया ।

22. मैंने ऊपर किए गए निवेदनों पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया है और मेरी विचारित राय यह है कि यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी पर मैथुन हमले के प्रयत्न के अभिवाक् को साबित नहीं कर सका है, शायद यह कारण रहा है कि अभियुक्त ने त्वरित गति से ऐसा प्रहार किया है अन्यथा उनके बीच कोई शत्रुता नहीं थी क्योंकि वे पड़ोसी थे । अभियुक्त व्यक्ति विवाहित व्यक्ति है और प्रचुर समय तक सलाखों के पीछे रहा है और परिरोध में रहते हुए विचारण का सामना करता रहा है । ऐसी बातें ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ी कठिन है जिसका पूर्व में कोई पूर्ववर्ती इतिहास न रहा हो ।

23. उपरोक्त सभी बातों को संज्ञान में लेते हुए जिसमें दंड संहिता की धारा 326 और 307 के अधीन दोषसिद्धि पर दंड ठहराया जाता है उसमें से अभियुक्त द्वारा पहले भोगी गई अवधि को कम किया जाता है और जुर्माने की रकम वैसी ही रहेगी ।

24. तद्नुसार, अपील ऊपर उपदर्शित सीमा तक भागतः मंजूर की जाती है । एल. सी. आर. को वापस भेजा जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

मोहम्मद सरीफुल इस्लाम

बनाम

असम राज्य

तारीख 11 दिसंबर, 2018

न्यायमूर्ति (श्रीमती) रूमी कुमारी फुकान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क, 304ख, 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख] – दहेज मृत्यु – उपधारणा – विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृतका की अप्राकृतिक मृत्यु – मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर अभियुक्त (पति) और उसके माता-पिता द्वारा मृतका को कीटनाशक दवा पिलाकर हत्या किए जाने का अभिकथन – क्रूरता या तंग किए जाने की प्रकृति का कोई साक्ष्य विद्यमान न होना – ऐसी कोई सामग्री प्रकट नहीं है कि मृतका के साथ उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व क्रूरता का व्यवहार किया गया था और अभियुक्त के कुटुंब के सदस्यों द्वारा मृतका को बचाने का प्रयास किया गया था तथा मृतका के शरीर पर क्षति का कोई चिह्न नहीं पाया गया था, इसलिए दहेज मृत्यु की उपधारणा नहीं की जा सकती और अभियुक्त की दोषमुक्ति न्यायोचित है ।

अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अनवार बेगम से अभियुक्त सरीफुल इस्लाम का विवाह हुआ था और पर्याप्त वस्तुएं, फर्नीचर और घरेलू वस्तुएं उसके विवाह में दी गई थीं परन्तु अभियुक्त और उसके माता-पिता और अन्य ससुराल वाले वस्तुओं की गुणता से संतुष्ट नहीं थे और अनवार बेगम को अच्छी गुणता की वस्तुएं लाने के लिए उस पर दबाव डालते थे तथा यद्यपि उक्त मांग का पीड़िता के पति द्वारा समाधान किया गया था परन्तु सरीफुल इस्लाम ने मोटरसाइकिल की मांग करके उसे प्रताड़ित किया । उक्त अनवार बेगम और सरीफुल इस्लाम तारीख 16 अगस्त, 2010 को इत्तिलाकर्ता के घर पर पहुंचे और उससे मोटरसाइकिल की मांग की तथा अपने घर वापस लौटने के अगले

दिन अनवार मृत पाई गई थी । इत्तिलाकर्ता को यह सूचना मिली कि अभियुक्त सरीफुल और उसके माता-पिता ने मृतका के मुंह में कीटनाशक दवा डालकर अनवार की हत्या कर दी । अगले दिन इत्तिलाकर्ता के मकान को छोड़ने अर्थात् 17 अगस्त, 2010 को अनवार के पिता ने इन तथ्यों पर तारीख 18 अगस्त, 2010 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । पूर्वोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर ढालगांव पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 498क/304ख/34 के अधीन अपराध मामला सं. 446/2010 दर्ज कराई गई थी । शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति सरीफुल इस्लाम, विराज अली और शकीना बेगम के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/304ख/34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने विचारण का सामना किया और दंड संहिता की धारा 498क/304/302/34 के अधीन विरचित आरोपों से इनकार किया । अभियोजन पक्षकथन ने अपने पक्षकथन के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी और अन्वेषण अधिकारी तथा वैज्ञानिक जिन्होंने न्यायालयिक प्रयोगशाला गुवाहाटी पर मृतका के आंतरिक अंगों की परीक्षा की, सहित 9 साक्षियों की परीक्षा कराई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने विचारण का निष्कर्ष निकालते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सरीफुल इस्लाम दंड संहिता की धारा498क/304ख के अधीन दोषी है तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को आरोप से दोषमुक्त कर दिया । अपनी दोषिता से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दूसरी ओर साक्ष्य की कतिपय मात्रा जिससे सरसरी तौर पर यह उपदर्शित होता है कि अन्यथा जो मृत्यु के कारण का आधार हो सकता है । सुस्पष्टतया, यह एक ऐसा मामला है यहां मृत्यु के कारण को साबित नहीं किया जा सका है । डा. जिन्होंने शवपरीक्षण की परीक्षा की थी, उन्होंने मृतका की मृत्यु के कारण के बारे में कोई राय प्रकट नहीं कर सके । यद्यपि, मृतका के आंतरिक अंगों की परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था परन्तु न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मृतका के

आंतरिक अंग में कोई जहर नहीं पाया गया था और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतका की मृत्यु का कारण हृदय के फेल होने का कारण था । दुर्गेश्वर शर्मा (अभि. सा. 6) ज्येष्ठ चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मंगलदोही सिविल अस्पताल और सामुद्रा वैश्य (अभि. सा. 7) न्यायालयिक प्रयोगशाला के उक्त निदेशक, गुवाहाटी का साक्ष्य सुसंगत है । शवपरीक्षण परीक्षा के समय पर मृतका के शरीर पर क्षति के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया । यद्यपि, साक्षी जिन्होंने मृतका को अस्पताल ले जाते समय उसके शव को देखा था, उन्होंने भी मृतका के शरीर पर कोई क्षति होने का उल्लेख नहीं किया है । सभी पहलू किसी भी परिकल्पना के नकारात्मक हैं कि मृतका अपनी मृत्यु से पूर्व किसी क्षति या प्रताड़ना के अध्यधीन रही थी । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर यह साक्ष्य भी प्रकट है कि अभियुक्त का भाई मृतका की बहन के साथ देखा गया था जो अभियुक्त के कुटुंब के सदस्यों के साथ मृतका को अस्पताल ले गया था जिससे यह भी उपदर्शित होता है कि उन्होंने मृतका को बचाने की कोशिश की । वर्तमान मामले में सभी संचयी प्रभावों को संज्ञान में लेते हुए जबकि मृत्यु के कारण के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है और अन्य साक्ष्य पर भी ध्यान देते हुए जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त है कि मृतका की मृत्यु से पूर्व कोई क्रूरता या तंग किए जाने की बात प्रकट नहीं हुई थी । इसके अतिरिक्त, जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथन किया गया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि तारीख 18 अगस्त, 2010 को अभियुक्त द्वारा मृतका पर हमला किया गया था जबकि मृतका अपनी मृत्यु से पूर्व इत्तिलाकर्ता के घर पर थी और उस दिन अभियुक्त द्वारा मृतका पर कोई हमला किया गया कि हमला किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं थी । विवाह के समय पर वर्णित फर्नीचर की निम्न गुणता के बारे में अभिव्यक्ति का संबंध को दहेज मांग के समतुल्य नहीं रखा जा सकता । अभिलेख पर प्रकट सामग्री को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की यह राय है कि विचारण न्यायालय ने विधि और तथ्यों के उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं हुआ है और विधि का सुस्थिर सिद्धांत यह है कि आरोप को अभियोजन पक्ष

द्‌वारा सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित किया जाना चाहिए । अभियोजन पक्ष अपने भार का निर्वहन करने में विफल हुआ और उसका फायदा अभियुक्त के पक्ष में चला गया है । कई बार यह पाया गया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण को अभिलेख पर पर्याप्त रूप से नहीं लाया जा सका जो जटिल मानवीय व्यवहार के कारण हो सकता है जो बात इस मामले में घटित हुई है । वर्तमान मामले में आधारिक अभिकथन यह है कि मृतका की मृत्यु जहर का उपभोग करने के कारण हुई जिस बात को चिकित्सा साक्ष्य द्‌वारा रद्द घोषित किया गया है और मौखिक तथा चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई क्षति का चिन्ह नहीं हुआ । सम्पूर्ण साक्ष्य का सावधानी पूर्वक परिशीलन करने पर जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है तथा विधिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जैसाकि ऊपर उपबंध किया गया है कि यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्‌वारा निकाले गए निष्कर्षों को स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त नहीं होता है क्योंकि अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के संघटकों को साबित अध्यपेक्षित रूप से काफी निम्न स्तर पर गिरा है । दहेज मृत्यु के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा का अनुमान लगाने के लिए भी अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना जरूरी है कि पीड़िता अपनी मृत्यु से कुछ पूर्व क्रूरता कारित की गई थी परन्तु उसे साबित करने के लिए कोई विधिक साक्ष्य नहीं है । परिणामस्वरूप अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम नहीं रखा जा सकता है । तद्‌नुसार, अपील मंजूर की जाती है और आक्षेपित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को तत्काल छोड़ा जाता है । (पैरा 14, 15, 17 और 25)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 10 एस. सी. सी. 395 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5909 :
गुरदीप सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 23

[2013]	(2013) 3 एस. सी. सी. 684 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1567 : **विपिन जायसवाल** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ।	24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 115.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

याची/अपीलार्थी की ओर से श्री एम. ए. शेक

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री बी. जे. दत्ता, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति (श्रीमती) रूमी कुमारी फुकान – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एम. ए. शेक और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक श्री बी. जे. दत्ता को सुना । प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ ।

2. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अनवार बेगम से अभियुक्त सरीफुल इस्लाम का विवाह हुआ था और पर्याप्त वस्तुएं, फर्नीचर और घरेलू वस्तुएं उसके विवाह में दी गई थी परन्तु अभियुक्त और उसके माता-पिता और अन्य ससुराल वाले वस्तुओं की गुणता से संतुष्ट नहीं थे और अनवार बेगम को अच्छी गुणता की वस्तुएं लाने के लिए उस पर दबाव डालते थे तथा यद्यपि उक्त मांग का पीड़िता के पति द्वारा समाधान किया गया था परन्तु सरीफुल इस्लाम ने मोटरसाइकिल की मांग करके उसे प्रताड़ित किया । उक्त अनवार बेगम और सरीफुल इस्लाम तारीख 16 अगस्त, 2010 को इत्तिलाकर्ता के घर पर पहुंचे और उससे मोटरसाइकिल की मांग की तथा अपने घर वापस लौटने के अगले दिन अनवार मृत पाई गई थी । इत्तिलाकर्ता को यह सूचना मिली कि अभियुक्त सरीफुल और उसके माता-पिता ने मृतका के मुंह में कीटनाशक दवा डालकर अनवार की हत्या कर दी । अगले दिन इत्तिलाकर्ता के मकान को छोड़ने अर्थात् 17 अगस्त, 2010 को अनवार के पिता ने इन तथ्यों पर तारीख 18 अगस्त, 2010 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । पूर्वोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर ढालगांव पुलिस थाने में दंड संहिता की धारा 498क/304ख/34 के अधीन अपराध मामला

सं. 446/2010 दर्ज कराई गई थी । शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया था तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति सरीफुल इस्लाम, विराज अली और शकीना बेगम के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/304ख/34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने विचारण का सामना किया और दंड संहिता की धारा 498क/304/302/34 के अधीन विरचित आरोपों से इनकार किया ।

3. अभियोजन पक्षकथन ने अपने पक्षकथन के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी और अन्वेषण अधिकारी तथा वैज्ञानिक जिसने न्यायालयिक प्रयोगशाला गुवाहाटी में मृतका के आंतरिक अंगों की परीक्षा की, सहित 9 साक्षियों की परीक्षा कराई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने विचारण का निष्कर्ष निकालते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सरीफुल इस्लाम दंड संहिता की धारा 498क/304ख के अधीन दोषी है तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को आरोप से दोषमुक्त कर दिया । अपनी दोषिता से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

4. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों को सुना ।

5. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री शेक ने पुरजोर ये दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय मामले के सभी आवश्यक पहलुओं का मूल्यांकन करने में विफल हुआ है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दंड संहिता की धारा 304ख के अपराध या क्रूरता के अपराध के आवश्यक संघटकों को साबित करना अत्यधिक अपर्याप्त है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने केवल अटकलबाजियों की दोषिता का निष्कर्ष निकाला है । अभियोजन का आधार अर्थात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दृढ़तापूर्वक आक्षेपित किया गया है । इस बात की ओर इंगित किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु जहर पीने के कारण हुई जिसे अभियुक्त द्वारा उसे पिलाया गया था परन्तु उक्त अभिकथन को किसी मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं मिला है, इसलिए, उक्त अभिकथन का प्रभाव नकारात्मक है । विद्वान् काउंसेल ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के माध्यम से इस न्यायालय का ध्यान दिलाया और यह अनुरोध किया कि साक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया

गया है कि मृतका और उसके पति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध उस तारीख तक बने हुए थे जब तक कि दहेज की मांग का कथन नहीं किया गया था और अभियुक्त और उसके कुटुंब की ओर से मृतका को प्रताड़ित करने का कोई साक्ष्य नहीं है ।

6. दूसरी ओर, विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री दत्ता ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश को न्यायसंगत ठहराया है तथा यह दलील दी कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा फर्नीचर और मोटरसाइकिल की मांग के बारे में अभिलेख पर साक्ष्य को देखते हुए और उसके पश्चात् पीड़िता की मृत्यु हो जाना एक सामान्य परिस्थिति है । इस पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अपराध का कर्ता है । यह दलील दी गई कि मृतका ने अपनी मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग के बारे में तथा अभियुक्त द्वारा किए गए हमले के बारे में बताया था तथा इस तरह, विद्वान् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करके ठीक ही किया है तथा इसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

7. पूर्वोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सावधानीपूर्वक परीक्षा की है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में मुख्य अभिकथन यह है कि अभियुक्त ने दहेज की मांग करके मृतका को प्रताड़ित किया और तारीख 15 अगस्त, 2010 को अभियुक्त/अपीलार्थी ने मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उस पर हमला भी किया तथा तारीख 17 अगस्त, 2010 को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतका के मुंह में कीटनाशक की दवा उसे पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी । दहेज मांग के मामले तथा प्रताड़ना के बारे में इत्तिला कर्ता का साक्ष्य, अब्दुल शमद (मृतका का पिता) अभि. सा. 2 तेजू शेक अभि. सा. 1 (पड़ोसी) का साक्ष्य यह है कि यद्यपि विवाह के समय पर अनवार को पर्याप्त फर्नीचर दिया गया था परन्तु विवाह के कुछ दिनों पश्चात् शकीना (अर्थात् सास) और मिराज (अर्थात देवर) ने फर्नीचर के निम्न स्तर का फर्नीचर लाने पर अनवार को फटकार लगाई थी जो बात उसके पिता द्वारा बताई गई है जिसके लिए अभि. सा. 2 ने नया फर्नीचर उनको दिया गया था परन्तु पुन: सरीफुल ने अनवार से मोटरसाइकिल

की मांग करते हुए उसे फटकार लगानी शुरू कर दी । एक दिन सरीफुल और अनवार उनके मकान पर पहुंचे और उस रात्रि में उनके निवास पर रुकी रही । जब उन्होंने मोटरसाइकिल के लिए कहा तब अगले दिन वे अभि. सा. 2 के मकान से चले गए और अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा दोपहर में उसे यह सूचना दी गई थी कि अनवार ने जहर पी लिया है । तद्नुसार अभि. सा. 2 ने अपने पुत्र मनास अभि. सा. 5 को वहां भेजा जिसने देखा कि अनवार को बैलगाड़ी में अस्पताल ले जाया गया था और उपचार से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी । अभि. सा. 1 ने भी वही वृत्तांत दिया है और उन दोनों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि दोनों अनवार और सरीफुल ने उसकी मृत्यु से पूर्व एक दिन मोटरसाइकिल की बात कही थी जब मृतका इनके मकान पर पहुंची थी । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 2 ने वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा मृतका से किया गया उत्पीड़न या परेशानी के बारे में कोई शब्द नहीं बोला है । अभि. सा. 1 जो बाहरी व्यक्ति है, ने इसी बात पर यह कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी और उसकी माता ने मृतका पर हमला किया था और हमले की रीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है और उसने प्रताड़ित करने के बारे में तस्वीर बनाने की कोशिश की । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि अगले दिन जब अभियुक्त और अनवार अभि. सा. 2 के मकान से चले गए थे तब उन्हें जहर खाकर अनवार की हत्या के बारे में पता चला और वह मनास अभि. सा. 5 के साथ वहां गया और अनवार को डा. के पास ले गया ।

8. अन्य साक्षी अभि. सा. 3 (मोहम्मद अली) और अभि. सा. 4 (मोहम्मद कदूस शेक), सह गांववासी ने साधारण रूप से इस तथ्य के बारे में वृत्तांत दिया है कि उन्होंने अभि. सा. 2 को सुना कि अभियुक्त व्यक्ति ने अनवार के व्यवहार में दी गई वस्तुओं की गुणता के बारे में आक्षेप किया था जिस पर अभि. सा. 2 ने नया फर्नीचर उनको मुहैया कराया था । उन्होंने यह भी सुना कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था और अभियुक्त सरीफुल ने अभि. सा. 2 से मोटरसाइकिल की मांग की थी । उनके साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि दोनों अभियुक्त/अपीलार्थी और अनवार ने घटना घटने के एक दिन पूर्व अभि.

सा. 1 के मकान पर पहुंचे थे और अगले दिन अनवार की मृत्यु हो गई थी । अभि. सा. 3 का साक्ष्य सुसंगत है जब उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि उस दिन दोनों सरीफुल और अनवार अभि. सा. 2 के मकान पर पहुंचे तब उसने निकटता का पड़ोसी होने के कारण उनकी वार्तालाप सुनी थी तब अनवार ने उनकी मोटरसाइकिल की मांग को ठुकरा दिया था ।

9. मृतका का भाई मनास अली अभि. सा. 5 और यूनूस अली अभि. सा. 7 और अभि. सा. 9 रहीशा खातून (इत्तिलाकर्ता की बहन) ने एक-सा परिसाक्ष्य दिया है कि उनके पिता अभि. सा. 2 ने विवाह के कुछ दिनों के पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति ने विवाह में फर्नीचर की दुर्बल गुणता की वजह से उसकी बहन अनवार को फटकार लगाई थी जिसके लिए उसके पिता ने कुछ फर्नीचर उनको दिया गया था और अंततः जब अनवार और सरीफुल उनके मकान पर पहुंचे और उनके मकान में एक रात गुजारी तब सरीफुल ने उनसे मोटरसाइकिल देने के लिए कहा जिस पर उसके पिता ने अपनी असमर्थता दिखाई और अगले दिन प्रातः वे उनके मकान से चले गए और दोपहर में उन्होंने सुना कि अनवार ने जहर पी लिया था । अभि. सा. 5 वहां पर गया और उसने देखा कि अनवार बैलगाड़ी पर लेटी हुई थी और वह उसे मंगलदोही अस्पताल गाड़ी पर ले गया था परन्तु रास्ते पर उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि अनवार की मृत्यु होने पर उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे और उन्होंने समान संबंध बनाए रखे थे और अनवार की मृत्यु से पूर्व उनके कुटुंब के बीच कभी भी कोई तनाव नहीं रहा था और वे प्रायः अभियुक्त के मकान पर आया-जाया करते थे ।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त फर्नीचर की निम्न गुणता के कारण क्रोधित रहता था और अपनी पत्नी/मृतका को फटकार लगाता था और जब मृतका के पिता को उस बारे में अवगत कराया गया तब उसके पिता ने कुछ और फर्नीचर खरीदकर उन्हें दिया । यद्यपि, उस बात को दहेज के रूप में माना गया है परन्तु उस बात को प्रताड़ना के रूप में सहबद्ध नहीं किया

गया था जिससे कि मांग को पूरा करवाने के लिए उसके द्वारा क्रूरता बरती गई थी । दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध को गठित करने के लिए अपराध के निम्नलिखित संघटक को साबित किया जाना चाहिए :-

(i) कि अभियुक्त ने स्त्री की दहेज हत्या कारित की ।

(ii) स्त्री अपने पति या उसके नातेदारों के द्वारा बरती गई क्रूरता या परेशानी के अध्यधीन रही हो ।

(iii) ऐसी क्रूरता या तंग किया जाना दहेज की किसी मांग के संबंध में होना चाहिए ।

(iv) मृतका की मृत्यु के तत्काल पूर्व होना चाहिए ।

11. अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 304ख के अपराध के संघटकों को साबित किया है और सबूत के भार से बचा नहीं जा सकता कि तंग किया जाना और क्रूरता बरता जाना दहेज की मांग के संबंध में था और ये बातें मृतका की मृत्यु के तत्काल पूर्व घटित हुई थी । "दहेज" शब्द को इस प्रकार समझा गया है जैसाकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में परिभाषित है । इस प्रकार, दहेज के संबंध में तीन अवसर प्रकट किए गए हैं कि विवाह से पूर्व, विवाह के समय पर और समाप्ति की अवधि पर । धारा 304ख के उपबंध को लागू करने के लिए अपराध के मुख्य संघटकों में से एक जिसे सिद्ध किया जाना अपेक्षित है यह है कि "उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व" वह क्रूरता और तंग किए जाने के अध्यधीन "दहेज की मांग के संबंध में" थी । उसकी मृत्यु से पूर्व तत्काल की गई अभिव्यक्ति दंड संहिता की धारा 304ख में मूल रूप से प्रयोग में लिया गया है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख सन्निकट परीक्षा के विचार से मौजूद हो । अवधि की अवधारणा जो "तत्काल पूर्व" शब्दावली के भीतर आ सकती है, इस बात को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होकर न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाना चाहिए । तथापि पर्याप्त रूप से यह भी उपदर्शित हुआ है कि "तत्काल पूर्व" की अभिव्यक्ति सामान्य रूप से विवक्षित होती है कि संबंधित क्रूरता या तंग किए जाने और प्रश्नगत मृत्यु के बीच

अत्यधिक अंतराल नहीं होना चाहिए और सन्निकटता की विद्यमानता होनी चाहिए तथा दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता का प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच सजीव कड़ी होनी चाहिए । यदि क्रूरता की अभिकथित घटना समय में दूरस्थ है और संबंधित महिला के मानसिक संतुलन पर विघ्न नहीं डालता है तब उसकी कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होनी चाहिए ।

12. धारा 304ख का परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि यदि विवाहित स्त्री की विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अलग मृत्यु होती है और यह उपदर्शित होता है कि वह दहेज की मांग के संबंध में अपने पति या उसके किसी नातेदार द्वारा उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व तंग किए जाने के अध्यधीन हुई थी तब ऐसी मृत्यु के बारे में दहेज मृत्यु होना कहा जाएगा और ऐसे पति उसके नातेदारों को मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।

13. दंड संहिता की धारा 304ख के आज्ञापक उपबंध को ध्यान में रखते हुए हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया है । इससे यह दर्शित होता है कि सभी साक्षी अर्थात् मृतका के पिता, भाई और नातेदार ने साधारण तौर पर यह कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा फर्नीचर की निम्न स्तर की गुणता के कारण फटकार (भाषा जिसे प्रकट नहीं किया गया है) लगाई जाती थी और यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य में पूर्णतया यह कमी प्रकट होती है कि याची शारीरिक और मानसिक परेशानी के अध्यधीन थी जिस पर दंड संहिता की धारा 498क के अर्थ के अन्तर्गत क्रूरता गठित होती है जो प्रताड़ना का निर्धारण करने के लिए एक अन्य संघटक के रूप में है । साक्षी जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, ने यह कथन किया है कि अनवार बेगम की मृत्यु तक दोनों कुटुंबों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे और वे आपस में एक-दूसरे के यहां आया-जाया करते थे और यह अभिनिर्धारित करने के लिए कुछ भी प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त ने इस अधिनियम के अभिप्राय: के अन्तर्गत दहेज की मांग की थी ।

14. दूसरी ओर साक्ष्य की कतिपय मात्रा जिससे सरसरी तौर पर यह उपदर्शित होता है कि अन्यथा जो मृत्यु के कारण का आधार हो

सकता है । सुस्पष्टतया, यह एक ऐसा मामला है यहां मृत्यु के कारण को साबित नहीं किया जा सका है । डा. जिन्होंने शवपरीक्षण की परीक्षा की थी, उन्होंने मृतका की मृत्यु के कारण के बारे में कोई राय प्रकट नहीं कर सके । यद्‌यपि, मृतका के आंतरिक अंगों को परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था, परन्तु, न्यायालयिक प्रयोगशाला द्‌वारा परीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मृतका के आंतरिक अंग में कोई जहर नहीं पाया गया था और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतका की मृत्यु का कारण हृदय के फेल होने का कारण था । दुर्गेश्वर शर्मा (अभि. सा. 6) ज्येष्ठ चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मंगलदोही सिविल अस्पताल और सामुद्रा वैश्य अभि. सा. 7 न्यायालयिक प्रयोगशाला के उक्त निदेशक, गुवाहाटी का साक्ष्य सुसंगत है । शवपरीक्षण परीक्षा के समय पर मृतका के शरीर पर क्षति के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया । यद्‌यपि, साक्षी जिन्होंने मृतका को अस्पताल ले जाते समय उसके शव को देखा था, उन्होंने भी मृतका के शरीर पर कोई क्षति होने का उल्लेख नहीं किया है । सभी पहलू किसी भी परिकल्पना के नकारात्मक हैं कि मृतका अपनी मृत्यु से पूर्व किसी क्षति या प्रताड़ना के अध्यधीन रही थी । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर यह साक्ष्य भी प्रकट है कि अभियुक्त का भाई मृतका की बहन के साथ देखा गया था जो अभियुक्त के कुटुंब के सदस्यों के साथ मृतका को अस्पताल ले गया था जिससे यह भी उपदर्शित होता है कि उन्होंने मृतका को बचाने की कोशिश की ।

15. वर्तमान मामले में सभी संचयी प्रभावों को संज्ञान में लेते हुए जबकि मृत्यु के कारण के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है और अन्य साक्ष्य पर भी ध्यान देते हुए जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त है कि मृतका की मृत्यु से पूर्व कोई क्रूरता या तंग किए जाने की बात प्रकट नहीं हुई थी । इसके अतिरिक्त, जैसाकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथन किया गया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि तारीख 18 अगस्त, 2010 को अभियुक्त द्‌वारा मृतका पर हमला किया गया था जबकि मृतका अपनी मृत्यु से पूर्व इत्तिलाकर्ता के घर पर

थी और उस दिन अभियुक्त द्वारा मृतका पर कोई हमला किया गया कि हमला किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं थी ।

16. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो संदेह को प्रकट करने के लिए प्रकाश में आया है कि मृतका की मृत्यु का कारण जो इत्तिलाकर्ता द्वारा स्वयं प्रकट किया जा सका । जैसाकि इत्तिलाकर्ता द्वारा और उसके अन्य दो साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि घटना के दिन से पूर्व मृतका और उसका पति/अभियुक्त इत्तिलाकर्ता के मकान पर आए और बिना किसी बात के कहे वहां रुके और यह भी कहा गया है कि दोनों मृतका और उसका पति (अभियुक्त) ने मोटरसाइकिल की मांग की थी जिसके लिए इत्तिलाकर्ता ने उसे फटकार भी लगाई थी । इस क्रम में पीड़िता की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट कारण हो सकता है कि मोटरसाइकिल देने में उसके पिता द्वारा इनकार करने पर जैसाकि उसके और उसके पति द्वारा मांग की गई थी । विमुख होने के कारण मृतका की हृदय आघात हुआ था जिससे उसकी मृत्यु हो गई । यहां पर यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि इत्तिलाकर्ता के मकान में रुकने के पश्चात् जिसमें कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी और वहां पर तंग किए जाने के बारे में भी नहीं बोला गया और पीड़ित महिला अगले दिन अपने वैवाहिक गृह में मृत पाई गई थी । यद्यपि इस बारे में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं हो सकती कि कैसे उसकी मृत्यु हुई परन्तु अपराधों के महत्वूपर्ण संघटक को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है जैसाकि ऊपर चर्चित की गई है । इस पर यह उचित नहीं होगा कि अभियुक्त की दोषिता के बारे में किसी निष्कर्ष का उल्लंघन किया जाए, मात्र इस कारण से कि उसने सिर्फ एक बार इत्तिलाकर्ता से मोटरसाइकिल की मांग को अधिमानता दी थी ।

17. विवाह के समय पर वर्णित फर्नीचर की निम्न गुणता के बारे में अभिव्यक्ति का संबंध को दहेज मांग के समतुल्य नहीं रखा जा सकता । अभिलेख पर प्रकट सामग्री को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की यह राय है कि विचारण न्यायालय ने विधि और तथ्यों के उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं हुआ है और विधि का सुस्थिर सिद्धांत यह है कि आरोप को अभियोजन पक्ष द्वारा सभी युक्तियुक्त

संदेहों के परे साबित किया जाना चाहिए । अभियोजन पक्ष अपने भार का निर्वहन करने में विफल हुआ और उसका फायदा अभियुक्त के पक्ष में चला गया है । कई बार यह पाया गया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण को अभिलेख पर पर्याप्त रूप से नहीं लाया जा सका जो जटिल मानवीय व्यवहार के कारण हो सकता है जो बात इस मामले में घटित हुई है । वर्तमान मामले में आधारिक अभिकथन यह है कि मृतका की मृत्यु जहर का उपभोग करने के कारण हुई जिस बात को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा रद्द घोषित किया गया है और मौखिक तथा चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार मृतका के शरीर कोई क्षति का चिन्ह नहीं हुआ ।

18. दंड संहिता की धारा 304ख दहेज मृत्यु से संबंधित है । इसका परिशीलन करने पर निम्न प्रकार है :-

> "304ख. **दहेज मृत्यु** – (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।
>
> **स्पष्टीकरण** – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ।"

19. उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व की अभिव्यक्ति दंड संहिता की धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख में मूल रूप से प्रयोग किया गया है । इसमें कोई निश्चित अवधि उल्लिखित नहीं की गई है और उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है । अवधि का निर्धारण जो कुछ पूर्व शब्दावली के अन्तर्गत आ सकता है, उस बात को न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होकर अवधारित किया जाना उस पर छोड़ा गया है ।

20. "दहेज मृत्यु" शब्द का धारा 113ख के स्पष्टीकरण 2 के संदर्भ में (दहेज) के दहेज शब्द के संबंध में जैसाकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है पर समझा जाना चाहिए जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है :-

धारा 2 (दहेज) की परिभाषा दहेज से यह अभिप्रेत है कि कोई संपत्ति या मूल्यवान संपत्ति जिसे या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है या दिए जाने का करार किया जाता है ।

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को ; या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार की या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षत: दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, में इसके अन्तर्गत नहीं है ।

21. दहेज मृत्यु के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा केवल निम्नलिखित चार आवश्यक शर्तों के सबूत पर ही उद्भूत हो सकता है :-

(1) स्त्री क्रूरता या तंग किए जाने के अध्यधीन थी ।

(2) पति या उसके नातेदारों द्वारा ;

(3) दहेज के किसी मांग के लिए या उसके संबंध में ;

(4) उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व ।

22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख का परिशीलन करने पर जो इस प्रकार है :-

"113ख. **दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा** - जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज

की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख में है ।"

23. **गुरदीप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि "उपधारणा" की अभिव्यक्ति का दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन प्रयोग नहीं किया गया है, दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन "समझा जाएगा" शब्दों को अक्षरश: लाया गया है और विधि के अधीन उससे अभिप्रेत आशय और संदर्भ में ऐसा माना जाना अपेक्षित है । दहेज मृत्यु पर दंड संहिता की धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113ख पर उपधारणा को उसी अधिनियम अर्थात् 1986 के अधिनियम 43 द्वारा तारीख 19 नवंबर, 1986 से प्रभाव में लाने के लिए पुन: स्थापित किया गया था और दंड संहिता की धारा 498क तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113क को तारीख 25 दिसंबर, 1983 से प्रभाव में लाने के लिए 1983 के अधिनियम सं. 46 द्वारा पुन:स्थापित किया गया था । साक्ष्य अधिनियम के अधीन संशोधन दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 तथा भारतीय दंड संहिता के अधीन पारिणामिक संशोधन के रूप में है । यहां पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि धारा 113ख के अधीन "न्यायालय उपधारणा कर सकेगा" की अभिव्यक्ति है जबकि धारा 113ख के अधीन, "न्यायालय उपधारणा करेगा" की अभिव्यक्ति है । संसद् का बढ़ती हुई सामाजिक बुराइयों को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक कठोर और प्रभावशाली बनाने का आशय रहा जो संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथनों से प्रकट हो सकता है । धारा 304ख के अधीन अभियुक्त का दोषी आचरण पर आज्ञापक उपधारणा करते हुए अभियोजन को प्रथमत: यह प्रकट करना है कि अपराध के सभी संघटकों की उपलब्धता जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख की शब्दावली

---

[1] (2013) 10 एस. सी. सी. 395 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5909.

में सभी भार को अंतरित करे । जब सभी संघटक मौजूद हैं तब निर्दोषिता की उपधारणा मुरझा जाती है ।

24. **विपिन जायसवाल** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी मामले में दोनों दंड संहिता की धाराएं 304ख और 498क के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करना अपेक्षित है कि मृतका अभियुक्त द्वारा बरती गई क्रूरता या तंग किए जाने के अध्यधीन थी ।

25. सम्पूर्ण साक्ष्य का सावधानी पूर्वक परिशीलन करने पर जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है तथा विधिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जैसाकि ऊपर उपबंध किया गया है कि यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को स्वीकार करने की ओर प्रवृत्त नहीं होता है क्योंकि अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के संघटकों को साबित अध्यपेक्षित रूप से काफी निम्न स्तर पर गिरा है । दहेज मृत्यु के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा का अनुमान लगाने के लिए भी अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना जरूरी है कि पीड़िता अपनी मृत्यु से कुछ पूर्व क्रूरता के अध्यधीन थी परन्तु उसे साबित करने के लिए कोई विधिक साक्ष्य नहीं है । परिणामस्वरूप अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम नहीं रखा जा सकता है । तद्नुसार, अपील मंजूर की जाती है और आक्षेपित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को तत्काल छोड़ा जाता है ।

26. निर्णय की प्रति के साथ निचले न्यायालय के अभिलेख को वापस भेजा जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

---

[1] (2013) 3 एस. सी. सी. 684 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1567.

अखिलेश कुमार जगतरामका

बनाम

गणेश कुमार जगतरामका

तारीख 24 अक्तूबर, 2018

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125(1)(घ) – माता-पिता का भरणपोषण – माता-पिता द्वारा अपने तीन पुत्रों में से केवल एक पुत्र से भरणपोषण का दावा किया जाना – याची अपने माता-पिता का भरणपोषण करने का दायित्व अपने अन्य दो भ्राता पर नहीं डाल सकता क्योंकि भरणपोषण करने का दायित्व न केवल पुत्र का कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है, इसलिए अन्य पुत्रों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है ।

विवाद एक ओर माता-पिता और दूसरी ओर पुत्रों में से एक पुत्र के बीच है । माता-पिता/प्रत्यर्थियों ने भरणपोषण का दावा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया जिसमें याची ने प्रकथन किया कि वह अकेला पुत्र नहीं है बल्कि उसके दो और भाई हैं जिन्होंने भी प्रत्यर्थी/अपने पिता और माता से दान/विभाजन के रूप में संपत्ति प्राप्त की थी इसलिए उन्हें भी उक्त आवेदन में गैर-आवेदक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया जाए जिससे यह अभिनिर्धारित करते हुए आक्षेपित आदेश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय द्वारा इनकार कर दिया गया कि दूसरे पुत्र आवश्यक पक्षकार नहीं हैं जिसके विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह रिट याचिका फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह बिल्कुल सुस्पष्ट है कि इस मामले में माता-पिता/प्रत्यर्थियों ने इसमें याची अर्थात् केवल एक पुत्र के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन

आवेदन फाइल करने का चयन किया, तत्पश्चात् इसमें याची ने आवेदन फाइल किया कि उसके दो बड़े भाई उक्त आवेदन में आवश्यक पक्षकार हैं और उन्हें भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में भाग लेना चाहिए और याची का यह भी अभिकथन है कि उसके माता-पिता ने दुर्भाववश उसके दो भाइयों को गैर-आवेदक पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया जो भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र है । इसमें याची का यह पक्षकथन नहीं है कि उसके पास अपने माता-पिता का भरणपोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं और उसके भाइयों के पास उनके भरणपोषण का पर्याप्त साधन है । मात्र इस कारण प्रत्यर्थियों के पास दो और पुत्र हैं, इसमें याची को अपने माता-पिता के भरणपोषण के उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता । मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) पर विचार करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा अखम जाय कुमार सिंह वाले मामले में व्यक्त मत से पूर्णतः सहमत हूं और ससम्मान बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा बसंत वाले मामले में व्यक्त मत से असहमत हूं । अपने माता-पिता को भरणपोषण रकम अदा करने का दायित्व न केवल कर्तव्य है, बल्कि एक धर्म है जिसका काफी व्यापक व्यवहारगत आयाम है जो कर्तव्य, अधिकार, विधि, आचरण, गुण और इसी प्रकार की बातों को समाविष्ट करता है । माता का बच्चों से उन्हें भरणपोषण करने की प्रत्याशा का अधिकार न केवल कानूनी, संवैधानिक, मूल, नैसर्गिक या नैतिक अधिकार है बल्कि आधारभूत मानव अधिकार भी है । इस प्रकार याची पुत्र द्वारा अपने माता-पिता के विरुद्ध किए गए अभिकथनों वाला प्रकथन स्पष्टतः रामायण, महाभारत जैसे विख्यात महाकाव्यों और मनुस्मृति के विख्यात पाठ द्वारा अननुमोदित किया गया है । अंततः, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह पक्षकथन नहीं है कि याची के पास अपने माता-पिता का भरणपोषण करने का साधन नहीं है । मात्र इस कारण कि उसके पास दो और भाई हैं, वह अपने माता-पिता का भरणपोषण करने के अपने दायित्व को दूसरे पर नहीं डाल सकता क्योंकि यह पहले ही अभिनिर्धारित किया गया है कि भरणपोषण का संदाय करना केवल कर्तव्य नहीं है बल्कि यह याची का धर्म है । (पैरा 10, 11 और 12)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2016]	(2005) 3 जी. एल. आर. 236 : **अखम जाय कुमार सिंह** बनाम **अखम इबोबी सिंह और अन्य** ।	6, 7, 8, 10

निर्दिष्ट निर्णय

[2016]	2016 (1) एम. एल. जे. (क्रि.) 296 : **पी. इलांगोवन** बनाम **पोन्डेवकी और अन्य** ;	10
[2006]	2006 क्रिमिनल ला जर्नल 3366 : **अखाम ईबोदी सिंह और एक अन्य** बनाम **अखाम वृद्धवजा सिंह और एक अन्य** ;	2
[1987]	[1987] 4 उम. नि. प. 603 = ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1100 : **डा. विजया मनोहर अर्वट** बनाम **काशीराव राजाराम सवाई** ।	9

आरम्भिक (रिट) अधिकारिता : 2018 की रिट याचिका (अनुच्छेद 227) सं. 836.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री पवन केसरवानी

प्रत्यर्थियों की ओर से –

आदेश

याची-पुत्र जिसने अपने पिता और माता के विरुद्ध यह याचिका फाइल की है, को इस पुरानी कहावत को याद रखना चाहिए, कि ईश्वर प्रत्येक स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकता इसलिए उसने माता का सृजन किया ।

2. विवाद एक ओर माता-पिता और दूसरी ओर पुत्रों में से एक पुत्र

के बीच है । माता-पिता/प्रत्यर्थियों ने भरणपोषण का दावा करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया जिसमें याची ने प्रकथन किया कि वह अकेला पुत्र नहीं है बल्कि उसके दो और भाई हैं जिन्होंने भी प्रत्यर्थी/अपने पिता और माता से दान/विभाजन के रूप में संपत्ति प्राप्त की थी इसलिए उन्हें भी उक्त आवेदन में गैर-आवेदक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया जाए जिससे यह अभिनिर्धारित करते हुए आक्षेपित आदेश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय द्वारा इनकार कर दिया गया कि दूसरे पुत्र आवश्यक पक्षकार नहीं हैं और **अखाम ईबोदी सिंह और एक अन्य** बनाम **अखाम वृद्धवजा सिंह और एक अन्य**[1] वाले मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया जिसके विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह रिट याचिका फाइल की गई ।

3. याची के विद्वान् काउंसेल श्री पवन केसरवानी का यह निवेदन है कि आक्षेपित आदेश असंधार्य है और विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है । उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि याची के दो भाई अर्थात् अनन्त जगतरामका और राजेश कुमार जगतरामका आवश्यक पक्षकार हैं और वे भी भरणपोषण के लिए दायी हैं इसलिए उन्हें गैर-आवेदक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए और इस प्रकार कुटुम्ब न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है । श्री केसरवानी ने बसन्त **बनाम** गोविन्द राव उपासराव नायक और एक अन्य वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के विनिश्चय को अपने अभिवाक् के समर्थन में निर्दिष्ट किया ।

4. विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी के दो अन्य पुत्र अर्थात् राजेश कुमार जगतरामका और अनन्त जगतरामका प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 द्वारा फाइल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन में आवश्यक पक्षकार हैं ।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(घ) में यह उपबंध है :–

---

[1] 2006 क्रिमिनल ला जर्नल 3366.

"125. **पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश** – (1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति –

(क) से (ग) ....

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं,

भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इंकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे ।"

6. **अखम जाय कुमार सिंह** बनाम **अखम इबोबी सिंह और अन्य**[1] वाले मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) में प्रयुक्त 'कोई व्यक्ति' शब्द का अर्थान्वयन करते हुए इस प्रकार मत व्यक्त किया :–

"8. .... विधि के पढ़ने मात्र से यह दर्शित होता है कि विधायिका ने साशय 'कोई व्यक्ति' शब्द का प्रयोग किया जिसका निश्चित यह अर्थ है कि कई व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को चुना जा सकता है और दावाकर्ता की ओर से 'पर्याप्त साधन वाले' सभी व्यक्तियों के नाम भरणपोषण चाहने के आवेदन में डालना आबद्धकर नहीं है या दूसरे शब्दों में, दावाकर्ता का यह विकल्प है कि कई व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति से भरणपोषण का आदेश चाहने की मांग कर सकता है यदि पर्याप्त साधन वाले एक से अधिक व्यक्ति हैं । किसी बात के न होते हुए भी पर्याप्त साधन रखना, किसी व्यक्ति का अर्हक पद है । मैं दोहराता हूं । विधि के पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट की ओर से या दंड

---

[1] (2005) 3 जी. एल. आर. 236.

प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन अनुतोष चाहने वाले व्यक्तियों की ओर से सभी पुत्रों या पुत्रियों को सम्मिलित करना आबद्धकर नहीं है जब माता-पिता दावाकर्ता हों । यह प्रतीत होता है कि दावाकर्ता को चयन करने का विकल्प है ।"

7. **अखम जाय कुमार सिंह** बनाम **अखम इबोबी सिंह और अन्य** (पूर्वोक्त) वाले मामले में गुवाहटी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय पर उच्चतम न्यायालय में अपील की विशेष इजाजत सं. 3421/2004 मामला उठाया गया । अपील की उक्त विशेष इजाजत तारीख 24 अक्तूबर, 2005 को निष्फल होने के कारण खारिज कर दी गई ।

8. **अखम जाय कुमार सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की राय से भिन्न मत व्यक्त करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय ने **बसंत** (पूर्वोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि अन्य पुत्र और पुत्रियां भी आवश्यक पक्षकार हैं और इस प्रकार मत व्यक्त किया :-

> "22. ससम्मान मैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए मत से असहमत हूं कि माता-पिता को विकल्प उपलब्ध है । पहला कारण यह है कि यद्यपि संयुक्त समिति ने पैरा 5 में सिफारिश की है कि यदि दो और बच्चे हैं तो माता-पिता उनमें से किसी एक या अधिक के विरुद्ध उपचार की ईप्सा कर सकते हैं, यह प्रतीत होता है कि इसे संसद् द्वारा अपनी प्रज्ञा से स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया । इस प्रकार यह केवल सिफारिश ही रह गया और विधि में परिवर्तित नहीं हुआ । जहां तक इस मामले का संबंध है, यह देखने में आता है कि आवेदक ने प्रथमदृष्ट्या यह साबित किया कि विवाहित पुत्री रजनी और प्रत्यर्थियों का छोटा पुत्र चन्दन अधिक आय अर्जित कर रहे हैं और बड़े पुत्र आवेदक बसंत और उसकी पत्नी से विवाद होने के कारण माता-पिता कार्यवाही में

विवाहित पुत्री रजनी और छोटे पुत्र चन्दन को सम्मिलित किए बिना केवल उससे ही भरणपोषण की ईप्सा की है । मेरी राय में, माता-पिता को उनमें से किसी एक का चयन करने का विकल्प प्रदान करना अनुचित होगा और केवल एक ही बच्चे पर भारी होगा विशेषकर तब जब अन्य भी काफी रकम अर्जित कर रहे हैं । मैं शीघ्र ही यह स्पष्ट करता हूं कि मैंने न तो कोई निष्कर्ष या कोई अनुमान या परिणाम अभिलिखित किया है जो विवाद के गुणदोष के आधार पर किसी पक्षकार को प्रभावित करता हो । चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि यह मेरी प्रथमदृष्ट्या राय है कि रजनी और चन्दन के पास अपने माता-पिता का भरणपोषण करने के पर्याप्त साधन हैं और उनसे भी कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष अपने अभिवचन और साक्ष्यों के साथ सभी दृष्टिकोण से अपना पक्ष रखने के लिए प्रश्नगत कार्यवाही में भाग लेने के लिए कहा जाना चाहिए । किन्तु यह कि वे माता-पिता को उपलब्ध विकल्प के कारण आवश्यक पक्षकार नहीं हैं इसलिए यह पुनरीक्षण आवेदन केवल एक पुत्र बसंत के प्रति घोर अन्याय होगा । आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मेरे द्वारा विनिश्चित एकमात्र प्रश्न यह है कि वे आवेदक बसंत के साथ आवेदक के आवश्यक पक्षकार हैं और वे सभी आवेदन के गुण-दोष और भरणपोषण के लिए अपने विरुद्ध दावे और पर्याप्त साधन होने या न होने या अस्वीकार करने या इनकार करने के संबंध में कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष अभिवचन करने और साबित करने के लिए स्वतंत्र हैं । अतः मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि विवाहित पुत्री रजनी और छोटा पुत्र चन्दन आवेदन के आवश्यक पक्षकार हैं तथा प्रश्न का तद्नुसार उत्तर दिया जाता है ।"

9. उच्चतम न्यायालय ने **डा. विजया मनोहर अर्वट** बनाम **काशीराव राजाराम सवाई**[1] वाले मामले में **राजकुमारी** बनाम **यशोधरादेवी** (1987 क्रिमिनल ला जर्नल 600) वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय के

---

[1] [1987] 4 उम. नि. प. 603 = ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1100.

विनिश्चय को निर्दिष्ट किया और यह अभिनिर्धारित किया कि विवाहित स्त्री भी अपने माता-पिता के भरणपोषण की दायी है और इस प्रकार मत व्यक्त किया :-

"9. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा राजकुमारी **बनाम** यशोधरादेवी (1978 क्रिमिनल ला जर्नल 600) वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय के एक विनिश्चय का अधिक अवलंब लिया गया है । उस मामले में केरल उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने मुख्यत: दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1973 की संयुक्त समिति की रिपोर्ट का अवलंब लेते हुए, यह अभिनिर्धारित किया था कि पुत्री अपने माता-पिता का, जो कि अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, भरणपोषण करने के दायित्वाधीन नहीं है । संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें कीं –

'समिति का यह विचार है कि माता-पिता के, जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, अपने पुत्र द्वारा भरणपोषण किए जाने के अधिकार को यह उपबंध करके मान्यता दी जानी चाहिए कि जहां पिता या माता अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, वहां पुत्र को, जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, भरणपोषण के लिए संदाय करने का आदेश दिया जाए । माता-पिता, यदि उनकी दो या उससे अधिक संतान हैं तो उनमें से किसी एक या अधिक के विरुद्ध उपचार की मांग कर सकेंगे ।'"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया)

"आगे केरल उच्च न्यायालय के विनिश्चय को स्पष्ट करते हुए यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया –

'10. केरल उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश ने अपने निर्णय में इस वाक्य के प्रति निर्देश नहीं किया था कि जो रेखांकित किया गया है । यह सत्य है कि रिपोर्ट के प्रथम भाग में "पुत्र" शब्द का प्रयोग किया गया है किन्तु पश्चात्वर्ती

भाग में, जो कि रेखांकित किया गया है, सिफारिश यह है कि माता-पिता, यदि उनकी दो या उससे अधिक संतान हैं तो उनमें से किसी एक या अधिक के विरुद्ध उपचार की मांग कर सकेंगे। यदि संयुक्त समिति की सिफारिश यह थी कि अपना भरणपोषण करने में असमर्थ माता-पिता का भरणपोषण करने का दायित्व केवल पुत्र का होगा, उस दशा में, संयुक्त समिति ने रिपोर्ट के पश्चात्वर्ती भाग में "संतान" शब्द का प्रयोग न किया होता जिसमें स्वीकृत रूप से पुत्र और पुत्रियां आती हैं । हमारी राय में, जैसा कि हम संयुक्त समिति की रिपोर्ट का पठन करते हैं, वह माता-पिता का भरणपोषण करने का भार केवल पुत्र पर नहीं डालती बल्कि उसने यह सिफारिश की है कि माता-पिता का भरणपोषण करने का दायित्व पुत्रों और पुत्रियों दोनों पर होना चाहिए । हमने संयुक्त समिति की रिपोर्ट के प्रति इसलिए निर्देश किया है क्योंकि इसका केरल उच्च न्यायालय द्वारा राजकुमारी **बनाम** यशोधरादेवी (1978 क्रिमिनल ला जर्नल 600) वाले मामले में और प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी की ओर से भी अवलंब लिया गया है जबकि कानून में यह उपबंध है कि "हिज़" (अपने) शब्द से न केवल पुल्लिंग बल्कि स्त्रीलिंग भी द्योतित होता है, इसलिए हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) के खंड (च) के निर्वचन के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट के प्रति निर्देश करना आवश्यक नहीं समझते । पिता या माता, जो कि अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, अपने पुत्र या पुत्री से भरणपोषण का दावा कर सकता/सकती है । "अपने पिता या माता" अभिव्यक्ति केवल पुत्र के पिता या माता तक सीमित नहीं है बल्कि वह पुत्री के पिता या माता को भी लागू होती है । दूसरे शब्दों में, "अपने (हिज़) (पुत्र के) पिता या माता" अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन "अपने (हर) (पुत्री के) पिता या माता" के रूप में किया जाना चाहिए ।'"

10. उपरोक्त निर्णयों (पूर्वोक्त) के आलोक में इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह बिल्कुल सुस्पष्ट है कि इस मामले में माता-पिता/प्रत्यर्थियों ने इसमें याची अर्थात् केवल एक पुत्र के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल करने का चयन किया, तत्पश्चात् इसमें याची ने आवेदन फाइल किया कि उसके दो बड़े भाई उक्त आवेदन में आवश्यक पक्षकार हैं और उन्हें भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में भाग लेना चाहिए और याची का यह भी अभिकथन है कि उसके माता-पिता ने दुर्भाववश उसके दो भाइयों को गैर-आवेदक पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया जो भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र है । इसमें याची का यह पक्षकथन नहीं है कि उसके पास अपने माता-पिता का भरणपोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं और उसके भाइयों के पास उनके भरणपोषण का पर्याप्त साधन है । मात्र इस कारण प्रत्यर्थियों के पास दो और पुत्र हैं, इसमें याची को अपने माता-पिता के भरणपोषण के उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता । मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) पर विचार करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा **अखम जाय कुमार सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में व्यक्त मत से पूर्णतः सहमत हूं और ससम्मान बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा बसंत (पूर्वोक्त) वाले मामले में व्यक्त मत से असहमत हूं । अपने माता-पिता को भरणपोषण रकम अदा करने का दायित्व न केवल कर्तव्य है, बल्कि एक धर्म है जिसका काफी व्यापक व्यवहारगत आयाम है जो कर्तव्य, अधिकार, विधि, आचरण, गुण और इसी प्रकार की बातों को समाविष्ट करता है । माता का बच्चों से उन्हें भरणपोषण करने की प्रत्याशा का अधिकार न केवल कानूनी, संवैधानिक, मूल, नैसर्गिक या नैतिक अधिकार है बल्कि आधारभूत मानव अधिकार भी है । पी. **इलांगोवन** बनाम **पोन्डेवकी और अन्य**[1] वाला मामला देखें ।

11. इस प्रकार याची पुत्र द्वारा अपने माता-पिता के विरुद्ध किए

---

[1] 2016 (1) एम. एल. जे. (क्रि.) 296.

गए अभिकथनों वाला प्रकथन स्पष्टतः रामायण, महाभारत जैसे विख्यात् महाकाव्यों और मनुस्मृति के विख्यात पाठ द्वारा अननुमोदित किया गया है ।

12. अंततः, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह पक्षकथन नहीं है कि याची के पास अपने माता-पिता का भरणपोषण करने का साधन नहीं है । मात्र इस कारण कि उसके पास दो और भाई हैं, वह अपने माता-पिता का भरणपोषण करने के अपने दायित्व को दूसरे पर नहीं डाल सकता क्योंकि यह पहले ही अभिनिर्धारित किया गया है कि भरणपोषण का संदाय करना केवल कर्तव्य नहीं है बल्कि यह याची का धर्म है ।

13. पूर्वोक्त चर्चा के निष्कर्ष और परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में उसके दो भाइयों को गैर-आवेदक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाए जाने के आवेदन को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए रिट याचिका खारिज की जाती है । खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

पा.

सामरथ कन्हैयालाल मीना

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 23 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति पी. के. लोहरा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 389 [सपठित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37] – दंड का निलंबन – लंबित अपील – तलाशी और अभिग्रहण में अनियमितता – निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के संबंध में सटीक टिप्पण न किया जाना – अभियुक्तों का 5 वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में रहना – विचारण न्यायालय द्वारा सटीक टिप्पण किए बिना अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है और वह 5 वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में रहा है, अत: उक्त अधिनियम की धारा 37 का अवलंब कठोरतापूर्वक लेना अनुचित है और अभियुक्त का दंड अपील के निपटारे तक निलंबित किया जाना न्यायोचित है ।

आवेदक अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन 2013 के विशेष मामला सं. 23 में विशेष न्यायाधीश स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ मामले, प्रतापगढ़ (जिसे संक्षेप में विद्वान् विचारण न्यायालय कहा गया है) द्वारा दिए गए दंडादेश का निलंबन चाहने के लिए दो पृथक् आवेदन फाइल किए हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करके आवेदक अपीलार्थियों सामरथ कन्हैयालाल को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/15 के अधीन अपराध किए जाने के लिए आक्षेपित निर्णय पारित करके सिद्धदोष किया और जबकि आवेदक-अपीलार्थी मोहनलाल को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 8 के अधीन अपराध के अतिरिक्त स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 8 के

अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया । सभी आवेदकों के लिए अधिकतम दंड जुर्माने के अतिरिक्त 15 वर्ष का कठोर कारावास अधिनिर्णीत किया गया था । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इसके प्रतिकूल, विद्वान् लोक अभियोजक ने दंड के निलंबन के लिए इन दोनों जमानत आवेदनों का विरोध किया है । मैंने न्यायालय में दी गई दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया है और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन किया है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए और अन्य दलीलों के अतिरिक्त अपीलार्थियों की लंबी अभिरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 की कठोरता का अवलंब लेने के लिए सहमत नहीं हैं । तद्नुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन फाइल किए गए दंड के निलंबन के लिए इन दोनों आवेदनों को मंजूर करता हूं और यह भी आदेश देता हूं कि विद्वान् न्यायाधीश स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम मामले, प्रतापगढ़ अपीलार्थी-आवेदकों पुन: श्री कन्हैयालाल मीना, (2) मोहन लाल पुत्र मांगनी राम राव और (3) कन्हैयालाल **उर्फ** काना पुत्र खेमा गमेती के विरुद्ध 2013 के विशेष सेशन मामला सं. 23 में तारीख 4 जनवरी, 2018 को पारित किया गया दंड को पूर्वोक्त अपील के अंतिम निपटारे तक निलंबित रहेगा और तारीख 24 मई, 2018 को इस न्यायालय में अपने हाजिर होने के लिए विद्वान् विचारण न्यायाधीश के समाधान के लिए उनमें से प्रत्येक 1,00,000/- रुपए की राशि का निजी बंधपत्र और उसी राशि के दो प्रतिभू देने पर जमानत पर निर्मुक्त किए जाएंगे । विद्वान् विचारण न्यायालय अभियुक्त-आवेदक की हाजिरी अभिलेख पर रखेगा जिसकी एक अलग फाइल बनाई जाएगी । यह फाइल मूल मामले से संबंधित दांडिक प्रकीर्ण मामले के रूप में दर्ज की जाएगी जिसमें अभियुक्त-आवेदक जिनका विचारण करके उनको दोषसिद्ध किया गया था । इस आदेश की प्रति निर्देश के लिए उक्त फाइल में रखी जाएगी । दांडिक प्रकीर्ण फाइल विचारण न्यायालय में मामले के लंबित रहने और उनका निपटारा किए जाने से संबंधित संख्यांकित प्रयोजन के लिए संज्ञान में नहीं लिए जाएंगे । इस मामले में

उक्त अभियुक्त-आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो विद्वान् विचारण न्यायाधीश उनकी जमानत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के पास मामले की रिपोर्ट भेजेगा । (पैरा 3, 4, 5, 6 और 7)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 2 डब्ल्यू. एल. एन. 394 (राजस्थान) : **नेत राम** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	2
[2013]	(2013) 2 एस. सी. सी. 590 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 800 : **थान सिंह** बनाम **सी. बी. एन.** ।	2

प्रकीर्ण दांडिक अधिकारिता : 2017 का दंडादेश निलंबन आवेदन सं. 1228.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अधीन अपील आवेदन ।

आवेदक की ओर से सर्वश्री राहुल वाती और आर. के. चरण

प्रत्यर्थी की ओर से श्री ओ. पी. राठी, लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति पी. के. लोहरा – आवेदक अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन 2013 के विशेष मामला सं. 23 में विशेष न्यायाधीश स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ मामले, प्रतापगढ़ (जिसे संक्षेप में विद्वान् विचारण न्यायालय कहा गया है) द्वारा दिए गए दंडादेश का निलंबन चाहने के लिए दो पृथक् आवेदन फाइल किए हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करके आवेदक अपीलार्थियों सामरथ कन्हैयालाल को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/15 के अधीन अपराध किए जाने के लिए आक्षेपित निर्णय पारित करके सिद्धदोष किया और जबकि आवेदक-अपीलार्थी मोहनलाल को स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 8 के अधीन अपराध

के अतिरिक्त स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 8 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया । सभी आवेदकों के लिए अधिकतम दंड जुर्माने के अतिरिक्त 15 वर्ष का कठोर कारावास अधिनिर्णीत किया गया था ।

2. दंड के निलंबन के लिए इन आवेदनों पर बल देते हुए आवेदक-अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई कि विचारण के दौरान सभी आवेदकों को अभिरक्षा में लिया गया था और उनमें से सभी 5 वर्ष से भी अधिक समय से अभिरक्षा में रह रहे हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अपीलों की अंतिम सुनवाई में संभवतया पर्याप्त समय लगता है और इसलिए, दंड के निलंबन के लिए इन आवेदनों पर केवल दीर्घ अभिरक्षा के आधार पर अनुकूलता के साथ उसके गुणागुण पर विचार किया जाए और जिसके समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने **थान सिंह** बनाम **सी. बी. एन.**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया है । मामले के गुणागुण का उल्लेख करते हुए विद्वान् काउंसेलों ने यह भी निवेदन किया है कि अभिग्रहण अधिकारी ने स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण किया है क्योंकि उस सुसंगत समय पर न तो वह संबंधित पुलिस थाने का थाना गृह अधिकारी था और न पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी था । जिसके समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने अभिग्रहण अधिकारी नाथूलाल (अभि. सा. 24) के कथन का उल्लेख किया है जिसमें उसने अति स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि तलाशी और अभिग्रहण के समय पर श्री भाटी संबंधित पुलिस थाने के थाना गृह अधिकारी के पद पर था और पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी सज्जन सिंह था । अभि. सा. 24 के परिसाक्ष्य का अवलंब लेकर विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि लंबी अभिरक्षा को ध्यान में रखते हुए और स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के अतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह प्रकट होगा कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 590 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 800.

अधीन कठोर विचार का अवलंब लें । अंततः, विद्वान् काउंसेलों ने यह दलील दी कि बरामद किए गए विनिषिद्ध पोस्ता भूसी का नमूने लेते हुए अध्यपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और संपूर्ण रूप से विनिषिद्ध वस्तुएं मिश्रित थीं और इसके पश्चात् दो नमूने लिए गए थे जो महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करते हैं कि और विद्वान् विचारण न्यायालय ने स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/15(ग) के अधीन सभी अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करते हुए इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है । जिसके समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने **नेत राम** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय का अवलंब लिया है ।

3. इसके प्रतिकूल, विद्वान् लोक अभियोजक ने दंड के निलंबन के लिए इन दोनों जमानत आवेदनों का विरोध किया है ।

4. मैंने न्यायालय में दी गई दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया है और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का परिशीलन किया है ।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए और अन्य दलीलों के अतिरिक्त अपीलार्थियों की लंबी अभिरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 की कठोरता का अवलंब लेने के लिए सहमत नहीं हैं ।

6. तद्नुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 के अधीन दंडादेश के निलंबन के लिए फाइल किए गए इन दोनों आवेदनों को मंजूर किया जाता है और यह आदेश किया जाता है कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. मामले), प्रतापगढ़ का तारीख 4 जनवरी, 2017 को विशेष सेशन मामला सं. 23/2013 में अपीलार्थी-आवेदक (1) सामरथ पुत्र कन्हैया लाल मीना, (2), मोहन लाल पुत्र मगनी राम राव और (3) कन्हैया लाल **उर्फ** कान्हा पुत्र खेमा गेमती के विरुद्ध पारित दंडादेश उपरोक्त अपील के निपटारे तक निलंबित किया जाता है और प्रत्येक अपीलार्थी-आवेदक द्वारा एक-एक लाख रूपए के निजी बंधपत्र

---

[1] (2014) 2 डब्ल्यू. एल. एन. 394 (राजस्थान).

और इतनी ही राशि के दो-दो प्रतिभूति बंधपत्र विद्वान् विचारण न्यायाधीश के समाधान के साथ निष्पादित किए जाने पर उन्हें जमानत पर छोड़ा जाएगा और वे इस न्यायालय के समक्ष तारीख 24 मई, 2018 को पेश होंगे और इसके पश्चात् अपील के निपटारे तक जब भी निदेश दिया जाएगा वे निम्नलिखित शर्तों के साथ पेश होंगे :–

1. कि वे प्रत्येक वर्ष जनवरी के मास में विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगे जब तक कि अपील का विनिश्चय न हो जाए ।

2. कि यदि आवेदक अपने निवास स्थान को बदलना चाहते हैं तब वे विचारण न्यायालय के समक्ष तथा उच्च न्यायालय के काउंसेलों को बदले हुए स्थान का पता लिखित में देंगे ।

3. इसी तरह यदि उनके प्रतिभू बदल जाते हैं तो उनके पते भी विचारण न्यायालय के समक्ष बदले हुए पते के साथ लिखित में देने होंगे ।

7. विद्वान् विचारण न्यायालय अभियुक्त-आवेदक की हाजिरी अभिलेख पर रखेगा जिसकी एक अलग फाइल बनाई जाएगी । यह फाइल मूल मामले से संबंधित दांडिक प्रकीर्ण मामले के रूप में दर्ज की जाएगी जिसमें अभियुक्त-आवेदक जिनका विचारण करके उनको दोषसिद्ध किया गया था । इस आदेश की प्रति निर्देश के लिए उक्त फाइल में रखी जाएगी । दांडिक प्रकीर्ण फाइल विचारण न्यायालय में मामले के लंबित रहने और उनका निपटारा किए जाने से संबंधित संख्यांकित प्रयोजन के लिए संज्ञान में नहीं लिए जाएंगे । इस मामले में उक्त अभियुक्त-आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो विद्वान् विचारण न्यायाधीश उनकी जमानत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के पास मामले की रिपोर्ट भेजेगा ।

याचिका मंजूर की गई ।

आर्य

धले राम

बनाम

पुष्पा देवी

तारीख 14 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 12 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(iक) और 13ख] – विवाह विच्छेद याचिका – पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री – यदि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय से नहीं रह रहे हैं और उनके बीच सुलह की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है तथा पति और पत्नी के बीच संबंध बुरी तरह टूट जाते हैं और उनके बीच पुन: मेल की संभावना नहीं रह जाती है तब पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित होने से पूर्व छह मास की अवधि पूरी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, अतः छह मास की कानूनी अवधि पूरी किए बिना धारा 13ख के अधीन याचिका का त्वरित रूप से विनिश्चय किया जाना न्यायसंगत है ।

वर्तमान मामले में अनावश्यक ब्यौरों को हटाते हुए बहुत बारीकी से आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि याची और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच वर्ष 2011 में विवाह संपन्न हुआ था और उनके विवाह से एक बच्चा हुआ था । याची के बारे में यह कथन किया गया है कि उसने अपने माता-पिता के कहने पर प्रत्यर्थी सं. 1 को गाली दी और उसकी पिटाई की जिसने उनके कहने पर प्रत्यर्थी सं. 1 से विवाह-विच्छेद कर लिया और किसी अन्य लड़की से विवाह कर लिया । यह भी अभिकथन किया गया है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 1 को वैवाहिक गृह छोड़ने के लिए विवश किया है । तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 12 के अधीन यह अभिकथन करते हुए आवेदन/परिवाद फाइल किया कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है किन्तु उसे अपने जीवन के खतरे की

आशंका बनी हुई है इसलिए, उसके पक्ष में संरक्षण, निवास और भरणपोषण के आदेश पारित किए जा सकते है । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर पेश की गई सामग्री पर विचार करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा फाइल किए गए आवेदन को मंजूर कर लिया और याची तथा प्रत्यर्थी सं. 2 को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने से प्रतिषेधित किया और याची को यह निदेश दिया गया कि प्रत्यर्थी सं. 1 को वास-सुविधा उपलब्ध कराए जिसमें रसोईघर के साथ एक कमरा, बाथरूम और शौचालय भी सम्मिलित है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए यह भी स्वतंत्रता सुरक्षित रखी है कि याची की ओर से वास-सुविधा मुहैया कराने की विफल होने की दशा में अनुकल्प वास-सुविधा को किराए पर ले और जिसका किराया और बिजली के बिल और याची द्वारा संदाय किया जाएगा । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याची को यह भी निदेश दिया कि वह प्रत्यर्थी सं. 1 को 2,000/- रुपए का मासिक भरणपोषण का संदाय करेगा तथा उसके अप्राप्तवय बच्चे के लिए 1,000/- रुपए का भी भरणपोषण के रूप में संदाय करेगा । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर याची ने अपर सेशन न्यायाधीश, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अधिनियम की धारा 29 के अधीन दांडिक अपील फाइल की । तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि उक्त अपील खारिज की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 24 सितंबर, 2015 को पारित किए गए आदेश की परिपुष्टि की गई । उक्त पृष्ठभूमि, याची ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में यह समावेदन किया कि अपर सेशन न्यायाधीश कुल्लू द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और मुख्य न्यायिक द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया । मामले की कार्यवाहियों के दौरान इस न्यायालय ने परस्पर पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते की छानबीन की संभावना को एकमात्र रूप से दृष्टिगत किया और दोनों पक्षकारों को यह निदेश दिया कि न्यायालय में मौजूद रहें । तारीख 1 जनवरी, 2012 को सुश्री मेघना केशव विद्वान् विधिक सहायक काउंसेल जो प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से हाजिर हुई, ने

अपने मुवक्किल के अनुदेशों पर इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उसका मुवक्किल याची से विवाह-विच्छेद करने के लिए तैयार है बशर्ते कि वह उसे उसके भरणपोषण और उसकी बच्ची को पैसों की पर्याप्त रकम देने का प्रस्ताव दें । आज, याची की ओर से विद्‌वान् काउंसेल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन फाइल किया जिसमें परस्पर पक्षकारों के बीच समझौते के अभिलेख को रखने के लिए अनुज्ञा की ईप्सा की और पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद के लिए विधि के सक्षम न्यायालय में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन याचिका में प्रति फाइल की है । आवेदन में अन्तर्विष्ट प्रकथनों का उल्लेख करते हुए पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्‌वान् काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि दोनों पक्षकारों ने अपने बीच सौहार्दपूर्ण रीति से समझौता कर लिया है और इस बारे में उन्होंने समझौता (उपाबंध ए-1) को लिखित में लिखा । पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्‌वान् काउंसेलों ने इस न्यायालय को यह भी ध्यान दिलाया कि उनके द्‌वारा संयुक्त रूप से हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन याचिका फाइल की गई है जो विद्‌वान् जिला न्यायाधीश, कुल्लू के न्यायालय में पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री द्‌वारा विवाह के विच्छेदन के लिए फाइल की गई है । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अन्यथा भी, अभिलेख से पूर्णत: यह प्रकट है कि पक्षकार पर्याप्त समय से एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और अधिनियम की धारा 12 के अधीन याचिका वर्ष 2014 में अर्थात् 12 मई, 2014 को विधि के सक्षम न्यायालय में संस्थित हुई है । इस न्यायालय ने पक्षकारों के पारस्परिक प्रभाव को ध्यान में रखने के पश्चात् उनके बीच सुलह की किसी भी संभावना को प्रकट नहीं किया है और इस प्रकार और पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित होने से पूर्व 6 माह के लिए इस प्रकार कोई लाभदायक प्रयोजन इस मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि 6 माह के लिए लंबित रखा हुआ है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है कि हमने पक्षकारों के बीच लंबित मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति से

यह भी देखा है कि पति और पत्नी के बीच संबंध अति घिनौना रीति में टूट जाते हैं और उनके बीच पुन: मेल की कोई संभावना नहीं रह जाती है यद्यपि मामले में 6 मास की अवधि के लिए स्थगन भी किया जाना था जैसाकि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन अनुबद्ध किया गया है । हमने अभिलेख का भी परिशीलन किया है कि तारीख 2 जून, 2006 को प्रत्यर्थी द्वारा पहले मुकदमेबाजी प्रारंभ की गई थी और उसके द्वारा वर्ष 2007 में विवाह-विच्छेद की याचिका भी फाइल की गई थी । अत: हमने यह भी महसूस किया कि यह बात न्याय हित में होगी कि 6 मास की अवधि की बात को पूर्वोक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए छोड़ देना चाहिए । तद्नुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित पूर्वोक्त विधि को ध्यान में रखते हुए, 6 मास की कानूनी अवधि की इस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छोड़ा जाना उचित है कि पक्षकारों के बीच विवाह संबंध ठीक न होने के कारण टूट चुका था और पक्षकारों के बीच साथ-साथ रहने की कोइ संभावना नहीं है । परिणामस्वरूप, इसमें ऊपर किए गए उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका मंजूर की जाती है । 2016 की दांडिक अपील सं. 29 अपर सेशन न्यायाधीश, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित तारीख 16 मई, 2017 का निर्णय और 2014 की याचिका सं. 30-1 में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 24 सितंबर, 2015 को पारित आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । जिला न्यायाधीश, कुल्लू को 6 मास की कानूनी अवधि की समाप्ति का इंतजार किए बिना हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन याचिका का त्वरित रूप से विनिश्चय किए जाने का निदेश किया जाता है । (पैरा 11, 12, 13, 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 14 एस. सी. सी. 614 : **वीना** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) और एक अन्य** ;	10
[2011]	(2011) 15 एस. सी. सी. 612 : **प्रियंका खन्ना** बनाम **अमित खन्ना** ।	13

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक एम. एम. ओ. सं. 416.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन याचिका फाइल की गई ।

याची की ओर से श्री मान सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री मेघना केशव, विधि सहायक काउंसेल

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – 2016 की दांडिक अपील सं. 29 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 16 मई, 2017 को पारित किए गए निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर जिसमें घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 5 के अधीन याचिका सं. 30-1/2014 में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 24 सितंबर, 2015 के आदेश की पुष्टि की गई है जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा फाइल किया गया आवेदन को मंजूर किया गया था और प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में उसे निवास की सुरक्षा और उसके हक में भरणपोषण का आदेश भी पारित किया गया । इसलिए, याची ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन वर्तमान कार्यवाही के माध्यम से इस न्यायालय में समावेदन किया है ।

2. वर्तमान मामले में अनावश्यक ब्यौरों को हटाते हुए बहुत बारीकी से आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया है कि याची और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच वर्ष 2011 में विवाह संपन्न हुआ था और उनके विवाह से एक बच्चा हुआ था । याची के बारे में यह कथन किया गया है कि उसने अपने माता-पिता के कहने पर प्रत्यर्थी सं. 1 को गाली दी और उसकी पिटाई की जिसने उनके कहने पर प्रत्यर्थी सं. 1 से विवाह-विच्छेद कर लिया और किसी अन्य लड़की से विवाह कर लिया । यह भी अभिकथन किया गया है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 1 को वैवाहिक गृह छोड़ने के लिए विवश किया है । तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 12 के अधीन यह अभिकथन करते हुए आवेदन/परिवाद फाइल किया कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है किन्तु उसे अपने जीवन के खतरे की आशंका बनी हुई है, इसलिए, उसके पक्ष में संरक्षण, निवास और भरणपोषण के आदेश पारित किए जा सकते है । विद्वान् मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर पेश की गई सामग्री पर विचार करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा फाइल किए गए आवेदन को मंजूर कर लिया और याची तथा प्रत्यर्थी सं. 2 को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा करने से प्रतिषेधित किया और याची को यह निदेश दिया गया कि प्रत्यर्थी सं. 1 को वास-सुविधा मुहैया कराए जिसमें रसोईघर के साथ एक कमरा, बाथरूम और शौचालय भी सम्मिलित है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए यह भी स्वतंत्रता सुरक्षित रखी है कि याची की ओर से वास-सुविधा मुहैया कराने की विफल होने की दशा में अनुकल्प वास-सुविधा को किराए पर ले और जिसका किराया और बिजली के बिल का याची द्वारा संदाय किया जाएगा । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याची को यह भी निदेश दिया कि वह प्रत्यर्थी सं. 1 को 2,000/- रुपए का मासिक भरणपोषण का संदाय करेगा तथा उसके अप्राप्तवय बच्चे के लिए 1,000/- रुपए का भी भरणपोषण के रूप में संदाय करेगा ।

3. विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर याची ने अपर सेशन न्यायाधीश, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अधिनियम की धारा 29 के अधीन दांडिक अपील फाइल की । तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि उक्त अपील खारिज की गई थी जिसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 24 सितंबर, 2015 को पारित किए गए आदेश की परिपुष्टि की गई । उक्त पृष्ठभूमि में याची ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में यह समावेदन किया कि अपर सेशन न्यायाधीश कुल्लू द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और मुख्य न्यायिक द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया ।

4. मामले की कार्यवाहियों के दौरान इस न्यायालय ने परस्पर पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते की छानबीन की संभावना को एकमात्र रूप से दृष्टिगत किया और दोनों पक्षकारों को यह निदेश दिया कि न्यायालय में मौजूद रहें । तारीख 1 जनवरी, 2012 को सुश्री मेघना केशव विद्वान् विधिक सहायक काउंसेल जो प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से हाजिर हुई, ने अपने मुवक्किल के अनुदेशों पर इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उसका मुवक्किल याची से विवाह-विच्छेद करने के

लिए तैयार है, बशर्ते कि वह उसे उसके भरणपोषण और उसकी बच्ची को पैसों की पर्याप्त रकम देने का प्रस्ताव दें ।

5. आज, याची की ओर से विद्वान् काउंसेल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन फाइल किया जिसमें परस्पर पक्षकारों के बीच समझौते के अभिलेख को रखने के लिए अनुज्ञा की ईप्सा की और पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद के लिए विधि के सक्षम न्यायालय में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन याचिका में प्रति फाइल की है । आवेदन में अन्तर्विष्ट प्रकथनों का उल्लेख करते हुए पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि दोनों पक्षकारों ने अपने बीच सौहार्दपूर्ण रीति से समझौता कर लिया है और इस बारे में उन्होंने समझौता (उपाबंध ए-1) को लिखित में लिखा । पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों ने इस न्यायालय को यह भी ध्यान दिलाया कि उनके द्वारा संयुक्त रूप से हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन याचिका फाइल की गई है जो विद्वान् जिला न्यायाधीश, कुल्लू के न्यायालय में पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विच्छेदन के लिए फाइल की गई है ।

6. इस न्यायालय ने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई पूर्वोक्त दलीलों की सत्यता की सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए तथा याची और प्रत्यर्थी सं. 1 के कथनों को भी अभिलिखित किया जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष शपथ पर यह कथन किया कि उन्होंने परस्पर अपने बीच मामले में समझौता कर लिया है जिसके द्वारा याची उसके लिए प्रत्यर्थी सं. 1 को एक लाख रुपए की राशि का संदाय करने के लिए सहमत हुआ है तथा उसकी अप्राप्तवय बच्ची के भरणपोषण के लिए भी सहमत हुआ है । प्रत्यर्थी सं. 1 ने इस न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया है कि उसने तारीख 12 मार्च, 2018 को याची से नकद 50,000/- रुपए प्राप्त कर लिए है जबकि याची द्वारा शेष राशि का हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन याचिका में उसके कथन अभिलिखित करते समय संदाय किया जाएगा । याची ने इस

न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया है कि पूर्वोक्त रकम के अलावा वह अपने अप्राप्तवय पुत्र के पक्ष में भू-संपत्ति के अपने अंश को अंतरित करने के लिए भी सहमत हुआ है जो 12 अप्रैल, 2018 को या उससे पूर्व किया जाना था । पूर्वोक्त करार के निबंधनों में प्रत्यर्थी सं. 1 पुष्पा देवी ने अधिनियम की धारा 12 के अधीन आवेदन में पारित आदेश से उद्भूत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(3) के अधीन फाइल की गई याचिका को वापस भी ले लिया है । उनके कथन अभिलेख पर लिए गए हैं ।

7. पूर्वोक्त सुधारों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल ने यह अनुरोध किया है कि याची द्वारा फाइल की गई वर्तमान याचिका को विद्वान् जिला न्यायाधीश कुल्लू के निदेशानुसार निपटारा किया जा सकता है और जिस पर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री के फलस्वरूप विवाह के विच्छेदन के लिए उनके द्वारा संयुक्त रूप से फाइल किए गए याचिका में समुचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए ।

8. समझौते में अन्तर्विष्ट प्रकथनों तथा याची और प्रत्यर्थी सं. 1 के कथन जो शपथ पर अभिलिखित किए गए हैं, का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् इस न्यायालय को यह प्रतीत हुआ है कि मुकदमे के पक्षकारों की ओर से किए गए पूर्वोक्त अनुरोध को स्वीकार करने में कोई रूकावट नहीं है ।

9. इस न्यायालय का यह भी मत है कि पक्षकारों के बीच किसी तरह के समझौते की कोई संभावना नहीं है और विवाह, संबंध में सुधार न आने की वजह से, खंडित हुआ है इस प्रकार 6 मास की कानूनी अवधि जैसाकि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन परिकल्पित है जो पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की मंजूरी के संबंध में है, को छोड़ा जा सकता है ।

10. इस बारे में **वीना** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय

---

[1] (2011) 14 एस. सी. सी. 614.

द्वारा दिए गए निर्णय की ओर ध्यान दिया जाना उचित होगा जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

> "हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और पक्षकारों से बातचीत की । अपीलार्थी ने एच. एम. ए. सं. 397/2008 में जो अपर जिला न्यायाधीश कड़कड़डूमा जिला न्यायालय, दिल्ली के न्यायाधीश संजीव मट्टू के न्यायालय के समक्ष लंबित है जिसमें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(iक) की विवाह-विच्छेद की याचिका फाइल की है । इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह उचित समझते हैं कि इस न्यायालय में उक्त विवाह-विच्छेद याचिका का अंतरण करें और उसे बोर्ड के समक्ष ले जाएं । उक्त विवाह-विच्छेद याचिका को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन संपरिवर्तित किया जाता है और पक्षकारों के बीच पारस्परिक सहमति से प्रकट विवाह-विच्छेद को मंजूर करते हैं ।"

11. अन्यथा भी, अभिलेख से पूर्णतः यह प्रकट है कि पक्षकार पर्याप्त समय से एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और अधिनियम की धारा 12 के अधीन याचिका वर्ष 2014 में अर्थात् 12 मई, 2014 को विधि के सक्षम न्यायालय में संस्थित हुई है ।

12. इस न्यायालय ने पक्षकारों के पारस्परिक प्रभाव को ध्यान में रखने के पश्चात् उनके बीच सुलह की किसी भी संभावना को प्रकट नहीं किया है और इस प्रकार और पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित होने से पूर्व 6 माह के लिए मामले को लंबित रखने का लाभदायक प्रयोजन इस मामले में लागू नहीं होगा ।

13. **प्रियंका खन्ना** बनाम **अमित खन्ना**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

> "7. हमने पक्षकारों के बीच लंबित मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति से यह भी देखा है कि पति और पत्नी के बीच संबंध अति घिनौना

---

[1] (2011) 15 एस. सी. सी. 612.

रीति में टूट जाते हैं और उनके बीच पुन: मेल की कोई संभावना नहीं रह जाती है यद्यपि मामले में 6 मास की अवधि के लिए स्थगन भी किया जाना था जैसाकि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन अनुबद्ध किया गया है । हमने अभिलेख का भी परिशीलन किया है कि तारीख 2 जून, 2006 को प्रत्यर्थी द्वारा पहले मुकदमेबाजी प्रारंभ की गई थी और उसके द्वारा वर्ष 2007 में विवाह-विच्छेद की याचिका भी फाइल की गई थी । अत: हमने यह भी महसूस किया कि यह बात न्याय हित में होगी कि 6 मास की अवधि की बात को पूर्वोक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए छोड़ देना चाहिए ।"

14. तद्नुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित पूर्वोक्त विधि को ध्यान में रखते हुए, 6 मास की कानूनी अवधि को इस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छोड़ा जाना उचित है कि पक्षकारों के बीच विवाह संबंध ठीक न होने के कारण टूट चुका था और पक्षकारों के बीच साथ-साथ रहने की कोई संभावना नहीं है ।

15. परिणामस्वरूप, इसमें ऊपर किए गए उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका मंजूर की जाती है । 2016 की दांडिक अपील सं. 29 अपर सेशन न्यायाधीश, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित तारीख 16 मई, 2017 का निर्णय और 2014 की याचिका सं. 30-1 में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 24 सितंबर, 2015 को पारित आदेश को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । जिला न्यायाधीश, कुल्लू को 6 मास की कानूनी अवधि की समाप्ति का इंतजार किए बिना हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अधीन याचिका का त्वरित रूप से विनिश्चय किए जाने का निदेश किया जाता है ।

यदि कोई लंबित आवेदन है तो उनका भी निपटारा किया जाता है ।

याचिका मंजूर की गई ।

आर्य

सुरेश कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 12 मई, 2018

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366, 340 और 376 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438] – शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री का जमानत याची के साथ बिना आपत्ति वास करना – अभियुक्त द्वारा, उसे निरुद्ध किए जाने की शिकायत न किया जाना – अभियोक्त्री का याची के साथ सार्वजनिक रूप से घूमना-फिरना – दो मास पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का दर्ज कराना – स्पष्टीकरण का अभाव – अभियोक्त्री जमानत याची के साथ अपनी सहमति से कई सार्वजनिक स्थानों पर गई है और उसने कभी भी कोई शिकायत अपने निरुद्ध किए जाने के संबंध में नहीं की है और साथ ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी विलंब से दर्ज कराई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, अतः इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि सामान्य नियम जमानत पर छोड़ना है न कि कारावास में रखना, जमानत याची को अग्रिम जमानत पर छोड़ना न्यायोचित है ।

तारीख 27 फरवरी, 2018 के आदेश के क्रम में जिसके द्वारा जमानत याची को उसकी गिरफ्तारी की दशा में अंतरिम जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का आदेश दिया गया था, श्री प्रकाश चन्द, सहायक उप निरीक्षक अभिलेख के साथ उपस्थित हुआ था । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने अन्वेषक अभिकरण द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर तैयार की गई प्रास्थिति रिपोर्ट अभिलेख पर भी रखी । जिसका परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि तारीख 24 फरवरी, 2018 को शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री ने पुलिस थाना नेरवा पर जमानत याची के विरुद्ध शिकायत दर्ज की । उसमें यह अभिकथन किया गया है कि

तारीख 26 नवंबर, 2017 को जमानत याची उसके निवास स्थान पर आया और विवाह करने के बहाने से उसने उसके कमरे पर उस पर मैथुन हमला किया । शिकायतकर्ता के अनुसार जमानत याची उसे अपने यान से कस्बा बद्दी, जिला सोलन ले गया जहां उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध पुनः उस पर मैथुन हमला किया । अभिकथित घटना के 10 दिन पश्चात् जमानत याची के बारे में अभियोक्त्री को अकेले बद्दी में छोड़े जाने का अभिकथन किया गया है और इसके पश्चात् वह कभी भी मुड़कर वापस नहीं आया । शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री द्वारा दर्ज की गई पूर्वोक्त शिकायत के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जमानत याची के विरुद्ध विस्तृत रूप से दर्ज की गई । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री बद्दी और चंडीगढ़ पर पहचान करने में असफल रही थी जहां जमानत याची द्वारा उससे बलात्संग किया जाना अभिकथित है । तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि जमानत याची इस न्यायालय से अन्तरिम जमानत प्राप्त करने के पश्चात् अन्वेषण में सम्मिलित हुआ था और इसके पश्चात् पुलिस उसे बद्दी पर कमरे में ले गई जहां जमानत याची के बारे में शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री के साथ निवास करने का अभिकथन किया गया है । श्री सुरेन्द्र सकलानी जो जमानत याची की ओर से विद्वान् काउंसेल के रूप में हाजिर हुए उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख/प्रास्थिति रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि जमानत याची के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियोक्त्री द्वारा किए गए कथन का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर स्वतः यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री अपनी स्वयं की इच्छा से जमानत याची के संग शामिल हुई थी और उस समय उसने जमानत याची के संग सम्मिलित होने में कोई बल या विवशता प्रकट नहीं की । श्री अमर चंद ठाकुर अर्थात् मकान के स्वामी के कथन का उल्लेख करने पर जिसके बारे में बद्दी पर जमानत याची को किराए पर देने का अभिकथन किया है, श्री सुरेन्द्र सकलानी ने यह दलील दी है कि इस साक्षी के कथन से पूर्णतः यह प्रकट है कि शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री और जमानत याची कमरे में दो मास से भी अधिक समय से पति-पत्नी के

रूप में निवास कर रहे थे और उस समय शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री द्वारा जमानत याची द्वारा उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने के बारे में कोई शिकायत दर्ज कभी भी नहीं की थी । जमानत याची की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सुरेन्द्र सकलानी ने यह भी दलील दी है कि इस मामले में अन्वेषण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जमानत याची से किसी भी वस्तु की बरामदगी अपेक्षित नहीं है और इस प्रकार इस मामले में कोई लाभदायक प्रयोजन प्राप्त करने के लिए अभिरक्षा में पूछताछ नहीं की गई जैसा कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा अनुरोध किया गया था और उसे मंजूर किया गया है । उन्होंने यह भी दलील दी कि जमानत याची राज्य का स्थानीय निवासी है और वह हमेशा अन्वेषण के लिए बुलाए जाने पर उपलब्ध रहेगा और न्याय से उसके भागने की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है । दूसरी ओर, श्री दिनेश ठाकुर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने जमानत याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध का विरोध करते हुए पुरजोर यह दलील दी है कि जमानत याची द्वारा किए गए अभिकथित पूर्वोक्त अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर कोई उदारता नहीं बरती जाती है बल्कि उस पर कठोरता से विचार किए जाने की जरूरत है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने पूर्वोक्त दलीलों का खण्डन करते हुए जो याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई हैं, यह दलील दी कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए चिकित्सीय साक्ष्य का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर यह स्वतः यह इंगित होता है कि शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री अपनी इच्छा के विरुद्ध दोबारा जमानत याची के मैथुन हमले के अध्यधीन रही थी और इस प्रकार वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है । जबकि ऋजुतापूर्वक इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि मामले में अन्वेषण पूरा हो चुका है और जमानत याची से किसी भी वस्तु को बरामद किया जाना अपेक्षित नहीं है, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि याची को जमानत पर छोड़े जाने की स्थिति में इस बात की अत्यधिक संभावना है कि साक्षियों को प्रभावित करेगा, इस प्रकार, वर्तमान याचिका खारिज की जा सकती है । याची द्वारा जमानत याचिका खारिज होने पर उच्च न्यायालय में

जमानत याचिका दाखिल की गई । जमानत याचिका का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में विनिश्चय देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनिश्चित अवधि के लिए कम नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से जब उसकी दोषिता साबित न हुई हो । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर निर्दोष होने का विश्वास किया जाता है जब तक कि उसे दोषी न पाया जाए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक विधिशास्त्र में मूलभूत तत्व ये हैं कि निर्दोषिता की अवधारणा की जाती है जिससे यह अभिप्रेत है कि किसी भी व्यक्ति पर निर्दोष होने का विश्वास किया जाता है जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाता है । तथापि, हमारी आपराधिक विधि में ऐसे दृष्टांत हैं जहां कुछ विनिर्दिष्ट अपराधों के बारे में अभियुक्त पर प्रतिकूलता दर्शित करने का भार है परन्तु यह एक दूसरा मामला है और अन्य अपराधों के बारे में मूलभूत तत्वों से उसे कम नहीं किया जाता । हमारे आपराधिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जमानत मंजूरी एक साधारण नियम है और किसी व्यक्ति को जेल में रखने या कैदखाने में रखने या सुधार-गृह में (जो कोई भी पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग किए जाने की वांछा हो सकती है) रखना यह एक अपवाद है । दुर्भाग्यवश, इन आधारिक सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांतों को इन परिणामों को दृष्टि-ओझल किया जाना प्रतीत होता है कि अधिकांश व्यक्ति जो अधिक समय से कैदखाने में रह रहे हैं हमारे अपराध शास्त्र में या हमारे समाज में ऐसा करना अच्छी बात नहीं है ।

इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि जमानत मंजूरी या उससे इनकार करना न्यायाधीश द्वारा मामले में विचार करके संपूर्ण रूप से उसके विवेक पर निर्भर है परन्तु न्यायिक विवेक के प्रयोग करने पर इस न्यायालय द्वारा और देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अतिरिक्त विनिश्चयों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है । क्योंकि प्रायः व्यक्ति की जमानत से इनकार करने पर आत्मनिरीक्षण किया जाना

आवश्यक है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जमानत से इनकार करना सही बात है या नहीं । ऐसे कारकों के बीच आत्म-विश्लेषण करते हुए यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया गया था जब उस व्यक्ति के पास साक्ष्य पर हेरफेर करने या साक्षियों को प्रभावित करने का अति उत्तम अवसर रहा था । यदि अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण के दौरान ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं समझता है, तब इस बात को रखने के लिए उसे एक प्रबल मामला बनाना चाहिए कि आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में है । इसी तरह, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि क्या अभियुक्त अन्वेषक अधिकारी के समाधान के लिए अन्वेषण में भाग लेगा और वह फरार नहीं होगा या जब कभी अन्वेषक अधिकारी द्वारा उससे हाजिर होने की अपेक्षा की जाए तब वह हाजिर न हो । निश्चित तौर पर, यदि कोई अभियुक्त अन्वेषक अधिकारी से छुपता नहीं है या अपने शिकार होने के किसी वास्तविक भय से छुपता है तब यह कारक होगा कि न्यायाधीश का समुचित मामले में विचार करना आवश्यक होगा । न्यायाधीश के लिए यह भी आवश्यक है कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या अभियुक्त पहली बार अपराधी बना है या वह अन्य अपराधों में भी अभियुक्त है तथा यदि ऐसा है तब ऐसे अपराधों की प्रकृति और उसके सामान्य आचरण पर भी विचार करना चाहिए । अभियुक्त की गरीबी और दरिद्रता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण है और संसद् ने भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 के स्पष्टीकरण को निगमित करते हुए इस बात पर ध्यान दिया है । कैदखाने में रखे जाने के बारे में उस पर संसद् द्वारा समान रूप से सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाने को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436क द्वारा अन्तर्विष्ट किया गया है ।

संक्षेप में, किसी व्यक्ति के बारे में जब उसे पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में संदेह के आधार पर प्रतिप्रेषित करने के लिए न्यायाधीश द्वारा जब उसके आवेदन पर विचार किया जाता है तब मानवीय दृष्टिकोण को अंगीकार किया जाना अपेक्षित है । ऐसा करना

अभियुक्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने सहित कई कारणों के लिए आवश्यक है, तथापि, गरीबी जो उस व्यक्ति की हो सकती है जिसमें संविधान का अनुच्छेद 21 में अध्यपेक्षा की गई है और यह तथ्य कि कैदखानों में अत्यधिक भीड़-भाड़ जिससे सामाजिक और अन्य समस्याएं खड़ी होती हैं जैसा कि रि-ह्युमन कंडीशन 1382 प्रिजन्स में इस न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है । (पैरा 9)

यह सुस्थिर है कि जमानत नामंजूर करने के लिए केवल गुरुता निश्चायक नहीं हो सकती बल्कि प्रतिस्पर्धी कारकों को न्यायालय द्वारा अपने विवेक में लेते हुए उनमें संतुलन किया जाना अपेक्षित है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दोबारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की हाजिरी को विचारण के समय पर सुनिश्चित करना है । जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न निवारक । एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी को विचारण के समय पर सुनिश्चित करना है । जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न निवारक । स्वतंत्रता से वंचित किए जाने पर दंड पर भी विचार किया जाना चाहिए जब तक कि यह सुनिश्चित करना अपेक्षित नहीं हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति अपने विचारण में खड़ा होगा जब उसे बुलाया जाए । न्यायालयों ने इस सिद्धांत का पूरा आदर-सत्कार किया है कि दोषसिद्धि के पश्चात् दंड प्रारंभ होता है और प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष समझा जाता है जब तक कि वह सम्यक् रूप से दोषी नहीं पाया जाता । अभिरक्षा में निरोध विचारण के लंबित होने तक अत्यधिक कठिनाई का कारण हो सकता है । समय-समय पर अपरिहार्य रूप से यह मांग की गई है कि बिना दोषसिद्धि के व्यक्ति को विचारण के लंबित रहने के दौरान अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए और विचारण में उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए । परन्तु ऐसे मामलों में 'अपरिहार्य' प्रभावशील परख है । भारत में संविधान में अन्तर्विष्ट वैयक्तिक स्वतंत्रता की अवधारणा के यह पूर्णतः प्रतिकूल होगा कि किसी व्यक्ति को किसी मामले के संबंध में दंडित किया जाना चाहिए जिस पर वह दोषसिद्ध नहीं किया गया है या ऐसी किसी परिस्थिति में वह केवल

इस विश्वास पर अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा कि यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह साक्षियों के साथ हेरफेर करेगा जो अत्यधिक असाधारण परिस्थिति होती है । निवारक के प्रश्न पर जिस पर जमानत की नामंजूरी का उद्देश्य सामने आता है किसी भी व्यक्ति को इस तथ्य से दृष्टि ओझल नहीं करना चाहिए कि दोषसिद्धि से पूर्व कोई भी कारावास सार रूप से दंडात्मक है और किसी भी न्यायालय के लिए ऐसा करना अनुचित होगा कि अभियुक्त के पूर्ववर्ती आचरण के चिह्न पर उसकी जमानत को नामंजूर करे । क्या अभियुक्त उस कार्य के लिए दोषसिद्ध किया गया या नहीं । किसी सबक के रूप में कारावास का स्वाद चखाने के प्रयोजन के लिए बिना दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति जमानत को नामंजूर करें । (पैरा 10)

जमानत की मंजूरी के बारे में विधि सुस्थापित है । एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए जमानत की मंजूरी के लिए ये परिधियां अभिलिखित की हैं कि अग्रिम जमानत को मंजूर करने या उससे इनकार करने के लिए कोई लचीला दिशा-निर्देश या कठोर सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है । हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से यह है कि इस बारे में कोई कठोर और लचीले दिशा-निर्देश का उपबंध किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि भविष्य की सभी परिस्थितियां और स्थितियां अग्रिम जमानत को मंजूर करने या उससे इनकार करने के लिए स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो सकती । अग्रिम जमानत को मंजूर करने या इनकार करने के विधायी आशय के समरूप प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपरिहार्य रूप से निर्भर होना चाहिए । सिब्बिया वाले मामले में संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय में यह मत व्यक्त किया गया कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपनी विवेक शक्ति का बुद्धिमत्ता से और सावधानीपूर्वक प्रयोग करेगा जो उनके लम्बे प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित हो जिस पर आदर्श रूप से उस पर कार्रवाई करे । ऐसी किसी दशा में हम विधायी आज्ञा का आदर और सम्मान करने के लिए बाध्य हैं । विभिन्न कारकों और

परिस्थितियों को अग्रिम जमानत पर विचार करते समय विचार में लिया जा सकता है – (i) अभियोग की प्रकृति और गुरुता तथा अभियुक्त की यथावत् भूमिका उसकी गिरफ्तारी किए जाने के पूर्व उचित रूप से समझी जानी चाहिए ; (ii) इस तथ्य सहित आवेदक के पूर्ववृत्त पर ध्यान देना चाहिए कि क्या अभियुक्त को किसी संज्ञेय अपराध को किए जाने के बारे में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किए जाने पर उसके द्वारा पूर्व में कारावास भोगा गया है ; (iii) आवेदक की न्याय से भागने की संभावना ; (iv) अभियुक्त के बारे में यह संभावना प्रकट होना कि वह वैसे अपराध या अन्य अपराधों को दोहराएगा ; (v) जहां आवेदक को गिरफ्तार करने के पश्चात् उससे अमानवीय बर्ताव करने के उद्देश्य से उस पर अभियोग चलाया गया हो ; (vi) अग्रिम जमानत की मंजूरी का प्रभाव विशिष्ट रूप से ऐसे मामलों में जहां लोगों की बड़ी संख्या उसके महत्व से प्रभावित होती है ; (vii) न्यायालयों को बड़ी सावधानी के साथ अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए । न्यायालय को मामले में अभियुक्त की यथावत् भूमिका को भी स्पष्ट समझना चाहिए । ऐसे मामले जिनमें अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 34 और 149 की सहायता से आलिप्त किया गया है तब न्यायालय को बड़ी सावधानी के साथ भी विचार करना चाहिए क्योंकि यह सामान्य जानकारी और महत्व का मामला है ; (viii) अग्रिम जमानत की मंजूरी के लिए अनुरोध पर विचार करते हुए दो कारकों के बीच संतुलन को प्रभावित किया जाता है, कि कोई प्रतिकूलता स्वतंत्र ऋजु और पूर्ण अन्वेषण के लिए नहीं बरती जानी चाहिए और अभियुक्त को निरोध रखने पर उसके उत्पीड़न, अमानवीयता और अन्यायोचित पर निरोध को रोका जाना चाहिए ; (ix) न्यायालय को किसी साक्ष्य के साथ फेरफार करने की युक्तियुक्त आशंका या शिकायतकर्ता को धमकाने की आशंका पर विचार करना चाहिए ; (x) अभियोजन की विरक्तता पर भी हमेशा विचार किया जाना चाहिए और केवल वास्तविकता के तत्व को ही देखा जाना चाहिए और उस पर जमानत की मंजूरी के मामले में विचार किया जाना चाहिए और कुछ भी संदेह होने की दशा में अभियोजन पक्ष की वास्तविकता साधारण अनुक्रम में अभियुक्त जमानत के आदेश को पाने

का हकदार है । (पैरा 11)

जमानत के उद्देश्य के बारे में यह कहना व्यर्थ है कि अभियुक्त की हाजिरी विचारण में सुनिश्चित करना है और इस प्रश्न के सुलह के लिए उचित कसौटी यह लागू की जाती है कि क्या जमानत मंजूर की जानी चाहिए या नामंजूर की जानी चाहिए । क्या यह संभव है कि पक्षकार अपने विचारण में हाजिर होगा । अन्यथा भी सामान्य नियम जमानत का है और न कि जेल में रखने का । उपरोक्त बातों के अलावा न्यायालय को अभियोग की प्रकृति और उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति और दंड की तीव्रता को ध्यान में रखना चाहिए जिस पर दोषसिद्धि अभियुक्त के चरित्र पर आवश्यक होगी, परिस्थितियां अभियुक्त के लिए उस अपराध में विशिष्ट होती हैं । (पैरा 12)

एक अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक में निम्नलिखित सिद्धांतों को कायम रखते हुए अभिकथित किया है कि जमानत की याचिका का विनिश्चय करने के लिए यह आवश्यक है – "(i) कि क्या यह विश्वास करने के लिए प्रथमदृष्टया या युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था; (ii) अभियोग की प्रकृति और गुरुता; (iii) दोषसिद्धि की दशा में दंड की तीव्रता; (iv) यदि अभियुक्त जमानत पर निर्मुक्त हो जाता है तो उसके फरार होने या भागने का खतरा; (v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार और स्थिति जहां पर वह खड़ा है; (vi) अपराध को दोहराए जाने की संभावना; (vii) साक्षियों के प्रभावित होने की युक्तियुक्त आशंका; (viii) नि:संदेह, न्याय पर खतरे मंडराने की गुंजाइश जब जमानत मंजूरी निष्फल हो जाए । (पैरा 13)

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तारीख 27 फरवरी, 2018 का अन्तरिम आदेश पूर्ण बन गया है जिसमें याची नए सिरे से जमानत बंधपत्र एक लाख रुपए की राशि साथ ही इसी राशि का स्थानीय प्रतिभू संबंधित अन्वेषक अधिकारी के समाधान के लिए देगा । इसके अतिरिक्त जमानत के लिए निम्नलिखित शर्तें भी होंगी – (क) वह पूछताछ के प्रयोजन के लिए स्वयं उपलब्ध रहेगा यदि उससे अपेक्षा की जाती है और सुनवाई के अलग-अलग और प्रत्येक दिन विचारण न्यायालय में

नियमित रूप से उपस्थित रहेगा और यदि किसी कारण से वह ऐसा नहीं करता है तब वह समुचित आवेदन फाइल करके हाजिर होने से छूट की ईप्सा करेगा ; (ख) वह अभियोजन साक्ष्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न किसी भी रीति में चाहे कोई भी हो मामले के अन्वेषण में अड़ंगा नहीं डालेगा; (ग) वह किसी ऐसे व्यक्ति जो मामले के तथ्यों से भलीभांति परिचित हो उसे कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रुक जाए; और (घ) वह न्यायालय की पूर्व मंजूरी के बिना भारत राज्यक्षेत्र को नहीं छोड़ेगा ; (ङ) वह ऐसे पासपोर्ट का अभ्यर्पण करेगा यदि कोई उसके द्वारा रखा गया है । (पैरा 14)

यह स्पष्ट है कि यदि याची स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है या अपने पर अधिरोपित किसी शर्त का अतिक्रमण करता है तब अन्वेषण अभिकरण उसकी जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय को समावेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा । इसमें ऊपर दिए गए किसी भी मताभिव्यक्ति का मामले के गुणागुण पर परिलक्षित किए जाने का अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा और इस याचिका के निपटारे तक उसे परिरुद्ध रखा जाएगा । तद्नुसार, याचिका का निपटारा किया जाता है और निर्णय की दस्ती प्रति उपलब्ध कराई गई । (पैरा 15 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 1 एस. सी. सी. 49 : **संजय चन्द्र** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ;	10
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 694 : **सिद्धाराम स्टालीनगप्पा महेत्रे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ;	11
[2010]	(2010) 14 एस. सी. सी. 496 : **प्रशान्ता कुमार सरकार** बनाम **आशीष चटर्जी और एक अन्य** ;	13

[1980]　(1980) 2 एस. सी. सी. 565 :
गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम **पंजाब राज्य** ।　　11

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2018 का दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम) सं. 166.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन जमानत याचिका ।

याची की ओर से	श्री सुरेन्द्र सकलानी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री दिनेश ठाकुर, अपर महाधिवक्ता साथ में विक्रंत चंदेल, उप महाधिवक्ता सहायक उप निरीक्षक प्रकाश चन्द, पुलिस थाना नेरवा, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – जमानत याची अर्थात् सुरेश कुमार को दंड संहिता की धारा 366, 342 और 376 के अधीन पुलिस थाना नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 जनवरी, 2018 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 11/18 वाले मामले में गिरफ्तार होने की आशंका थी, उसने गिरफ्तारी पूर्व जमानत चाहने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन वर्तमान जमानत याचिका फाइल करके इस न्यायालय में समावेदन किया है ।

2. तारीख 27 फरवरी, 2018 के आदेश के क्रम में जिसके द्वारा जमानत याची को उसकी गिरफ्तारी की दशा में अंतरिम जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का आदेश किया गया था, श्री प्रकाश चन्द, सहायक उप निरीक्षक अभिलेख के साथ उपस्थित हुआ था । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने अन्वेषक अभिकरण द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर तैयार की गई प्रास्थिति रिपोर्ट अभिलेख पर भी रखी । जिसका परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि तारीख 24 फरवरी, 2018 को शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री ने पुलिस थाना नेरवा पर जमानत याची के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 26 नवंबर, 2017 को जमानत याची उसके निवास स्थान पर आया और

विवाह करने के बहाने से उसने उसके कमरे में उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया । शिकायतकर्ता के अनुसार जमानत याची उसे अपने यान में बद्दी पर ले गया जहां उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध पुनः उस पर मैथुन हमला किया । अभिकथित घटना के 10 दिन पश्चात् जमानत याची के बारे में अभियोक्त्री को अकेले बद्दी पर छोड़े जाने का अभिकथन किया गया है और इसके पश्चात् वह कभी भी मुड़कर वापस नहीं आया । शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री द्वारा दर्ज की गई पूर्वोक्त शिकायत के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जमानत याची के विरुद्ध विस्तृत रूप से दर्ज की गई । अन्वेषण से यह भी प्रकट हुआ है कि शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री बद्दी और चंडीगढ़ पर पहचान करने में असफल रही थी जहां जमानत याची द्वारा उससे बलात्संग किया जाना अभिकथित है । तथापि, यह तथ्य शेष रह जाता है कि जमानत याची इस न्यायालय से अन्तरिम जमानत प्राप्त करने के पश्चात् अन्वेषण में सम्मिलित हुआ था और इसके पश्चात् पुलिस उसे बद्दी पर कमरे में ले गई जहां जमानत याची के बारे में शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री के साथ निवास करने का अभिकथन किया गया है ।

3. श्री सुरेन्द्र सकलानी जो जमानत याची की ओर से विद्वान् काउंसेल के रूप में हाजिर हुए उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख/प्रास्थिति रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि जमानत याची के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियोक्त्री द्वारा किए गए कथन का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर स्वतः यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री अपनी स्वयं की इच्छा से जमानत याची के संग शामिल हुई थी और उस समय उसने जमानत याची के संग सम्मिलित होने में कोई बल या विवशता प्रकट नहीं की । श्री अमर चंद ठाकुर अर्थात् मकान के स्वामी के कथन का उल्लेख करने पर जिसके बारे में बद्दी पर जमानत याची को किराए पर देने का अभिकथन किया है, श्री सुरेन्द्र सकलानी ने यह दलील दी है कि इस साक्षी के कथन से पूर्णतः यह प्रकट है कि शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री और जमानत याची कमरे में दो मास से भी अधिक समय से पति-पत्नी के रूप में निवास कर रहे थे और उस समय

शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री द्वारा जमानत याची द्वारा उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने के बारे में कोई शिकायत दर्ज कभी भी नहीं की थी । जमानत याची की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सुरेन्द्र सकलानी ने यह भी दलील दी है कि इस मामले में अन्वेषण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जमानत याची से किसी भी वस्तु की बरामदगी अपेक्षित नहीं है और इस प्रकार इस मामले में कोई लाभदायक प्रयोजन प्राप्त करने के लिए अभिरक्षा में पूछताछ नहीं की गई जैसा कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा अनुरोध किया गया था और उसे मंजूर किया गया है । उन्होंने यह भी दलील दी कि जमानत याची राज्य का स्थानीय निवासी है और वह हमेशा अन्वेषण के लिए बुलाए जाने पर उपलब्ध रहेगा और न्याय से उसके भागने की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है ।

4. दूसरी ओर, श्री दिनेश ठाकुर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने जमानत याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए पूर्वोक्त अनुरोध का विरोध करते हुए पुरजोर यह दलील दी है कि जमानत याची द्वारा किए गए अभिकथित पूर्वोक्त अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर कोई उदारता नहीं बरती जाती है बल्कि उस पर कठोरता से विचार किए जाने की जरूरत है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने पूर्वोक्त दलीलों का खण्डन करते हुए जो याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई हैं, यह दलील दी कि अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए चिकित्सीय साक्ष्य का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर यह स्वतः यह इंगित होता है कि शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री अपनी इच्छा के विरुद्ध दोबारा जमानत याची के मैथुन हमले के अध्यधीन रही थी और इस प्रकार वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है । जबकि ऋजुतापूर्वक इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि मामले में अन्वेषण पूरा हो चुका है और जमानत याची से किसी भी वस्तु को बरामद किया जाना अपेक्षित नहीं है, विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि याची को जमानत पर छोड़े जाने की स्थिति में इस बात की अत्यधिक संभावना है कि साक्षियों को प्रभावित करेगा, इस प्रकार, वर्तमान याचिका खारिज की जा सकती है ।

5. मैंने पक्षकारों के काउंसेलों को सुना और अभिलेख का

सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

6. इस न्यायालय ने अभिलेख/प्रास्थिति रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक परिशालन करने के पश्चात् याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल की दलीलों में प्रचूर बल पाया है कि शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री और जमानत याची काफी समय से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच काफी समय से एक दूसरे से मुलाकात होती थी । अन्वेषण में यह बात भी प्रकट हुई कि शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री मकान और होटल के कमरों में पहचान करने में असमर्थ थी जिन्हें जमानत याची द्वारा बद्दी और चंडीगढ़ पर किराए में लिया गया था ।

7. सभी बातों को छोड़ते हुए यदि श्री अमर चंद ठाकुर अर्थात् बद्दी के मकान के स्वामी के कथन का परिशीलन किया जाए तो इससे स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री जमानत याची के साथ बद्दी पर कमरे में दो मास से भी अधिक समय से निवास कर रही थी और उस समय शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री ने जमानत याची द्वारा अभिकथित अवैध निरोध में रखे जाने के बारे में अमर चंद ठाकुर को नहीं बताया था । बल्कि अमर चंद के कथन से स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि शिकायकर्ता-अभियोक्त्री और जमानत याची के आपसी अच्छे संबंध थे और वे दोनों एक साथ बार-बार इधर-उधर जाया करते थे, इससे यह अभिप्रेत होता है कि शिकायकर्ता-अभियोक्त्री के पास शोरगुल करने और शिकायत दर्ज करने का पर्याप्त अवसर था और यह बात श्री अमर चंद के कथन में भी प्रकट हुई कि तारीख 18 फरवरी, 2018 को जमानत याची ने उसे किराए पर दिया था और यह कथन किया कि वह शिमला जा रहा है क्योंकि उसकी माता की तबियत ठीक नहीं है । इसके पश्चात्, तारीख 20 फरवरी, 2018 को शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री भी शिमला गई थी और श्री अमर चंद ठाकुर को इस बात की सूचना दी थी कि उसकी सास जो शिमला में रहती है वह अस्वस्थ है । उपरोक्त बातों के अलावा, शिकायत के अनुसार जो शिकायतकर्ता-अभियोक्त्री द्वारा दी गई थी, उसमें तारीख 26 नवंबर, 2017 को घटना का घटित होना बताया गया है जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 24 फरवरी, 2018 को अर्थात् दो मास पश्चात् दर्ज की गई और अभिलेख पर इस बारे में

कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब क्यों हुआ । यद्यपि, मामले के पूर्वोक्त पहलुओं पर जिन पर विचार किया गया और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर एकत्र की गई सामग्री के आधार पर विनिश्चय किया गया परन्तु इस न्यायालय ने सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् जमानत याची को अनिश्चित अवधि के लिए कारागार में कैद में रखे जाने का कोई कारण नहीं पाया खासतौर पर, जब अन्वेषण का कार्य पूरा हो चुका है और उससे किसी भी वस्तु की बरामदगी अपेक्षित नहीं है क्योंकि विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा इस बात को ऋजुतापूर्वक स्वीकर किया गया है ।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बात दोहराई गई है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष समझा जाता है जब तक कि उसकी दोषिता साबित न हो जाए । सांविधानिक न्यायालयों द्वारा भी इस को अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे मात्र संदेह के आधार पर कम नहीं किया जा सकता । वर्तमान मामले, में अभियुक्त की दोषिता को अभियोजन पक्ष द्वारा विधि के अनुसरण में साबित भी किया जाना है और इस प्रकार, न्यायहित में ऐसा नहीं हो सकता कि जमानत याची की स्वतंत्रता को अनिश्चित अवधि के लिए कम किया जाए, विशेष रूप से जब वह अन्वेषण में सम्मिलित रहा है और उसने अन्वेषण अभिकरण के साथ पूर्ण रूप से सहयोग किया है, जैसा कि विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा भी ऋजुतापूर्वक स्वीकार किया गया है ।

9. हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2018 की दांडिक अपील सं. 227, दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में तारीख 6 फरवरी, 2018 को विनिश्चय देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनिश्चित अवधि के लिए कम नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से जब उसकी दोषिता साबित न हुई हो । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर निर्दोष होने का विश्वास किया जाता है जब तक कि उसे दोषी न पाया

जाए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

"2. आपराधिक विधिशास्त्र में मूलभूत तत्व ये हैं कि निर्दोषिता की अवधारणा की जाती है जिससे यह अभिप्रेत है कि किसी भी व्यक्ति पर निर्दोष होने का विश्वास किया जाता है जब तक कि वह दोषी नहीं पाया जाता है । तथापि, हमारी आपराधिक विधि में ऐसे दृष्टांत हैं जहां कुछ विनिर्दिष्ट अपराधों के बारे में अभियुक्त पर प्रतिकूलता दर्शित करने का भार है परन्तु यह एक दूसरा मामला है और अन्य अपराधों के बारे में मूलभूत तत्वों से उसे कम नहीं किया जाता । हमारे आपराधिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जमानत मंजूरी एक साधारण नियम है और किसी व्यक्ति को जेल में रखने या कैदखाने में रखने या सुधार-गृह में (जो कोई भी पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग किए जाने की वांछा हो सकती है) रखना यह एक अपवाद है । दुर्भाग्यवश, इन आधारिक सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांतों को इन परिणामों को दृष्टि-ओझल किया जाना प्रतीत होता है कि अधिकांश व्यक्ति जो अधिक समय से कैदखाने में रह रहे हैं, हमारे अपराध शास्त्र में या हमारे समाज में ऐसा करना अच्छी बात नहीं है ।

3. इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि जमानत मंजूरी या उससे इनकार करना न्याजयाधीश द्वारा मामले में विचार करके संपूर्ण रूप से उसके विवेक पर निर्भर है परन्तु न्यायिक विवेक के प्रयोग करने पर इस न्यायालय द्वारा और देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अतिरिक्त विनिश्चयों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है । क्योंकि प्रायः व्यक्ति की जमानत से इनकार करने पर आत्मनिरीक्षण किया जाना आवश्यक है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जमानत से इनकार करना सही बात है या नहीं ।

4. ऐसे कारकों के बीच आत्म-विश्लेषण करते हुए यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त को अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया गया था जब उस व्यक्ति के पास साक्ष्य पर हेरफेर

करने या साक्षियों को प्रभावित करने का अति उत्तम अवसर रहा था । यदि अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण के दौरान ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं समझता है, तब इस बात को रखने के लिए उसे एक प्रबल मामला बनाना चाहिए कि आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में है । इसी तरह, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि क्या अभियुक्त अन्वेषक अधिकारी के समाधान के लिए अन्वेषण में भाग लेगा और वह फरार नहीं होगा या जब कभी अन्वेषक अधिकारी द्‌वारा उससे हाजिर होने की अपेक्षा की जाए तब वह हाजिर न हो । निश्चित तौर पर, यदि कोई अभियुक्त अन्वेषक अधिकारी से छुपता नहीं है या अपने शिकार होने के किसी वास्तविक भय से छुपता है तब यह कारक होगा कि न्यायाधीश का समुचित मामले में विचार करना आवश्यक होगा । न्यायाधीश के लिए यह भी आवश्यक है कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या अभियुक्त पहली बार अपराधी बना है या वह अन्य अपराधों में भी अभियुक्त है तथा यदि ऐसा है तब ऐसे अपराधों की प्रकृति और उसके सामान्य आचरण पर भी विचार करना चाहिए । अभियुक्त की गरीबी और दरिद्रता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण है और संसद् ने भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436 के स्पष्टीकरण को निगमित करते हुए इस बात पर ध्यान दिया है । कैदखाने में रखे जाने के बारे में उस पर संसद् द्‌वारा समान रूप से सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण को अपनाने को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436क द्‌वारा अन्तर्विष्ट किया गया है ।

5. संक्षेप में, किसी व्यक्ति के बारे में जब उसे पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में संदेह के आधार पर प्रतिप्रेषित करने के लिए न्यायाधीश द्‌वारा जब उसके आवेदन पर विचार किया जाता है तब मानवीय दृष्टिकोण को अंगीकार किया जाना अपेक्षित है । ऐसा करना अभियुक्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने सहित कई कारणों के लिए आवश्यक है, तथापि, गरीबी जो उस व्यक्ति की हो सकती है जिसमें संविधान का अनुच्छेद 21 में अध्यपेक्षा की गई है और यह तथ्य कि कैदखानों में अत्यधिक

भीड़-भाड़ जिससे सामाजिक और अन्य समस्याएं खड़ी होती हैं जैसा कि रि-ह्युमन कंडीशन 1382 प्रिजन्स में इस न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया है ।"

10. अब यह सुस्थिर है कि जमानत नामंजूर करने के लिए केवल गुरुता निश्चायक नहीं हो सकती बल्कि प्रतिस्पर्धी कारकों को न्यायालय द्वारा अपने विवेक में लेते हुए उनमें संतुलन किया जाना अपेक्षित है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दोबारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की हाजिरी को विचारण के समय पर सुनिश्चित करना है । जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न निवारक । **संजय चन्द्र** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

> "जमानत का उद्देश्य अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी को विचारण के समय पर सुनिश्चित करना है । जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न निवारक । स्वतंत्रता से वंचित किए जाने पर दंड पर भी विचार किया जाना चाहिए जब तक कि यह सुनिश्चित करना अपेक्षित नहीं हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति अपने विचारण में खड़ा होगा जब उसे बुलाया जाए । न्यायालयों ने इस सिद्धांत का पूरा आदर-सत्कार किया है कि दोषसिद्धि के पश्चात् दंड प्रारंभ होता है और प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष समझा जाता है जब तक कि वह सम्यक् रूप से दोषी नहीं पाया जाता । अभिरक्षा में निरोध विचारण के लंबित होने तक अत्यधिक कठिनाई का कारण हो सकता है । समय-समय पर अपरिहार्य रूप से यह मांग की गई है कि बिना दोषसिद्धि के व्यक्ति को विचारण के लंबित रहने के दौरान अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए और विचारण में उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए । परन्तु ऐसे मामलों में 'अपरिहार्य' प्रभावशील परख है । भारत में संविधान में अन्तर्विष्ट वैयक्तिक स्वतंत्रता की अवधारणा के यह पूर्णतः प्रतिकूल होगा कि किसी व्यक्ति को किसी मामले के संबंध में दंडित किया जाना चाहिए जिस पर वह दोषसिद्ध नहीं किया गया है

---

[1] (2012) 1 एस. सी. सी. 49.

या ऐसी किसी परिस्थिति में वह केवल इस विश्वास पर अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा कि यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह साक्षियों के साथ हेरफेर करेगा जो अत्यधिक असाधारण परिस्थिति होती है । निवारक के प्रश्न पर जिस पर जमानत की नामंजूरी का उद्देश्य सामने आता है किसी भी व्यक्ति को इस तथ्य से दृष्टि-ओझल नहीं करना चाहिए कि दोषसिद्धि से पूर्व कोई भी कारावास सार रूप से दंडात्मक है और किसी भी न्यायालय के लिए ऐसा करना अनुचित होगा कि अभियुक्त के पूर्ववर्ती आचरण के चिह्न पर उसकी जमानत को नामंजूर करे । क्या अभियुक्त उस कार्य के लिए दोषसिद्ध किया गया या नहीं । किसी सबक के रूप में कारावास का स्वाद चखाने के प्रयोजन के लिए बिना दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति जमानत को नामंजूर करें ।"

11. जमानत की मंजूरी के बारे में विधि सुस्थापित है । **सिद्धाराम स्टालीनगप्पा महेत्रे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने **गुरुबख्श सिंह सिब्बिया** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले में संविधान पीठ द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए जमानत की मंजूरी के लिए निम्नलिखित परिधियां अभिलिखित की हैं :-

"111. अग्रिम जमानत को मंजूर करने या उससे इनकार करने के लिए कोई लचीला दिशा-निर्देश या कठोर सूत्र लागू नहीं किया जा सकता है । हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से यह है कि इस बारे में कोई कठोर और लचीले दिशा-निर्देश का उपबंध किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि भविष्य की सभी परिस्थितियां और स्थितियां अग्रिम जमानत को मंजूर करने या उससे इनकार करने के लिए स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो सकती । अग्रिम जमानत को मंजूर करने या इनकार करने के विधायी आशय के समरूप प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपरिहार्य रूप से निर्भर होना चाहिए । **सिब्बिया**

---

[1] (2011) 1 एस. सी. सी. 694.

[2] (1980) 2 एस. सी. सी. 565.

(उपरोक्त) वाले मामले में संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय में यह मत व्यक्त किया गया कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपनी विवेक शक्ति का बुद्धिमत्ता से और सावधानीपूर्वक प्रयोग करेगा जो उनके लम्बे प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित हो जिस पर आदर्श रूप से उस पर कार्रवाई करे । ऐसी किसी दशा में हम विधायी आज्ञा का आदर और सम्मान करने के लिए बाध्य हैं ।

112. निम्नलिखित कारकों और परिस्थितियों को अग्रिम जमानत पर विचार करते समय विचार में लिया जा सकता है –

(i) अभियोग की प्रकृति और गुरुता तथा अभियुक्त की यथावत् भूमिका उसकी गिरफ्तारी किए जाने के पूर्व उचित रूप से समझी जानी चाहिए ;

(ii) इस तथ्य सहित आवेदक के पूर्ववृत्त पर ध्यान देना चाहिए कि क्या अभियुक्त को किसी संज्ञेय अपराध को किए जाने के बारे में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किए जाने पर उसके द्वारा पूर्व में कारावास भोगा गया है ;

(iii) आवेदक की न्याय से भागने की संभावना ;

(iv) अभियुक्त के बारे में यह संभावना प्रकट होना कि वह वैसे अपराध या अन्य अपराधों को दोहराएगा ;

(v) जहां आवेदक को गिरफ्तार करने के पश्चात् उससे अमानवीय बर्ताव करने के उद्देश्य से उस पर अभियोग चलाया गया हो ;

(vi) अग्रिम जमानत की मंजूरी का प्रभाव विशिष्ट रूप से ऐसे मामलों में जहां लोगों की बड़ी संख्या उसके महत्व से प्रभावित होती है ;

(vii) न्यायालयों को बड़ी सावधानी के साथ अभियुक्त के

विरुद्ध उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए । न्यायालय को मामले में अभियुक्त की यथावत् भूमिका को भी स्पष्ट समझना चाहिए । ऐसे मामले जिनमें अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 34 और 149 की सहायता से आलिप्त किया गया है तब न्यायालय को बड़ी सावधानी के साथ भी विचार करना चाहिए क्योंकि यह सामान्य जानकारी और महत्व का मामला है ;

(viii) अग्रिम जमानत की मंजूरी के लिए अनुरोध पर विचार करते हुए दो कारकों के बीच संतुलन को प्रभावित किया जाता है, कि कोई प्रतिकूलता स्वतंत्र ऋजु और पूर्ण अन्वेषण के लिए नहीं बरती जानी चाहिए और अभियुक्त को निरोध रखने पर उसके उत्पीड़न, अमानवीयता और अन्यायोचित पर निरोध को रोका जाना चाहिए ;

(ix) न्यायालय को किसी साक्ष्य के साथ फेरफार करने की युक्तियुक्त आशंका या शिकायतकर्ता को धमकाने की आशंका पर विचार करना चाहिए ;

(x) अभियोजन की विरक्तता पर भी हमेशा विचार किया जाना चाहिए और केवल वास्तविकता के तत्व को ही देखा जाना चाहिए और उस पर जमानत की मंजूरी के मामले में विचार किया जाना चाहिए और कुछ भी संदेह होने की दशा में अभियोजन पक्ष की वास्तविकता साधारण अनुक्रम में अभियुक्त जमानत के आदेश को पाने का हकदार है ।"

12. जमानत के उद्देश्य के बारे में यह कहना व्यर्थ है कि अभियुक्त की हाजिरी विचारण में सुनिश्चित करना है और इस प्रश्न के सुलह के लिए उचित कसौटी यह लागू की जाती है कि क्या जमानत मंजूर की जानी चाहिए या नामंजूर की जानी चाहिए । क्या यह संभव है कि पक्षकार अपने विचारण में हाजिर होगा । अन्यथा भी सामान्य नियम जमानत का है और न कि जेल में रखने का । उपरोक्त बातों के अलावा न्यायालय को अभियोग की प्रकृति और उसके समर्थन में साक्ष्य की

प्रकृति और दंड की तीव्रता को ध्यान में रखना चाहिए जिस पर दोषसिद्धि अभियुक्त के चरित्र पर आवश्यक होगी, परिस्थितियां अभियुक्त के लिए उस अपराध में विशिष्ट होती हैं ।

13. **प्रशान्ता कुमार सरकार** बनाम **आशीष चटर्जी और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक में निम्नलिखित सिद्धांतों को कायम रखते हुए यह अभिकथित किया है जो जमानत की याचिका का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक है :-

"(i) कि क्या यह विश्वास करने के लिए प्रथमदृष्ट्या या युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था ;

(ii) अभियोग की प्रकृति और गुरुता ;

(iii) दोषसिद्धि की दशा में दंड की तीव्रता ;

(iv) यदि अभियुक्त जमानत पर निर्मुक्त हो जाता है तो उसके फरार होने या भागने का खतरा ;

(v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार और स्थिति जहां पर वह खड़ा है ;

(vi) अपराध को दोहराए जाने की संभावना ;

(vii) साक्षियों के प्रभावित होने की युक्तियुक्त आशंका ;

(viii) निःसंदेह, न्याय पर खतरे मंडराने की गुंजाइश जब जमानत मंजूरी निष्फल हो जाए ।"

14. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तारीख 27 फरवरी, 2018 का अन्तरिम आदेश पूर्ण बन गया है जिसमें याची नए सिरे से जमानत बंधपत्र एक लाख रुपए की राशि साथ ही इसी राशि का स्थानीय प्रतिभू संबंधित अन्वेषक अधिकारी के समाधान के लिए देगा । इसके अतिरिक्त जमानत के लिए निम्नलिखित शर्तें भी होंगी :-

(क) वह पूछताछ के प्रयोजन के लिए स्वयं उपलब्ध रहेगा

---

[1] (2010) 14 एस. सी. सी. 496.

यदि उससे अपेक्षा की जाती है और सुनवाई के अलग-अलग और प्रत्येक दिन विचारण न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा और यदि किसी कारण से वह ऐसा नहीं करता है तब वह समुचित आवेदन फाइल करके हाजिर होने से छूट की ईप्सा करेगा ;

(ख) वह अभियोजन साक्ष्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न किसी भी रीति में चाहे कोई भी हो मामले के अन्वेषण में अड़ंगा नहीं डालेगा ;

(ग) वह किसी ऐसे व्यक्ति जो मामले के तथ्यों से भलीभांति परिचित हो उसे कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रुक जाए ; और

(घ) वह न्यायालय की पूर्व मंजूरी के बिना भारत राज्यक्षेत्र को नहीं छोड़ेगा ;

(ङ) वह ऐसे पासपोर्ट का अभ्यर्पण करेगा यदि कोई उसके द्वारा रखा गया है ।"

15. यह स्पष्ट है कि यदि याची स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है या अपने पर अधिरोपित किसी शर्त का अतिक्रमण करता है तब अन्वेषण अभिकरण उसकी जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय को समावेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

16. इसमें ऊपर दिए गए किसी भी मताभिव्यक्ति का मामले के गुणागुण पर परिलक्षित किए जाने का अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा और इस याचिका के निपटारे तक उसे परिरुद्ध रखा जाएगा । तद्नुसार, याचिका का निपटारा किया जाता है और निर्णय की दस्ती प्रति उपलब्ध कराई गई ।

तद्नुसार याचिका का निपटारा किया गया ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 9)

[17 जनवरी, 2009]

विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए बोर्ड के गठन के लिए तथा ऐसे अनुसंधान में लगे हुए व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, औद्योगिक समुत्थानों तथा अन्य अभिकरणों को ऐसे अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता देने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "बोर्ड" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "निधि" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ङ) "अन्वेक्षा समिति" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञों की अन्वेक्षा समिति अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "सचिव" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड

3. बोर्ड का गठन और निगमन – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक बोर्ड का गठन करेगी जिसका नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड होगा ।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार का सचिव, पदेन – अध्यक्ष ;

(ख) सदस्य-सचिव, योजना आयोग, पदेन – सदस्य ;

(ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग में भारत सरकार का सचिव, पदेन – सदस्य ;

(घ) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में भारत सरकार का सचिव, पदेन – सदस्य ;

(ङ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव, पदेन – सदस्य ;

(च) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में भारत सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिती, पदेन – सदस्य ;

(छ) भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव, पदेन – सदस्य ;

(ज) शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक सदस्य ;

(झ) सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक सदस्य ;

(ञ) उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं, सामाजिक-आर्थिक सेक्टर और अन्य सरकारी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार से अनधिक सदस्य ।

(4) बोर्ड का प्रधान कार्यालय दिल्ली में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा ।

(5) उपधारा (3) के खंड (ज) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव, पदावधि और भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(6) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं या बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(7) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि –

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ;

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ;

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

4. बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी – (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी विख्यात वैज्ञानिक को बोर्ड का सचिव नियुक्त कर सकेगा ।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

(3) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव, सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनमें वेतन और भत्ते भी हैं, वे होंगे जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) बोर्ड देश के भीतर और बाहर दोनों से कार्मिकों की सेवाएं परामर्शियों, अभ्यागत वैज्ञानिकों के रूप में ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा पारिश्रमिक पर ले सकेगा जो बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए और उनकी संक्रियाओं को देश के भीतर सुकर बनाएगा ।

5. विशेषज्ञों की अन्वेक्षा समिति – (1) बोर्ड, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को परामर्श देने और सहायता करने के लिए विशेषज्ञों, विख्यात वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों से मिलकर बनने वाली विशेषज्ञों की एक अन्वेक्षा समिति का गठन करेगा ।

(2) अन्वेक्षा समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(i) विख्यात और अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक – अध्यक्ष ;

(ii) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव, पदेन – उपाध्यक्ष ;

(iii) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी के अध्यक्ष, पदेन – सदस्य ;

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट विशेषज्ञों में से तीन से अनधिक सदस्य ; और

(v) बोर्ड का सचिव, पदेन – सदस्य ।

6. बोर्ड की समितियां – (1) बोर्ड इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, उतनी समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन और कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) बोर्ड को उतनी संख्या में जितनी वह ठीक समझे, अन्य व्यक्तियों को, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा ।

7. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य – (1) बोर्ड, विज्ञान और इंजीनियरी के उभरते हुए क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान की योजना तैयार करने, उसका संवर्धन और वित्तपोषण करने के लिए एक प्रमुख बहुविषयी अनुसंधान वित्तपोषण अभिकरण के रूप में कार्य करेगा ।

(2) बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा, –

(i) उभरते हुए क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी अनुसंधान की

योजना तैयार करने, उसका संवर्धन और वित्तपोषण करने के लिए एक प्रमुख बहुविषयी अनुसंधान अभिकरण के रूप में कार्य करना ;

(ii) विशेषज्ञों की अन्वेक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों और दिए गए सुझावों पर विचार करना और उन पर विनिश्चय करना ;

(iii) मुख्य अंतर-विषयी अनुसंधान क्षेत्रों और व्यष्टियों, समूहों या संस्थाओं की पहचान करना और अनुसंधान करने के लिए उनका वित्तपोषण करना ;

(iv) विभिन्न पहचान किए गए क्षेत्रों में ऐसी संस्थाओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्यक्रम विकसित करना जिनका अनुसंधान के संवर्धन में बहुआयामी प्रभाव होगा ;

(v) वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए अवसंरचना और पर्यावरण स्थापित करने में सहायता करना ;

(vi) विज्ञान और इंजीनियरी में बुनियादी अनुसंधान और संवर्धन करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग के बीच सहचर्य प्राप्त करना ;

(vii) आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को अंगीकार करके, अनुसंधान, जिसके अंतर्गत मानीटरी और मूल्यांकन भी है, के लिए त्वरित वित्तपोषण का उपबंध करने के लिए प्रबंधन प्रणाली तैयार करना ;

(viii) अन्तरराष्ट्रीय सहयोगकारी परियोजनाओं में, जहां आवश्यक या वांछनीय हो, सहभागिता पैदा करना ; और

(ix) विद्यमान विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद् स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई या वित्तपोषित बुनियादी अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना और जारी रखना ।

(3) बोर्ड, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए व्यष्टियों,

शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों और अन्य संगठनों को अनुदानों और ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दे सकेगा ।

अध्याय 3

वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए आवेदन

8. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन – (1) धारा 7 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन बोर्ड को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो विहित किया जाए ।

(2) बोर्ड, आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या ऐसा स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा, या तो वित्तीय सहायता मंजूर कर सकेगा अथवा उससे इनकार कर सकेगा ।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

9. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार – केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, इस निमित्त विधि द्वारा, किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को अनुदानों और उधारों के रूप में उतनी धनराशियों का संदाय कर सकेगी जितनी वह सरकार आवश्यक समझे ।

10. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि – (1) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उस निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे, –

(क) धारा 9 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को दिया गया कोई अनुदान और उधार ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से, बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी राशियां जिसमें संदान सम्मिलित हैं ;

(ग) निधि से अनुदत्त रकमों की वसूलियां ; और

(घ) निधि की रकम के विनिधान से कोई आय ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा, –

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य और इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय ;

(ख) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य व्यय ;

(ग) परामर्शियों और अभ्यागत वैज्ञानिकों के पारिश्रमिक ; और

(घ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करने में उसके व्यय ।

11. बजट – बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

12. वार्षिक रिपोर्ट – बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

13. लेखा और संपरीक्षा – (1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप में बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य

दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(3) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, बोर्ड, द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(4) बोर्ड, ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाए, अपने लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

14. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना – केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट, उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

15. बोर्ड को विवरणियों का दिया जाना – (1) बोर्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा कोई औद्योगिक समुत्थान या कोई संस्था, बोर्ड को, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देगा ।

(2) बोर्ड, इस धारा के अधीन दी गई किसी विवरणी की सत्यता को सत्यापित करने के लिए, किसी अधिकारी को किसी भी समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक समुत्थान या संस्था का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

16. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति – (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, उसे लिखित रूप में दे :

परन्तु बोर्ड की इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पहले यथासाध्य, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) कोई प्रश्न नीति संबंधी है या नहीं, इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

17. केन्द्रीय सरकार को बोर्ड को अतिष्ठित करने की शक्ति – (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि –

(क) बोर्ड, गंभीर आपात के कारण, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ; या

(ख) बोर्ड ने, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप बोर्ड की वित्तीय स्थिति या बोर्ड के प्रशासन की हानि हुई है ; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड को अतिष्ठित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर, –

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका प्रयोग या निर्वहन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन, किया जा सकता है, उपधारा (3)

के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो केन्द्रीय सरकार निदेश करे, प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा ; और

(ग) बोर्ड के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, उपधारा (3) के अधीन बोर्ड का पुनर्गठन किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिक्रमण काल की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, नई नियुक्ति करके बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में, ऐसा या ऐसे व्यक्ति, जिसने या जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अतिक्रमण काल की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय, इस उपधारा के अधीन कार्रवाई कर सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की और उन परिस्थितियों की, जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

18. प्रत्यायोजन – बोर्ड, लिखित, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य (धारा 21 के अधीन शक्ति के सिवाय) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

19. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति अथवा बोर्ड या ऐसी समिति के किसी

सदस्य या सरकार के या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

20. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव, पदावधि और अन्य भत्ते ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ग) धारा 5 के अधीन अन्वेक्षा समिति का गठन ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन समितियों का गठन ;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप ;

(च) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब बोर्ड धारा 11 के अधीन अपना बजट और धारा 12 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप और वह तारीख जिससे पूर्व उस धारा की उपधारा (4) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षित प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जा सकेगी ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए ।

21. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति – (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणतः कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव, सेवा के निबंधन और शर्तें जिनमें वेतन और भत्ते सम्मिलित हैं ;

(ख) वह प्ररूप जिसमें, और वह समय जिस पर, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को, विवरणियां दी जा सकेंगी ।

22. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना – इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

---

cover iii

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	–	–	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. बी. परांजपे - 1990	40	–	–	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	–	–	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	–	–	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	–	–	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	–	–	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	–	–	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख -1999	293	–	–	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	–	–	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	–	–	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ -2001	425	–	–	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	–	–	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	–	–	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	–	–	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	–	–	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	–	290	–
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	–	60	–

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover iv

पी एल डी (पी. डी)-3-2019
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in